जल संसाधन विभाग

लोक लेखा समिति-प्रकाशन संख्या-377

civil कंडिका

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या -368

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

उपस्थापन की तिथि.........................।

विषय-सूची

क्रमांक	पृष्ठ संख्या
1. लोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	क
2. लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण	ख
3. महालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय एवं बिहार विधान सभा सचिवालय	ग - घ
प्राक्कथन	ङ
5. प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएँ	1 - 88
6. परिशिष्ट	89 - 112

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष-2001-2002 ।

सभापति

1. श्री रामेदव वर्मा,	स०वि०स०

सदस्यगण:

2. श्री मुनेश्वर चौधरी,	स०वि०स०
3. श्री रामचन्द्र राय,	स०वि०स०
4. श्री यदुवंश कुमार यादव,	स०वि०स०
5. श्री शोभाकान्त मंडल,	स०वि०स०
6. श्री गिरिधारी यादव,	स०वि०स०
7. श्री मुनीलाल यादव,	स०वि०स०
8. श्री प्रेम कुमार,	स०वि०स०
9. श्री राम नारायण मंडल,	स०वि०स०
10. श्री प्रभू दयाल सिंह,	स०वि०स०
11. श्री हरि नारायण,	स०वि०स०
12. श्री विजेन्द्र प्रसाद,	स०वि०स०
13. श्री रामनाथ ठाकुर,	स०वि०स०
14. श्री चण्डी प्रसाद,	स०वि०प०
15. बालदेव महतो,	स०वि०प०
16. प्रो० नवल किशोर यादव,	स०वि०प०
17. श्री बालेश्वर सिंह भारती,	स०वि०स०
18. डा० मु० शमीम,	स०वि०प०

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण:-

सभापति:

1. श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

संयोजक:

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०

सदस्यगण:

3. श्री रामचन्द्र राय, स०वि०स०

4. श्री राम नाथ ठाकुर, स०वि०स०

5. श्री मुनी लाल यादव, स०वि०स०

6. डा० मो० शमीम, स०वि०प०

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ० कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना।

वित्त विभाग

1. श्री एम० एन० प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
2. श्री एस० के० केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे० पी० पाल, सचिव।
2. श्री ब्रज किशोर सिंह प्रभात, उप सचिव।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, पदाधिकारी।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है। आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगृत हुआ जो आजादी के दरम्यान नि:स्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे। आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था। देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढ़ती गई। साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा और वह क्रमश: नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढाँचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढाँचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौंपी हैं यह भी विदित है कि लोक लोखा समिति ''जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक'' बताया गया है। इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3. 2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तेयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1988-99 तक 15 वर्षों

के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है। समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है। इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नहीं हो सकता था। इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंककों, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं, कर्मचारियों एवं महालेखाकार के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ। इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकर पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है। अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

पटना:-

तिथि 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा

सभापति

लोक लेखा समिति

बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-1.7

कंडिका- 1.7 निवेश एवं प्रतिफल

वर्ष 1997-98 तक कुल 641.36 करोड़ रुपये को सरकार का निवेश 3 सार्विधक निगमी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकां सहित 36 सरकार कंपनियों, एक परिसमाप्त कंपनी सहित 10 ज्वायंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियां और बैंकों में निम्नवत था :

(करोड़ रुपये में)

सांविधिक निगम	99.67
सरकारी कंपनियाँ	316.39
ज्वायंट स्टाफ कंपनियाँ	3.88
सरकारी समितियाँ / बैंकों	331.42

वर्ष 1993-94 के दौरान, इन निवेशों पर सिर्फ 1000 रुपये की राशि का लाभांश प्राप्त किया गया था। 2 सरकारी कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों में 172.60 करोड़ रुपये के निवेश (परिशिष्ट-1 के अनुसार) के विरूद्ध (वर्ष 1978-79 से 1997-98 के विभिन्न अवधि में) संचित हानी 769.27 करोड़ रुपये था।

विभागीय स्पष्टीकरण

बिहार राज्य निर्माण निगम मात्र एवं संस्था है जो जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत पोषित है। बिहार के अधिकांश निगमों की तरह इस संस्था की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अनुरोध है कि कृपया इस कंडिका को विलोपित

करने की कृपा की जाए।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

बिहार राज्य विधान सभा ने बिहार के सभी लोक उद्यमों के कार्य-कलापों पर अनुशंसा प्रतिवेदन देने के लिए समिति बनायी है। उसके अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-1,14,9

कंडिका-1,14,9 योजना व्यय अधिकतर राजस्व लेखे से संबंधित

वर्ष 1992-97 के दौरान योजना निधि के आवंटन एवं वास्तविक व्यय से यह देखा गया था कि उर्जा (418.15 करोड़ रुपये), परिवहन (189.33 करोड़ रुपये), शिक्षा (121.44 करोड़ रुपये) के पुनरीक्षित आवंटन (परिशिष्ट V से) की तुलना में वास्तविक व्यय में काफी गिरावट थी जबकि ग्रामीण विकास (95. 84 करोड़ रुपये) एवं सामान्य सेवा (302.69 करोड़ रुपये) विभाग में आवंटन से अधिक व्यय था। संक्षिप्त विवरणी नीचे दी गई है:

		पुनरीक्षित आवंटन	वित्त लेखे के अनुसार व्यय	अवधि
		(करोड़ रुपये में)		
1.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1202.22	1274.80	1992-97

(परिशिष्ट V)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	योग
	(करोड़ रुपये में)					
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
वार्षिक योजना	531.51	558.60	558.60	560.08	460.40	2669.19
पुनरीक्षित व्यय	237.10	206.13	224.13	253.25	281.61	1202.22
वास्तविक	279.94	221.12	230.46	252.69	290.59	1274.80

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका के साथ संलग्न परिशिष्ट में यह इंगित किया गया है कि कुल वास्तविक योजना व्यय प्रस्तावित पुनरीक्षित परिव्यय से अधिक हुआ है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि योजना को जो अधिक व्यय हुआ है वह सामान्यत: 10 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर ही है। व्यय में बढ़ोत्तरी मात्र स्थापना मद में पायी गयी है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि समय-समय पर मंहगाई भत्ता, अंतरिम सहायता, वेतनमान में बढ़ोत्तरी आदि की घोषणा सरकार द्वारा की जाती रही है, जो एक कमिटेड व्यय था उसे रोका नहीं जा सकता था। स्थापना मद में आवंटन पद्धति भी लागू नहीं था।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण कें आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे ढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेशन प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-1,14,9,1

ंडिका-1,14,9,1

से विश्लेषण से पता चलता है कि (क) कृषि एवं संबद्ध सेवाएं (ख)

ग्रामीण रोजगार सहिता ग्रामीण विकास (ग) सामाजिक सेवा शिक्षा एवं (घ) सामान्य सेवाओं के मामले में योजनागत व्यय अधिकतर राजस्व लेखे से संबंधित थे एवं पूंजीगत खाते में नाम मात्र का व्यय किया गया था ।

यद्यपि वित्त लेखा के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजना निधियों का व्यय पूंजीगत खाते पर किया गया था, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1996-97 (कंडिका सं०-4.23) में सम्मिलित किया गया बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि योजना की ज्यादातर राशि जो जलाशय निर्माण के संरचना कार्यों एवं भू-क्षरण अवरोधी कार्यों के लिए थी, का विचलन अनुरक्षण व्यय तथा अन्य विविध कार्यों के लिए किया गया। यह भी देखा गया कि वर्ष 1995-96 के दौरान वृहद् बाढ़ नियंत्रण एवं उर्जा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए नगण्य राशि का आवंटन किया गया जैसा कि परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया हैं पूंजीगत व्यय पर खर्च की गयी छोटी राशियाँ भी निरर्थक थीं।

परिशिष्ट-VI

क्र०	योजना/ परियोजना का नाम	पत्र सं. पी.सी. (पी) /2/9-बिहार, दि. 21.7.95 के अनुसार योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षण
		(लाख रुपये में)	
I	वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना		
(क)	वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजना		
(i)	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना	800	382.48
(ii)	तत्कालीन सिंचाई व्यवस्था का पुनःस्थापना	1000	473.00
(iii)	ऊपरी किउल जलाशय	85	40.63
(iv)	उतरी कोयल जलाशय	1500	717.00
(v)	पश्चिमी कोशी नहर	3050	1457.50
(vi)	अजय बराज, सिकटिया	1000	478.00
(vii)	दुर्गावती जलाशय	800	382.48

(viii)	वाण सागर डैम (राज्यांश)	1500	717.00
(ix)	सोन नवीनीकरण	2000	956.00
	योग - क	11735	5609.09
(ख)	वार्षिक योजना 1995-96 के दौरान 9 मध्यम परियोजनाओं को पूरा होना था		
(क)	सकरीगली पम्प नहर	100	47.80
(ख)	बटाने जलाशय	300	143.40
(ग)	लतरातु जलाशय	200	95.60
(घ)	कंसजोर जलाशय	300	143.40
(ङ)	नकटी जलाशय	200	95.60
(च)	धनसिंह टोली जलाशय	200	95.60
(छ)	कतरी जलाशय	250	119.50
(ज)	बिलासी जलाशय	270	129.06
(झ)	ओढ़नी जलाशय	200	95.60
	योग - ख	2020	965.56
	कुल सिंचाई (क+ख)	13755	6574.65

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रस्तुत कंडिका के संबंध में यह कहना है कि योजना मद की निधि का ्योग गैर योजना मदों में नहीं किया गया है। योजना मद में कार्य एवं स्थापना ों के लिए ही बजट में उपबंध किया जाता है, एवं व्यय को बजट प्रावधान के ्रूप ही सीमित रखा जाता है। परन्तु समय-समय पर सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता, रिम सहायता आदि कमिटेड व्यय की घोषणा के फलस्वरूप स्थापना व्यय में त्तरी हुई है।

योजना व्यय पर कम आवंटन करने के संबंध में यह कहना है कि संबंधित वर्ष में कार्य होने की स्थिति एवं (संभावना) एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निधि का आवंटन किया गया।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-1,14,12

कंडिका-1,14,12 वर्ष 1997-98 में निम्न योजना प्रदर्शन जारी रहे

वर्ष 1997-98 में वार्षिक योजना तथा पुनरीक्षित परिव्यय क्रमशः 2268.42 करोड़ व्यय तथा 1796.19 करोड़ रुपये थे। इसके विरूद्ध वास्तविक व्यय 1648.70 करोड़ रुपया था। वार्षिक योजना हेतु केन्द्रीय सहायता तथा वास्तविक व्यय की तुलना निम्नलिखित प्रकटित करती है :

(करोड़ रुपये में)

(क)	अनुदान	405
(ख)	कर्ज	679
(ग)	बाजार ऋण	661
	कुल	1745
	वास्तविक व्यय	1649
•	बचतें	96

उपरोक्त यह परिलक्षित करता है कि न सिर्फ योजना-व्यय में योगदान देने में विफल रही बल्कि उपलब्ध केन्द्र सहायता भी 96 करोड़ रुपये के हद तक खर्च नहीं किया जा सकता था।

पुनः वर्ष 1997-98 के लिए राज्य सरकार के विनियोग लेखे से यह देखा

गया कि विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों के तहत अधिकई बचतें थी जैसा कि परिशिष्ट-VII में प्रदर्शित है।

निष्कर्ष

बिहार सरकार ने राज्य योजना व्यय को केन्द्रीय सहायता, यानी राज्य योजना हेतु अनुदान जोड़ राज्य योजना ऋणें, तक सीमित रखने की नीति अपनाई। कुल बाजार ऋण कार्यक्रम का प्रयोग अन्य रूप से किया गया। राज्य सरकार ने कुल मिलाकर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के कुछ भी योगदान (50 प्रतिशत अपेक्षित योगदान के विरूद्ध) नहीं दिया। परिणामत: इसका केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों तथा केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों पर कुल व्यय भारत सरकार के प्राप्तियों से 265 करोड़ रुपये कम था, जो केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी के अभाव को प्रदर्शित करता था। अधिकाई का उपयोग योजना अवधि के दौरान 1500 करोड़ रुपये के रोकड़-शेष बनाने में हुआ। यह रोकड़ शेष सरकार को लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष महंगा पड़ा क्योंकि यह शेषों पर 4 प्रतिशत अर्जित कर रहा था जबकि ऋणों पर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष भुगतान किया जा रहा था। व्यय मुख्यत: राजस्व लेखा पर था जिसका लक्ष्यों से कम संबंध था तथा सीमित पूंजीगत परिव्ययों ने भी अल्प परिणाम दिए।

इन तथ्यों को सरकार को संदर्भित किया गया (दिसम्बर 1998) उनके उत्तर अप्राप्त थे (मार्च 1999)

परिशिष्ट-VII

क्र०	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान (अनुपूरक सहित)	व्यय	बचत
		(करोड़ रुपये में)		
1.	2 क-वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 2 क 2 (12) (1) सुवर्णरेखा परियोजना (11) कार्य	3.30	0.39	2.91

2.	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 2 क 3 (1) (1) मध्यम सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी. तथा नाबार्ड-आर.आई.डी.एफ.के अलावा) (11) कार्य	1.86	0.67	1.19
3.	2 क 3 (1) (3) मध्यम सिंचाई परियोजना (नाबार्ड-आर.आई.डी.एफ.) (1) कार्य	87.62	12.39	75.23
4.	2 क (3) 1 दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.और नाबार्ड-आर.आई.डी.एफ.के अलावा) (11) कार्य (एकमुश्त)	9.47	3.76	5.71
5.	2 क 3 (3) (3) दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड-आर.आई.डी.एफ.) (1) कार्य	23.61	6.36	17.25
6.	2 क 3 (4) उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना (1) स्थापना (11) कार्य (एकमुश्त)	42.95 5.34	36.19 0.05	6.76 5.29
7.	2 ग-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय 2 ग 1 (1) उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना कार्य (एकमुश्त)	12.89	6.39	6.50
8.	2 ग 1 (3)मुख्य बाढ़ नियंत्रण परियोजना (11) कार्य (एकमुश्त)	5.36	3.23	2.13
9.	उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार तथा मुख्य बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान	3.00	-	1.00
	योग -	206.70	76.10	130.60
	कुल योग -	685.69	200.40	485.29

	अनुदान सं० -44			
1.	2 क-4701वृहत एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 2 क 2-02 वृहत सिंचाई (गैर-वाणिज्य) 2 क 2.(1) कोशी परियोजना 2 क 2 (1) पश्चिमी कोशी नहर परियोजना (ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत)	24.00	7.50	16.50
2.	2 क 3 (1) (2) जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ए.आई.बी.बी. के अन्तर्गत मध्यम सिंचाई परियोजना (1) तोराईन जलाशय योजना (11) गुमानी बराज योजना	5.00 5.00	0.40 0.24	4.60 4.76
3.	2 क 3 (3) (2) दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.बी. के अन्तर्गत) (1) ऊपरी किउजल जलाशय योजना (11) दुर्गावती जलाशय	5.00 6.00	1.55 -	3.45 6.00

4.	4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 2. ग 1 (1) (6) (1) उत्तर बिहार बाढ़ प्रुफिंग योजना	2.00	-	2.00
	योग-	58.09	16.21	41.88
	कुल योग	1032.71	489.80	542.91

विभागीय स्पष्टीकरण

संदर्भित उपबंधों में कम व्यय होने का कारण मिश्रित है जिन्हें क्रमवार रूप से नीचे दिया जा रहा है:-

1. सचिवालय/मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रों में हड़ताल।
2. क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ।
3. निविदा न प्राप्त होने की समस्या।
4. स्थानीय समस्यायें।
5. भूमि अधिग्रहण में समस्या एवं विलम्ब।
6. लोक सभा चुनाव से कार्य बाधित होना।
7. वन भूमि का क्लीयरेन्स प्राप्त नहीं होना।
8. ग्रामीणों द्वारा विरोध।

उपर्युक्त कारणों से योजनाओं का निर्माण कार्यक्रम बाधित रहा है जिसके कारण अपेक्षित व्यय नहीं हो सका।

उपर्युक्त के आलोक में कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-2.6

कंडिका-2.6 विभागीय आँकड़ों का असामंजन

सरकारी विभाग के नियंत्री पदाधिकारियों का व्यय पर उचित नियंत्रण रखते हुए राज्य सरकार का स्थायी निर्देश एवं राज्य वित्तीय नियमावली का प्रावधान है कि उनकी पंजियों में दर्ज व्यय को महालेखाकार की बही में दर्ज आंकड़े के साथ निर्धारित समयावधि पर उनके द्वारा सामंजन किया जाए।

वर्ष 1996-97 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं पूर्ववती प्रतिवेदनों में भी विभागीय आंकड़ों का असामंजन इंगित किए जाने एवं सामंजन की आवश्कता पर पर्याप्त बल देने के बावजूद भी नियंत्री पदाधिकारियों की ओर से इस संबंध में उदासीनता बनी रही एवं वर्ष 1997-98 के दौरान भी व्यय पर निभागीय नियंत्रण में शिथिलता जारी रही।

लिखित नियमों की अवहेलना में बारंबार स्मार के बावजूद 1997-98 के दौरा 103 नियंत्री पदाधिकारियों ने लेखे के अन्तिम बन्दी के समय तक 1171 अदद विनियोग के अन्तर्गत लगभग 2702 करोड़ रुपये के व्यय का सामंजन नहीं किया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

राशियों का विभाग वार-विवरण, जिनका वर्ष 1997-98 के दौरान सामंजन नहीं हुआ था, निम्नानुसार है:-

क्र०	विभाग	इकाई (करोड़ रु० में)	असामंजित राशि (करोड़ रु० में)
1.	जल संसाधन (सिंचाई)	01	03.35

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि गृह (आरक्षी), स्वास्थ्य, कल्याण, मानव संसाधन विकास ऊर्जा विधि एवं कृषि (फसल पालन) विभागों के असामंजित व्यय कुल मिलाकर 2471.94 रुपया होते थे।

विभिन्न विभागों के नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा व्यय का निपटारा नहीं किए जाने से गबन, कटप एवं धोखाधड़ी जैसी गंभीर अनियमितताओं का भय था जया कि वर्ष 1996-97 तक पुशपालन विभाग के मामले में देखा गया था। इस विभाग के नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार द्वारा अनुक्रमिक वर्षों के लेखा समाप्त करने के पहले अपने आंकड़ों का निपटारा नहीं किया था।

नियंत्री पदाधिकारियों को विभागीय आंकड़ों का लेखे में दर्ज आंकड़ों से सामंजन कर लेने का सांवधिक संदर्भ नियमावली में उल्लिखित है। मासिक असैनिक लेखे के साथ वित्त आयुक्त को उनके नाम से भेजे गए गुण-विवेचन टिप्पणी में भी असामंजन सम्वन्धी तथ्य का उल्लेख किया गया था। इतना के वावजूद भी उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया व्यय असामंजित रह गया था।

विभागीय स्पष्टीकरण

विगत वर्षों में लेखाओं के समाधान हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता रहा है, जिसका परिणाम परिलक्षित होने लगा है। लेखा समाधान में अब पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है।

जिन कार्यालयों ने विगत वर्षों का लेखा समाधान नहीं कराया है उसे एक माह के अन्दर पूरा करने का आदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दे दिया गया है तथा मुख्यालय से निरन्तर मोनिटरिंग की जा रही है।

उपर्युक्त के आलोक में कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-2,2,4

कंडिका-2,2,4 निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों में व्यय 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई:

क्र०	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचत की राशि (करोड़ रु० में) (प्रावधानों की प्रतिशतता कोष्ठक में)	बचत के मुख्य कारण
1.	44-वृहत एवं मध्यम सिंचाई कमांड क्षेत्र का विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	165.08 (26)	मुख्यत: (i) बजट प्रावधान में 4 प्रतिशत की कटौती (0.67 करोड़ रुपये) (ii) राजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल (1.52 करोड़ रुपये) (iii) वन भूमि के हस्तान्तरण एवं भू-अर्जन कार्यवाही में विलम्ब, ठेकेदारों द्वारा निविदाओं को उपस्थापित नहीं करने, पूर्ववर्ती कार्यों के अनुबन्ध की उपस्थापित नहीं करने, पूर्ववर्ती कार्यों के अनुबन्ध की समाप्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब, कार्य की प्रगति तथा लोग सभा चुनाव के कारण यातायात व्यवस्था में व्यवधान एवं ग्रामीणों द्वारा आपत्ति उठाने (139.26 करोड़ रुपये) के कारण बचते हुयी थी। शेष बचत के लिए कारण सूचित नहीं किए गए है (दिसम्बर 1998)।

विभागीय स्पष्टीकरण

अव्यवहृत राशि का व्यय नहीं होने के लिए निम्नांकित कारणों का सम्मिलित

प्रभाव है:-

1. बजट प्रावधान में कटौती।
2. कर्मचारियों का हड़ताल।
3. वन भूमि हस्तान्तरण एवं भू-अर्जन कार्यवाही में विलम्ब।
4. ठेकेदारों द्वारा निविदा नहीं देना।
5. पूर्व की कार्यों के अनुबंधों की समाप्ति में प्रक्रियात्मक विलम्ब ।
6. लोक सभा चुनाव के कारण व्यवधान।
7. कार्यों पर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति।
8. वित्तीय वर्ष के अंतिम क्षणों में विपत्रों का पारित न हो सकता।
9. जिन बचतों के संबंध में पूर्व में कारण नहीं बताये गये उनके संबंध में भी उपरोक्त कारण ही है। स्थापना मद में बचत भी एक बड़ा कारण है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-2,2.5

कंडिका-2,2,5 निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों में व्ययं 2 करोड़ रुपये से अधिक सतत् बचतें पायी गयी:

क्र०	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	रकम करोड़ रुपये में एवं प्रावधान से उसकी प्रतिशतत कोष्ठ में		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	44-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई, कमांड क्षेत्र का विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	137.25 (28)	57.98 (12)	165.08 (26)

विभागीय स्पष्टीकरण

बजट का निर्माण संभावित व्यय के आंकड़ों पर आधारित रहता है जबकि व्यय वास्तविकता के आधार पर होता है। अत: हूबहू मिलान हो पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि बचत होना आवश्यकमभावी है।

बचत मान्य अधिसीमा (10 प्रतिशत) के अन्तर्गत ही सीमित रहे, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाना संभव हो सकेगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-2.2.8

कंडिका-2.2.8 बचतों का अभ्यर्पण

(क) बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार यह आवश्यक है कि जब तक किसी अन्य इकाई या इकाईयों पर अधिकाई की भरपाई के लिए सुनिश्चित पूर्वालोकन नहीं हो, वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा किए बिना सभी प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण तत्क्षण हो जाना चाहिए। फिर भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 1231.75 करोड़ रुपये का अभ्यर्पण किया गया था।

(ख) निम्नलिखित अनुदानों/विनियोगों, में प्रत्येक में 1.00 करोड़ रुपये से अधिक का बचत अनभ्यर्पित रह गए:

क्र०	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अनभ्यर्पित बचत
		(करोड़ रुपये में)	
I	अनुदान		
1.	44-वृहत एवं मध्यम सिंचाई, कमांड क्षेत्र का विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	165.08	18.26
II	विनियोग		
	44-वृहत एवं मध्यम सिंचाई, कमांड क्षेत्र का विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	323.57	216.62

विभागीय स्पष्टीकरण

उत्तर (ख) बचत अनभयर्पित रह जाने के निम्नलिखित कारण है :

1. निर्गत चेकों का भुगतान नहीं हो सकता।
2. कोषागार आपत्तियों के कारण विपत्रों का पारित नहीं हो पाना।
3. अंतिम क्षणों में आवंटन निर्गत होने के कारण सभी कार्यालयों को आवंटन पत्र नहीं मिल पाना।
4. भू-अर्जन की प्रक्रिया में विलम्ब होना।
5. तकनीकी एवं अन्य कारणों से परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार समय पर नहीं हो पाना।

उपर्युक्त कारणों का निदान करने का प्रयास विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु समय सीमा के अन्तर्गत आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है।

बचत के प्रश्न पर विभाग सचेष्ट है और भविष्य में इसे कम करने के लिये सतर्क रहेगी।

उपर्युक्त कारणों के आलोक में कंडिका विलोपित करने की कृपा की जाय।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.22

कंडिका-4.22 क्षतिपूर्ति पर सूद के भुगतान पर परिहार्य व्यय

राज्य सरकार ने दिसम्बर 1984 में जल एवं भुप्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के निर्माण के लिए 30.89 एकड़ भूमि का अर्जन किया। मार्च 1987 में किये गये

भू-अर्जन के पंचाट की घोषणा के अनुसार विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान (अर्थात भूमि की लागत) 1052 रुपये प्रति कट्ठा एवं उसके उपर अतिरिक्त क्षतिपूर्त्ति 30 प्रतिशत अधिसूचना निर्गत की तिथि (दिसम्बर 1984) से पंचाट की उद्घोषणा अवधितक भूमि की लागत पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष अतिरिक्त मुआवजे के रूप में किया गया तथा भूमि का स्वामित्व लिया गया (जुलाई 1987)

इसके बाद भूमालिकों ने विशेष न्यायाधीश II (भू-अर्जन), पटना के न्यायालय में क्षतिपूर्ति की दर के पुनरीक्षण के लिए एक याचिका दायक की (जुलाई 1989)। न्यायालय ने आदेश पारित किया (मार्च 1991) कि भूमालिक क्षतिपूर्ति के लिए 6060 रुपये प्रति कट्ठा के बढ़े हुए दर तथा अधिसूचना निर्गत की तिथि से पंचाट के उद्घोषणा की तिथि तक अतिरिक्त 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की राशि के हकदार थे। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पंचाट की बढ़ी हुई राशि पर 30 प्रतिशत की दर से मुआवजे का भुगतान एवं क्षतिपूर्ति पर भूमि पर स्वामित्व लेने की तिथि से 1 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के आलोक में मार्च 1991 को सूद के साथ बढ़े हुए मुआवजे की भुगतेय राशि की कुल योग 92.36 लाख रुपये (मुआवजा: 62.56 लाख रुपये तथा सूद : 29.80 लाख रुपये) हो गया।

लेखा परीक्षा (फरवरी 1997) में पाया गया कि विभाग भूमालिकों को भुगतेय को हुए मुआवजे पर अतिरिक्त बढ़े हुए सूद से बचने के न्यायालय के आदेश (मार्च 1991) के बाद आदेशित राशि न्यायालय में जमा करने में असफल रहा तथा नवम्बर 1995 तथा जून 1996 में बढ़े हुए मुआवजे एवं उसपर अक्टूबर 1995 तक सूद के साथ कुल 135.45 लाख रुपये भुगतान किया। न्यायालय में आदेशित राशि जमा करने में 4 वर्षों के अत्यधिक विलंब का मुख्य कारण विधि एवं राजस्व विभाग की सलाह, वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने तथा जल संसाधन विभाग द्वारा बजट में प्रावधान करने में हुआ विलंब था।

अत: कार्य साधकता तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव तथा जल संसाधन विभाग द्वारा उचित प्रतिपादन के अभाव का परिणाम भूमि की

क्षतिपूर्ति के ब्याज शुल्क पर 43.09 लाख रुपये का परिहार्य व्यय निकला। विलंब एवं 43 लाख रुपये का आकस्मिक परिहार्य भुगतान के लिए उत्तरदायित्व का निध रिण नहीं हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1998) उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, फुलवारी शरीफ के निर्माण के लिए 30.89 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1984 में सरकारी दर पर किया गया।

2. भू-मालिकों द्वारा क्षतिपूर्ति के दर के पुनरीक्षण के लिए एक याचिका पटना न्यायालय में दायर की (1989)

3. न्यायालय ने वर्ष 1991 (मार्च) कम आदेश पारित किया जिसके अनुसार कुल क्षतिपूर्ति की राशि 92.36 लाख रुपये हुयी।

4. विभाग द्वारा नवम्बर 1995 तथा जून 1996 में इस राशि को सूद सहित न्यायालय में जमा किया गया जो कुल 135.45 लाख रुपये हुआ । इस प्रकार 135.45 92.36 = 43.09 लाख रुपये सूद के रूप में अतिरिक्त वहन करना पड़ा।

5. विलम्ब के कारणों का पूर्ण विवरण निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास के पत्रांक-1247 दिनांक 16.8.1998 में उल्लिखित है जो महालेखाकार, बिहार को प्रेषत है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है। वास्तव में विलम्ब होने का मुख्य कारण सचिवालय कोषागार द्वारा इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी करार नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि पत्रांक-1247/दिनांक 18.9.98

पत्र संख्या-१७/निरी-८-१२-८११/९८

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेषक,

श्री कुमार राणा अवधेश,
निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सह उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।

विषय:- एगोंपायर्डेसिव एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ काम्पनेसशन, स्पंयरल लैंड एक्जीविशन ऑफिसरख फल्ड कन्ट्रंज स्कीम, पटना।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में अर्द्धसरकारी पत्र सं०-रिपोर्ट शिविल ए.आर. 97-98-4-112 दिनांक 22.8.98 के प्रसंग में मुझे कहना है कि जयघोष राशि की स्वीकृति से संबंधित मूल संचिका की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत मामले में स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. दिनांक 27.3.91 को न्यायालय की डिग्री।

2. दिनांक 8.7.91 को न्यायालय के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति के पश्चात माननीय उच्च न्यायाजय में अपील दायर करने की कार्रवाई की गई (अपील सं०-605/91 से 556/91)

3. दिनांक 7.10.91 को डिक्री की राशि पर सूद जोड़कर 986 1765.04 (अनठानवे लाख एकसठ हजार सात सौ पैसठ रु० एवं चार पैसे) मात्र की मांग

अधियाची पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमंडल संख्या-14, पटना से की गयी।

4. दिनांक 8.6.92 को कार्यपालक अभियंता के द्वारा कोषागार में प्रेषित ब्रेक पर कोषागार पदाधिकारी द्वारा आधारित सभा कर लागत कर दिया गया कि विधि विभाग एवं विधि विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय।

5. दिनांक 24.9.92 को विधि पदा० का मंतव्य प्राप्त हुआ पूजा अवकाश एवं अन्य छुट्टियों के कारण कार्यालय सामान्य: बन्द रहा।

6. दिनांक 14.12.92 को विधि विभाग, बिहार सरकार को 9861765.04 रुपये का स्वीकृत्यादेश के लिए अनुरोध किया गया।

7. दिनांक 11.2.98 को विधि विभाग की सूचना प्राप्त हुई।

8. दिनांक 5.6.93 को विधि विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा विधि विभाग के पृच्छा का उत्तर देने के पश्चात विभाग ने अपने पत्रांक-68 दिनांक 5.6.93 के द्वारा बढ़े हुए सूद को जोड़कर 21112920.59 का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

9. दिनाकं 24.9.93 विधि विभाग से प्राप्त स्वीकृतयादेश जल संसाधन विभाग के माध्यम से विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी को पहुँचा और पूर्ण जाँचोपरान्त पुन: विभाग विचार कर पटना मंत्रिमंडल सचिवालय कोषांग में दाखिल किया गया।

10. दिनांक 3.8.93 को कोषांग पदा0 द्वारा पुन: सहमति प्रकट की गयी जिसमें चन्द आवंटन का आदेश की मांग की गयी।

11. दिनांक 22.8.93 को समाहर्त्ता पटना को वस्तुस्थिति से अवगत कराते पत्रांक 212 दिनांक 22.9.93 के द्वारा विपत्र पारित कर कोषांग पदा0 को निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

12. दिनांक 6.10.93 को कोषांग पदा0 पटना सचिवालय ने अपने पत्रांक 1985 दिनांक 6.10.93 द्वारा वित्त विभाग के आदेश प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया।

13. दिनांक 3.6.95 को कार्यपालक अभियंता से 12500000.00 (एक करोड़

पच्चीस लाख रू) का आदेश प्राप्त हुआ क्योंकि इस बीच बढ़े राशि सूद समेंत 1252,487,87 रू0 सूद हो चुकी है।

14. दिनांक 18.4.95 को कार्यालक अभियंता से 12500000.00 रू0 ब्रेक विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना के प्रापति चेक सं0-965520 दिनांक 1268.95

15. दिनांक 17.7.95 को भरी वैज्ञानिक प्रक्रियात्मक एवं न्यायालय की आपत्तियों को पूरा करते हुए के द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाद् सुरक्षा योजना, पटना के चेक सं0 918905 दिनांक 17.7.95 के द्वारा 12500000.00 भू-अर्जन न्यायधीश के न्यायालय में जमा किया गया न्यायालय की आपत्ति यह थी कि इसी बीच सूद की राशि बढ़ने से कुल राशि 12500000.00 (एक करोड़ पचीस लाख रूपये) चेक संख्या-918917 दिनांक 17.6.96 के द्वारा जमा किया गया जिसमें से आयकर विभाग के आदेशानुसार आयकर राशि 728874.72 पैसा बढ़कर चलान सं0-109 दिनांक 12.12.96 के द्वारा आयकर विभाग में जमा कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना द्वारा बारमबार आपत्ति किये जाने पर विधि विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये अर्थात प्रक्रियागत कारणों से इस मामले में जयघोष राशि न्यायालय में जमा करने में इतनी लंबी अवधि का समय लग गया और न्यायालय के फैसलानुसार 15 प्रतिशत के दर से सूद की राशि का भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार इसमें विशष भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्ष येाजना, पटना और जल संसाधन विभाग का कोई दोष नहीं है।

कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

समिति का निष्कर्ष एंव सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.23

कँडिका-4.23 सरकारी धन का गबन : 15.23 लाख रूपये

सोन नहर प्रमंडल, आरा (भोजपुर) का रोकड़पाल 23 जून 1997 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। उसी तारीख को अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) के आदेश से अ.अ. के तकनीकी सलाहकार द्वारा तत्काली कार्यपालक अभियंता को, जो स्थानान्तरण के उपरांत प्रभार देने में विलंब कर रहे थे, विरमित किया गया था । यद्धपि भूतपूर्व कार्यपालक अभियंता ने रोकड़ का प्रभार नहीं दिया। रोकड़पाल की अनुपस्थिति तथा कार्यपालक अभियंता के विरमित होने के बाद अ.अ. के निर्देश पर अन्य कार्यपालक अभियंता द्वारा समाहर्त्ता की उपस्थिति में किये गये रोकड़ की भौतिक सत्यापन (8 जुलाई 1997) में मा. 1 रूपया रोकड़ शेष पाया गया।

का.अ. जो 23 जून 1997 को विरमित हुए थे, ने 7 जुलाई 1997 को 4 लाख रूपये के संदिग्ध गबन के लिए रोकड़पाल के विरूद्ध पुलिस (नवादा) में प्रथम सूचना रपट दर्ज किया। उसके बाद का.अ. ने जिन्होंने रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन किया, अनिर्दिष्ट राशि जो जाँच के अधीन था, के लिए तत्कालीन का. अ. एवं तत्कालीन रोकड़पाल के विरूद्ध 9 जुलाई 1997 को पुलिस में प्रथम सूचना रपट दर्ज किया। पुलिस जाँच का परिणाम उपलब्ध नहीं था (अगस्त 1998)।

लेखा परीक्षा संवीक्षा (अगस्त 1997) से 15.23 लाख रूपये का गबन प्रकट हुआ जो निम्नानुसार था:

(क) सहायक रोकड़ पंजी सी संबंधित गबन

(i) सहायक रोकड़ पंजी से संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31.3.97 का रोकड़ शेष 2.26 लाख रूपये था, जिसमें से अप्रील-जून 1997 के बीच 0.50 लाख रूपये वितरित किये गये थे तथा शेष 1.76 लाख रूपये गबन कर लिए गए थे।

(ii) वेतन एवं भत्ते तथा अन्य दावे के भूगतान के लिए अप्रील 1997 के दौरान कोषागार से 69 विपत्र के द्वारा 36.87 लाख रूपये निकाले गये थे। इसमें से 28.95 लाख रूपये वितरित (अप्रील-जुलाई 1997) किये गए तथा शेष 7.92 लाख रूपये गबन कर लिया गया, जो निम्नानुसार था:

क्र०	लेखा शीर्ष	निकासी की गई विपत्रों की सं०	कोषागार से निकासी की गयी राशि	वितरित राशि (लाख रू० में)	अभुगतित तथा गबनित राशि (लाख रू० में)
1	2701-सिंचाई	50	31.5	26.13	5.37
2	8005 सा.भ.नि.	12	3.61	1.72	1.89
3	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1	0.03	0.03	
4	2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4	1.06	0.40	0.66
5	8011-ग्रुप बीमा	2	0.67	0.67	
	कुल	69	36.87	28.95	7.92

अप्रील-जुलाई 1997 के दौरान निकासी की गई राशि एवं कर्मियों को वितरित की गयी राशि सहायक रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं थी तथा इसे 31 मार्च 1997 का बंद नहीं किया गया था।

(iii) अनुमंडलीय पदाधिकारी, रामनगर को अप्रील 1996 से मार्च 1997 के दौरान अग्रिम के भुगतान के रूप में 4.13 लाख रूपये दर्शाया गया था। रोकड़ पंजी के सदृश सत्यापन में अनुमंडल में मात्र 0.25 लाख रूपये की प्राप्ति प्रकट हुई। 3.88 लाख रूपये के शेष अग्रिम के हस्तरसीद की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि संबंधित का.अ. तथा सहायक अभियंता द्वारा प्राधिकृत किये बगैर अवर प्रमंडल के 2 कोषागार गार्ड को 1.13 लाख रूपये अग्रिम दिया गया था (अगस्त-नवम्बर 1996) । प्रमंडल में 2.75 लाख रूपये की हस्तरसीद उपलब्ध नहीं था।

(ख) कार्य रोकड़ पंजी से संबंधित गबन

(i) प्रमंडलीय रोकड़ पेटिका के भैतिक सत्यापन के दौरान 1.55 लाख रूपये के अंतशेष के विरूद्ध मात्र 1 रूपया पाया गया। यह शेष 20 जून 1997 के अंतशेष को दर्शाता था इसके बाद न तो कार्य रोकड़ पंजी को बंद किया गया न ही कोई देन हुआ। इस प्रकार 1.55 लाख रूपये की कुल राशि गबन कर ली गयी थी।

अंतशेष के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 1.55 लाख रूपये में से 0.82 लाख रूपये मई-जून 1997 के दौरान स्वचेक के विरूद्ध निकासी की गयी राशि तथा

0.73 लाख रूपये प्रमंडल में जून 1995 तथा मई 1997 के दौरान वसूल किये गये राजस्व के अप्रेषित शेष का प्रतिनिधित्व करता था।

(ii) रोकड़ प्रप्ति की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि प्रमंडलीय रोकड़पाल द्वारा फरवरी 1996 के दौरान दो रोकड़ रसीद (सं0-04878 तथा 79 दिनांक 27.2.1996) के विरूद्ध 0.12 लाख रूपये प्राप्त किये गये थे। कार्य रोकड़ पंजी में इसे प्राप्ति के रूप में नहीं लिया गया था। इस प्रकार 0.12 लाख रूपये का गबन किया गया था।

कुल गबनित राशि 15.23 लाख रूपये थी तथा यह विभिन्न स्तरों पर नियमों का पालन नहीं किये जाने एवं निम्नलिखित किलताओं के कारण संभव हआ:

(क) रोकड़ पंजी प्रतिदिन बंद एंव मिलान नहीं किया गया तथा का.अ. द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान की मदों की प्रविष्टि को उनके प्राप्ति एवं भुगतान को संदर्भित करते हुए अभिप्रमाणित नहीं किया गया।

(ख) रोकड़ पेटिका के उभय ताले की दोनों चबियाँ रोकड़पाल के हिरासत में थी।

(ग) प्रमंडल में राजस्व के रूप में प्राप्ति की गयी राशि को तत्काल कोषागार में प्रेषिति नहीं किया गया।

(घ) बिना तत्काल आवश्यकता के स्वचेक की निकासी की गयी जिसके कारण परिणाम स्वरूप पेटिका में रोकड़ का जमाव हुआ।

(ङ) का.अ. एवं प्रमंडलीय लेखा अधिकारी ने अनुकमंडलीय लेखे की सामायिक जाँच नहीं की तथा वित्त विभाग द्वारा रोकड़ प्रबंधन के संबंधी में फरवरी 1978 में निर्गत सरकारी निदेश का पालन नहीं किया।

का.अ. ने कहा (अगस्त 1998) कि रोकड़पाल एवं भूतपूर्व का.अ. को निलंबित (जुलाई 1997 एवं अगस्त 1997) कर दिया गया था। अगस्त 1998 तक विभागीय जाँच का परिणाम प्रतिक्षित था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1998), उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)

विभागीय स्पष्टीकरण

सोन नहर प्रमंडल , आरा में गवन के मामले का डिटेक्शन क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता द्वारा किया गया और उसके आधार पर रोकड़पाल को दिनांक 9.8.97 से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाई गई।

यदि छुटी हुई अवधि के कैश बुक को लिख दिया जाता तो गबन की राशि 15.33 लाख रूपये से घटकर 6.57 लाख रूपये होगी, जैसा कि क्षेत्रीय पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया है जिसका व्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) वर्ष 1994-95 से जून 1997 तक स्थापना में भरपाई के बाद अवशेष राशि	4,90,750,00 रूपया
(2) कार्य (रोकड़बही का अवशेष राशि)	1,54,594,00 रूपया
(3) मनी रसीद के विरूद्ध प्राप्त राशि	12,141,00 रूपया
	6,57,485,00 रूपया

इसमें आरा-नवादा थाना कांड संख्या- 160/97 एवं 161/97 दायर है।
रोकड़पाल को आदेश संख्या- 912 दिनांक 12.12.01 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
लेखा के विरूद्ध भी कार्रवाई हेतु महालेखाकार को लिख दिया गया है।
अतः विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर से संतुष्ट होकर समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.24

कंडिका-4.24 कोषागार से 8.69 लाख रूपये की कपटपूर्ण निकासी

जिला लेखा अधिकारी, देवघर से 8.14 लाख रूपये की देवघर कोषागार से कपटपूर्ण निकासी का प्रतिवेदन प्राप्त (फरवरी 1995) होने पर अधीक्षण अभियंता (अ.अ.), रूपांकण अंचल जल संसाधन विभाग, देवघर ने अपने कार्यालय के एक कर्मियों तथा कोषागार के अन्य कर्मियों के विरूद्ध अप्रील 1991 से जून 1994 के दौरान कपटपूर्ण निकासी के लिए 19 फरवरी 1995 को देवघर पुलिस में प्रथम सूचना रपट दर्ज किया । इसके पहले, कोषागार पदाधिकारी, देवघर ने भी अ.अ. के कार्यालय के 10 पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध कोषागार से कपटपूर्ण निकासी के लिए पुलिस में सूचना रपट दर्ज (16 फरवरी 1995) किया था। पुलिस का जाँच प्रतिवेदन प्रतीक्षित था (मार्च 1998)।

लेखा परीक्षा समीक्षा (सितम्बर 1995) से प्रकट हुआ कि 17 जनवरी 1989 से 6 फरवरी 1995 के दौरान "8005 सामान्य भविष्य निधि" (8.35 लाख रूपये) तथा "4701 सिंचाई" (0.34 लाख रूपया) शीर्ष के अन्तर्गत 14 विपत्रों के विरूद्ध 8.69 लाख रूपये की कपटपूर्ण निकासी कोषागार से की गई। इस तरह निकासी की गयी राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया न ही कर्मियों को वितरित किया गया था गबन कर लिया गया।

अधीक्षण अभियंता तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण कपटपूर्ण निकासी संभव हुई, जैसा नीचे विमर्शित है:

(क) नियम निर्धारित करता था कि रोकड़ संचालय के कार्य की जिम्मेवारी उचित प्रतिभूति एवं जमानत प्राप्त करने के बाद एक स्थायी विश्वास योग्य कर्मी को सौंपनी चाहिए थी। हालांकि अ.अ. ने एक दैनिक वेतन भोगी टंकक को स्थापना लिपिक साथ ही साथ कार्यालय का रोकड़पाल के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया। अ.अ. ने कहा (मई 1997)कि कर्मियों की कमी के कारण उसे रोकड़ का कार्य सौंपा गया था। यह स्वीकार्य नहीं था। क्योंकि वे अंचल के किसी अन्य कर्मी को लगा सकते थे या अन्य प्रमंडल से किसी दूसरे कर्मी का स्थानांतरण की जिम्मेवारी के संचालन हेतु कर सकते थे ।

(ख) अंचल कार्यालय में उनके द्वारा सामान्य भविष्य निधि अग्रिम तथा अन्य दी गयी स्वीकृतियों की उचित निगरानी के लिए स्वीकृति पंजी के संधारण की व्यवस्था नहीं थी। यह पाया गया कि संबंधित कर्मी से अग्रिम के लिए आवेदन प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया था। उनके कार्यालय द्वारा संधारित निर्गत पंज़ी के माध्यम से स्वीकृति आदेश निर्गत नहीं किया गया था। अ.अ. ने कहा (फरवरी 1998) के स्वीकृति आदेश जाली था।

(ग) कोषागार पदाधिकारी भी भुगतान करने के पहले निकासी पदाधिकारी के हस्ताक्षर मिलान करने में असफल रहे। पुनः व्यक्तिगत कर्मी के विरूद्ध जमा के साथ-साथ निकासी अंकित करने के लिए सा.भ.नि. के पास बुक का ंधारण अंचल कार्यालय में नही होता था।

यह भी पाया गया कि मई 1991 से मार्च 1994 की भुगतान अनुसूची कोषागार द्वारा जिला भविष्य निधि कार्यालय, देवघर को सितम्बर 1994 अर्थात 45 महीने बाद भेजी गयी, जो इंगित करता था कि कपट पूर्ण निकासी की तुरंत पहचान से बचने की मंशा से देरी की गयी थी । अतः कपटपूर्ण निकासी में कोषागार कर्मियों की संलिप्तता निर्विवाद थी ।

(घ) अ.अ. द्वारा कोषागार/बैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए अ.अ. कार्यालय के सिर्फ कोषरक्षक को ही अधिकृत किया गया था। उसकी पहचान के लिए संवादक पुस्तिका पर उसका फोटो चिपका था तथा भुगतान करते समय अधिकृत कर्मी की पहचान का मिलान आवश्यक था। कोषागार /बैंक कोषरक्षक का हस्ताक्षर तथा फोटो मिलान करने में असफल रहे, परिणामतः कोषागार पदाधिकारी द्वारा कपटपूर्ण निकासी को रोका नहीं जा सका ।

(ङ.) संवाहक द्वारा प्रत्येक विपत्र कोषागार पंजी के उचित स्तम्भ में हस्ताक्षर करने के बाद प्राप्त करना था जबकि, नमूना जाँच में पाया गया कि संवादक द्वारा कोषागार संवाहक पंजी में हस्ताक्षर किये बगैर ही 4 विपत्र प्राप्त किये गये थे। पुनः कोषागार संवाहक पंजी के अनुसार एक विपत्र (8500 रूपये

के लिए 74/90-91) के विरूद्ध कोषागार/बैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए श्री अलाउद्दीन अंसारी, कोषरक्षक को अधिकृत किया गया था, लेकिन कोषागार का एडवइस रजिस्टर दर्शाता था कि प्राप्ति एक दैनिक वेतनभोजी टंकक, श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा किया गया था। कोषागार पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के जाली हस्ताक्षर को कोषागार संवाहक पंजी में नमूना हस्ताक्षर से तुलना करके पहचान करने में असफल रहे।

(च) नियमानुसार नये कोषागार संवाहक पंजी निर्गत करने के पहले कार्यालय द्वारा पुराने एवं व्यवीहृत कोषागार संवाहक पंजी कोषागार को लौटाना था। इसके विपरीत, यह पाया गया कि कोषागार सहायक पंजी (सं0- 012137) के सारे पृष्ठ व्यवहृत थे। इसके बाद भी कोषागार संवाहक पंजी के पीछे के पृष्ठ, जो कोषागार पदाधिकारी द्वारा आपत्ति नहीं की गयी थी। अधीक्षण अभियंता ने कहा (फरवरी 1998) कि नये कोषागार संवाहक पंजी के कोषागार मे अनुपलब्धता के कारण, कोषागार के निदेशानुसर विपत्र को कोषागार संवाहक पंजी के पिछले पृष्ठ में दर्ज करने के बाद कोषागार भेजा गया था। यह स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोषागार पदाधिकारी द्वारा कोषागार में कोषागार संवाहक पंजी की अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र तथ कोषागार संवाहक पंजी के पिछले पृष्ठ को उपयोग में लाने का निर्देश उपलब्ध नहीं था ।

(छ) संवीक्षा से यह भी प्रकट हुआ कि विपत्र पंजी के सभी स्तम्भ उचित तरीके से दर्ज नहीं हुए थे। कुछ मामलों में भुगतान से संबंधित स्तम्भ भी भरे हुए नहीं पाये गये। विपत्र पंजी में विपत्र के विरूद्ध भुगतान को कोषागार प्रमाणक संख्या भी दर्ज नहीं पाया गया।

अत: अधीक्षण अभियंता निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा संहित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण 8.69 लाख रूपये की कपटपूर्ण निकासी एंव गबन संभव हुआ। अधीक्षण अभियंता एवं अन्य वरीय अधिकारियों द्वारा जिम्मेवारी निधारित करने एवं

गबन की गई राशि की वसूली के उद्देश्य से फरवरी 1998 तक कोई विभागीय जाँच नहीं करायी गयी थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1998) : उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)

विभागीय स्पष्टीकरण

मुख्य अभियंता, देवघर ने श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, रोकड़पाल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, कोषरक्षक को निलंबित किया। इसके पश्चात् इनके विरूद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडींग चलायी गयी और उन्हें विभागीय आदेश सं0-240 दिनांक 21.8.2000 एवं 241 दिनांक 21.8.2000 द्वार डिसमीस किया गया।

2. मुख्य अभियंता, देवघर के प्रतिवेदन में तकनीकी सलाहकार (जे डी.डी.ओ. थे) उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं था, अत: उनके विरूद्ध काई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे भी इनमें से 3 का0 अ0 (जिसमें 2 वर्ष 92 में एवं 1 वर्ष 95) सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक सेवा में हैं जिनपर भी क्रीमीनल केश नहीं दायर है लेकिन चार्जशीट समर्पित नहीं हुआ है।

3. श्री अनिल कुमार शर्मा दैनिक वेतन भोगी की सेवा विपत्र लिपिक के रूप में लेने हेतु स्व0 मुनेश्वर प्रसाद, अ.अ. ने रखा था लेकिन इन्हें कभी भी ट्रेजरी मैसेन्जर के रूप में नियुक्ति नहीं किया गया, लेकिन ट्रेजरी के कर्मचरी इन्हें विपत्र प्राप्त कराते रहे, अत: कोषागार कर्मचारी एवं इनके बीच सांठ-गांठ था।

4. टी.भी. नं. नहीं लेने एंव अन्य आरोंपों के लिए रोकड़पाल एवं कोषरक्षक को सेवा से बर्खास्त किया गया है। विपत्र पंजी में फ्रौडूलेन्ट विपत्र नहीं था। यदि फ्रौडूलेन्ट विपत्र रहता और इसका औथेन्टिकेशन डी.डी.ओ द्वारा किया जाता है तो अवश्य ही उनकी सहभागिता बनती लेकिन ऐसा नहीं है।

5. मैसेन्जर बुक के पन्ने के उल्टे (पिछले)भाग को व्यवहार में लाना, मैसेन्जर बुक की कमी रहा है।

6. देवघर थाना कांड सं0- 31/95 दिनांक 16.2.95 में यदि इनके विरूद्ध किसी

तरह का निर्याय न्यायालय द्वारा होता है तो वे स्वयं दंडित हो जायेंगे।

7. वित्त विभाग द्वारा कोषागार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसके लिए वित्त विभाग से पूछा जा सकता है।

8. अत: जल संसाधन विभाग द्वारा इस मामले में समूचित कार्रवाई की गयी है डिपार्टमेंटल एक्शन एवं क्रीमीनल केश के रूप में। क्रीमनल केश में विभाग द्वारा हर प्रकार का सहयोग दिया गया है और दिया जायेगा।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका- 4.26

कंडिका- 4.26 पी.सी.सी. टाईल्स का दुर्विनियोजन: 9.70 लाख रूपये

कार्यपालय अभियंता, लघु सिंचाई वितरर्णी सं0-3, मानगों, जमशेदपुर, सुवर्णरेखा परियोजना ने पूर्ववती आर.डी. 142.06 पर डिमानाझोर के चांडिल नहर के बायें किनारे कार्य एवं अस्तर के निर्माण के लिए 44.43 लाख रूपये की लागत पर संवेदक 'अ' के साथ एक अनुबंधन किया (जुलाई 1987)। अक्टूबर 1988 (मार्च 1990 तक विस्तारित) तक पूरा करने के लिए कार्य जुलाई 1987 में प्रारम्भ हुआ। यद्यपि नवम्बर 1990 से कार्य में कोई प्रगति नहीं थी तथा मार्च 1998 तक कार्य पूरा नहीं हुआ था।

लेखा परीक्षा संवीक्षा (जनवरी 1997) के प्रकट हुआ कि संवेदक का, नवम्बर 1990 तक कार्यान्वित कुल कार्य के लिए 47.92 लाख रूपया का भुगतान हुआ था। भुगतान में 9.70 लाख रूपये लागत के मिट्टी कार्य तथा 1.60 लाख (19,600 वर्ग मी.) पी.सी.सी टाइल्स का मुल्य सम्मिलित था। स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता ने मार्च 1988 में 40,000 पी.सी.सी. टाईल्स (मूल्य 2.42 लाख रूपये) स्थल लेखे में दर्ज किया तथा साथ ही साथ संवेदक को निर्गत किया। नवम्बर 1990 में कार्य बन्द हो जाने के काफी बाद भी उन्होंने पुन: मार्च 1991

में संवेदक को 1.20 लाख पी.सी.सी. टाइल्स (7.28 लाख रूपये मुल्य के) निर्गत किया। अत: संवेदक को आपूर्ति तथा निर्गत सामग्री संदेहास्पद थी तथा दुर्विनियोजित की गयी।

अत: 9.70 लाख रूपये मूल्य के पी.सी.सी. टाइल्स का दुर्विनियचोग किया गया जिसके लिए कार्यपालक अभियता द्वारा कोई जाँच नहीं की गयी तथा जून 1998 तक कोई जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की गयी थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1998), उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)।

विभाग के आयुक्त एंव सचिव ने उत्तर देने के लिए 30 नवम्बर 1998 तक का समय मांगा था ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

1. लघु वितरयाी प्रमंडल सं0-3, मानगों, जमशेदपुर में 1,52,000 टाईल्स के शर्टेज के लिए 8 पदाधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है।

2. 1,52,000 टाईल्स का मूल्य 9.16 लाख रूपये है। संवेदक के जमानत की राशि प्रमंडल में 2.22 लाख रूपये जमा हैं, अर्थात अंतर 9.16 - 2.22 = 6.94 लाख रूपये हैं।

3. संवेदक को एच.आर. पर टाईल्स दिया गया है और वे इसे लौटाने के लिए भी तैयार है।

4. अतः विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की गयी है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोग में समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) कंडिका- 4.27

कंडिका-4.27 अनुबंध के अक्रियान्वयन के कारण 2.48 करोड़ रूपये का जल-कर अवसुलित रहा ।

बिहार सरकार ने बिहार स्पौंज आयरन लिमिटेड (फैक्ट्री), होमांड चांडिल को चंडिल बांध पूरा होने तक नागर एवं औद्योगिक उपयेाग के लिए सीधे सुवर्णरेखा नदी से प्रतिदिन 10 लाख गैलन पानी लेने का आदेश इस शर्त के साथ दिया कि जब तक चांडिल बांध जल भंडारण एवं आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो जाता तब तक फैक्ट्री का ऐसे उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निधार्रित जल के नागर एवं औद्योगिक उपयेाग के लिए वसूलनीय शुल्क निर्दिष्ट नहीं किया था।

लेखा परीक्षा (सिमम्बर 1996) में यह पाया गया कि बांध दिसम्बर 1992 से ही जल के भंडारण एवं आपूर्ति करने के स्थिति में थी। सुवर्णरेखा परियोजना ने फैक्ट्री द्वारा अप्रील 1989 में नागर एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल के उपयोग शुरू करने के पहले, जल कर के समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए, फैक्ट्री के साथ कोई अनुबंध नहीं किया थ। कार्यपालक अभीयंता, सुवर्णरेखा बांध प्रमंडल संख्या-2, चांडिल द्वारा 7 वर्षों बाद, जून 1996 में फैक्ट्री को भेजे गये प्रारूप संविदा का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के एक संगठन जल एवं उर्जा परामर्शी सेवा (वापकोस) के सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर आधारित प्रतिदिन 30 लाख गैलन जल की नागर एवं औद्योगिक खपत के लिए अप्रील, 1989 से जुलाई 1996 के जल कर बकाया देय के मद में 1.95 करोड़ रूपये का दावा भेजा (अगस्त 1996) । यह दावा प्रमंडल द्वारा फरवरी 1996 फैक्ट्री के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए 25.60 लाख रूपये के प्रथम दावे का संशोधन था।

फैक्ट्री जल कर का भुगतान तथा संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किया तथा जुलाई 1997 में उच्च न्यायालय, पटना-राँची पीठ में इस आधार पर निवेदन किया कि बांध जून 1993 में पूरा हुआ था । जिसके पहले फैक्ट्री द्वारा जल औद्योगिक उपयेाग के लिए जुलाई 1983 मे सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी अनुमति के अनुसार फैक्ट्री का कोई जल-कर का भुगतान नहीं करना था। फैक्ट्री ने प्रयोग किये गये जल की मात्रा पर भी विवाद किया। न्यायालय का आदेश जून 1998 तक प्रतीक्षित था।

अत: फैक्ट्री द्वारा अप्रील 1989 में शुरू किये गये जल के उपयोग के पहले जल के नागर एवं औद्योगिक उपयोग तथा उसके द्वारा जल-कर का भुगतान के लिए फैक्ट्री के साथ किसी तरह के अनुबंध में शामिल होने में सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप न्यायालय में परिहार्य मुकदमें बाजी हुई तथा मार्च 1998 तक जल - कर का 2.48 करोड़ रूपये अवसूलित रहा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 1998) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

बिहार स्पंज आयरन लि0 चांडिल, जमशेदपुर, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 एवं निजी क्षेत्र का संयुक्त उद्यम है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध पर सुवर्णरेखा नदी से 1 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन पम्प करने की अनुमति मुख्य अभियंता, चांडिल के पत्रांक- 2126 दिनांक 12.10. 83 द्वारा दी गई। चूंकि कम्पनी द्वारा वर्ष 1989 में पानी के उपयोग के लिए एक संरचना का निर्माण हुआ जिसकी पम्प (2 अदद) क्षमता 79 LPS है।

2. अत: परियोजना पदाधिकारियों द्वारा दिसम्बर 1992 में मे0 बिहार स्पंज आयरन लि0 से एकरारनामा करने का अनुरोध किया गया: कम्पनी द्वारा एकरारनामा के लिए उपस्थित न होने पर उन्हें पुन: अक्टूबर, 95 में स्मारित किया गया। कम्पनी द्वारा एकरारनामा नहीं किये जाने पर विपत्र भेजना प्रारम्भ किया गया एवं पश्चात् अनुधि के लिए एकरारनामा का प्रारूप वर्ष 1989 से ही गणना कर विपत्र के साथ कम्पनी को भेजी गयी। कम्पनी द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया और न ही विपत्र का भुगतान किया गया। विपत्र की राशि सूद रहित जुलाई 1996 तक 1.95 करोड़ रूपये आंका गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग का भी प्रतिष्ठान (बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना) को अपने स्तर से एकरारनामा करने हेतु निदेशित करने का अनुरोध पत्रांक -222 दिनांक 17.8.99 द्वारा किया गया है।

3. परन्तु इसी बीच कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के राँची बेंचमेंसी, डब्लू.जे.सी 1832/97 दायर कर दिया गया। सुनवाई प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कम्पनी द्वारा एक लाख रूपया जमा किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30.8.99 के न्यायदेश द्वारा पूर्व के विपत्र को अमान्य कर दिया गया है तथा मुख्य अभियंता, चांडिल को कम्पनी के अभ्यावेदन पर जल की मात्रा तथा डिमांड नियत करने का आदेश प्राप्त हुआ है (सी.डब्लू.जे.सी. 1832/97 दिनांक 30.8.99 की प्रतिलिपि संलग्न)।

4. मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स ने बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (दिनांक 9.3.2000) एवं उनके प्रतिनिधि को सुनने तथा दिनांक 18.5.2000 को स्थल निरीक्षण के बाद मुख्य अभियंता चांडिल द्वारा दिंनाक 7.11.2001 को यह तार्किक आदेश पारित किया कि दिनांक 20.4.89 के उपरान्त 30.00 लाख गैलन प्रतिदिन की मात्रा का निर्धारण न्यायोचित है। (छाया प्रति संलग्न)।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभागीय उत्तर से समिति संतुष्ट है और इस कंडिका - 4.28

कंडिका 4.28 जल कर की वसूल के लिए टिस्को के साथ अनुबंध करने में विफलता

टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी (टस्को) ने सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना (सु.ब.प.) के चांडिल जलाशय से सन् 2000 वर्ष मे प्रतिदिन 2000 लाख गैलन तथा सन् 2025 वर्ष में प्रतिदिन 3000 लाख गैलन जल की मांग प्रक्षेपित की। चांडिल बांध ने 1992 से जल भंडारण तथा नवम्बर 1992 से 750 लाख गैलन प्रतिदिन की औसत दर से टिस्को को जल की अनवरत आपूर्ति शुरू की।

प्रशासक, सु.ब.प. ने जल की आपूर्ति तथा जल कर इत्योदि के भुगतान से संबंधित अन्य शर्तों को अंतिम रूप देने तथा अनुबंध करने के लिए टिस्को से अनुबंध नहीं किया गया तथा अनुबंध करने के लिए टिस्को से अनुबंध (दिसम्बर 1992) किया। कंपनी ने कोई अनुबंध नहीं किया तथा अनुबंध से कुछ संशोधन

का सुझाव (सितम्बर 1991) दिया। सु.ब.प. ने टिस्को के इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। तदंतर, टिस्को द्वारा नवम्बर 1992 से जून 1993 की अवधि में किये गये जल के उपयोग के लिए सु.ब.प. ने जल संसाधन विभाग द्वारा दिसम्बर 1992 में निर्धारित 3.00 रूपया प्रति गैलन के प्रचलित दर से 3.16 करोड़ रूपये (मई 1995 में पुनरीक्षित: 8.25 करोड़ रूपये) का विपत्र प्रस्तुत (सितम्बर 1993) किया। इसके विरूद्ध कंपनी ने पटना हाईकोर्ट के राँची पीठ में मुख्यत: तीन आधारों पर दावें की चुनौती देते हुये याचिका दायर (1993) की यथा (1) मांग गैर कानूनी तथा मनमाना था (11) कम्पनी आठ दशकों से उसके जल का उपयोग करते हुए, सुवर्णरेखा नदी के जल के मामले में स्वामित्व का हक रखती थी (111) सु.ब.प. का कार्य पूरा नहीं हुआ था ।

सरकार (जल संसाधन विभाग) ने अपने प्रतिशपथ-पत्र में कंपनी के अधिकारों का खंडन किया तथा कहा कि नदी घाटी का अधिकार केवल घाटी के निवासियों को प्राप्त था न कि प्रार्थी जैसे किसी संगठन को। उसने बताया कि यह भी गलत दावा था कि सरकार द्वारा मांगे गये भुगतान गैर कानूनी तथा मनमाने थे बल्कि कंपनी द्वारा नियत आवश्यकतानुसार जल के भंडारण तथा आपूर्ति में किये गये निवेश पर उचित वापसी सुनिश्चित करते हुए सेवा शुल्क पर आधारित था। न्यायालय का आदेश प्रतीक्षित था (अगस्त 1998)

यद्यपि यह पाया गया (मई) 1998 कि मुख्यमंत्री, बिहार के बबात मे सरकार के प्रतिनिधियों एवं कंपनी के बीच हुई बैठक में लिये गये निर्णय (मई 1995) के आधार पर कंपनी ने 46.54 करोड़ रूपये की विपत्रित राशि के विरूद्ध तदर्थ आधार पर कुल 16.00 करोड़ रूपये की राशि (मई 1995 में 8.00 करोड़ रूपये, मार्च 1997 में 5.00 करोड़ रूपये तथा फरवरी 1998 में 3.00 करोड़ रूपये) का भुगतान किया। 30.54 करोड़ रूपये की विपत्रित राशि पर 18 प्रतिशत की दर पर परिकलित 5.50 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की आवर्ती हानि शामिल थी।

चांडिल बांध के संग्रहरण बिन्दु से जल की आपूर्ति से पहले टिस्को से अनुबंध के क्रियान्वयन में सु.ब.प. की विफलता के परिणामस्वरूप परिहार्य मुकदमेबाजी तथा टिस्को से जल-कर की वसूली में अनिश्चितता हुई (मई 1998)

सरकार ने कहा (जून 1998) कि कंपनी से शेष राशि की वसूली कोर्ट के निर्णय के बाद की जायेगी।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा सुवर्णरेखा परियोजना के आयोजन एवं निर्माण की सूचना वर्ष 1973 में टिस्को को दी गयी थी। तत्पश्चात् इस संबंध में टिस्को के प्रतिनिधियों के साथ वर्ष 1983, 1985 तथा 1986 में कई बैठकें की गयी और उन्हें परियोजना का प्रारूप स्पष्ट किया गया तथा यह जानकारी भी दी गयी कि उपयोग में लाये जाने वाले पानी के लिए उन्हें भुगतान करना होगा। इसी क्रम में प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना द्वारा अपने पत्रांक- 1489 दिनांक 16.8.88 से टिस्को प्रबंधन का संवर्णरेखा परियोजना से पानी लेने के सबंध में एक प्रारूप एकारनामा उपलब्ध कराया गया। कालांतर में टिस्को प्रबंधन से प्राप्त सुझाव के अनुसार मूल एकरारनामा में कतिपय संशोधन कर उसे टिस्को को सहमती के लिए भेजा गया। वर्ष 1990 में टिस्को द्वारा इस एकरारनामा में भी कुछ संशोधन प्रस्तावित करते हुए प्रस्तुत किया गया। पुन: टिस्को द्वारा सितम्बर 1992 में इसमें कतिपय संशोधन का अनुरोध किया गया। परियोजना प्रशासक द्वारा दिसम्बर 92 में टिस्को के प्रबंध निदेशक से एकरारनामा के टर्म्स एंव कंडीशन पर वार्ता करते हुए अंतिम रूप दिये जाने का अनुरोध किया गया। इस बीच परियोजना द्वारा टिस्को प्रबंधन को की गयी जलापूर्ति के लिए विपत्र भेजा गया (वर्ष 93) । इसके विरूद्ध टिस्को द्वारा मामले को न्यायालय में ले जाया गया एवं एकरारनामा नहीं हो सका । इस प्रकार विभाग परियोजना के प्रारम्भ से ही एकारनामा के लिए प्रयासरत रहा ।

2. टिस्को द्वारा सुवर्णरेखा नदी के पानी पर अपना "रिपेरियन एण्ड प्रेस्कोप्टिव राईट" को दर्शाते हुए माननीय उच्च न्ययालय में सी.डब्लू.जे.सी. 3819/ 93 (आर)दायर किया गया। दिनांक 24.3.93 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसमें जलापूर्ति के भुगतान हेतु भेजे गये विपत्र के भुगतान पर Coercive कदम उठाने पर विभाग को मना कर दिया गया साथ इस आदेश के संशोधन हेतु विभाग को स्वतंत्रता भी दी गयी। विभाग की ओर से

दिनांक 22.6.94 को अपील दर्ज कर दिया गया है। दिनांक 5.2.95 को स्पेशल मेंशन याचिका के माध्यम से मामले पर शीघ्र सुनवायी करने का भी अनुरोध किया गया है ।

3. टिस्को को हर माह विभाग निर्धारित दर के आधार पर आपूर्ति जल का विपत्र भेजा जाता रहा है। फरवरी 98 तक 46.54 करोड़ की राशि जलकर के रूप में प्राप्त करनी थी जिसके विरूद्ध कम्पनी से 16.00 करोड़ रूपये (95-96 वर्ष में 8.00 करोड़, 1996-97 में 5.00 करोड़ एवं 1997-98 में 3.00 करोड़) का भुगतान किया है। इस तरह 30.54 करोड़ की वसूली बाकी है।

4. विभाग कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे में मुस्तैदी से प्रयास कर रहा है। न्यायालय का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

सूद सहित अवशेष राशि की वसूली हेतु माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में की जायेगी।

(1) जल की मात्रा जिसके विरूद्ध टिस्को को जलापूर्ति के मद में विपत्र प्रेषित किया जा रहा है: 75 एम.जी.डी.

(2) जलापूर्ति की दर:- नवम्बर' 92 से मार्च' 95 तक रू 3/- प्रति हजार गैलन
अप्रील' 95 से मार्च' 98 तक रू 4/- प्रति हजार गैलन
अप्रील' 98 से मार्च' 2000 तक रू 4.50 प्रति हजार गैलन

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका- 4.29

कंडिका- 4.29 जल-कर में असंशोध के कारण 1.82 करोड़ रूपये की हानि

मुंख्य अभियंता, सेन, तेनु एवं उत्तरी कोयल, सिंचाई एवं उर्जा विभाग (बाढ़

में जल संसाधन विभाग के रूप में पुनः नामित) बिहार सरकार ने बिहार कास्टिक ऐंड केमिकल्स लिमिटेड, पलामू के साथ उत्तरी कोयल नदी से फैक्ट्री द्वारा जल के नागर एवं औद्योगिक उपयोग के लिए अनुबंध किया (फरवरी 1997) ।अनुबंध के अनुसार नदी से प्रतिदिन 20 लाख गैलन (अधिकतम) तक जल निकालने के लिए फैक्ट्री अधिकृत थी। अनुबंध जुलाई 1979 की प्रभावी तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी था तथा पक्षों द्वारा समस्त शर्तों पर नविनीकृत होना थ। अनुबंध के अनुसार फैक्ट्री को 51.00 रूपये प्रतिमाह भुगतान करना था। यह दर 10 वर्षों की अवधि या उत्तरी कोयल बांध के चालू हाने, जो भी पहले हो, तक लोगू था। उसके बाद (क) बांध की पूंजी लागत पर सूद तथा संबद्ध कार्य (ख) मरम्मत तथा विशेष मरम्मत (ग) रख-रखाव तथा संचालन (घ) अतिरिक्त शुल्क तथा (ङ) लेखा परीक्षा शुल्क के तत्वों को ध्यान में रखते हुए "न मुनाफा न होनी" क आधार पर जल-कर को संशोधित करना था।

लेखा परीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 1996) की बाधं जून 1998 तक पूरा नही हुआ था तथा जुलाई 1989 से जल-कर का दर संशोधित नहीं हुआ था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जनवरी 1997) सरकार ने अपने प्रचलित दर (51.00 रूपये प्रति माह की दर से) 1.52 करोड़ रूपये (मई 1985 से मार्च 1996 के लिए) का बकाया विपत्र प्रस्तुत किया, जो बाद में मार्च 1997 तक 19.82 करोड़ रूपये (1.05 रूपये से 4.00 रूये प्रति हजार गैलन के परिवर्तित दर पर) संशोधित हुआ। इस आधार पर कि अनुबंध संशोधित नहीं हुआ, फैक्ट्री ने दावे को स्वीकार करने से इंकार (मई 1997) किया।

इस प्रकार मुख्य अभियंता द्वारा जुलाई 1989 से जल-कर से संशोधन करने में विफल रहने के कारण मार्च 1997 तक का 1.82 करोड़ रूपये जल-कर जून 1998 तक अवसुलित रहा।

मामला सरकार का संदर्भित किया गया (जून 1998): उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण -

बिहार कास्टिक एंव केमिकल्स लिमिटेड गढ़वा रोड पलामू को जलापूर्ति हेतु मुख्य अभियंता, सोन, तेन एंव उत्तर कोयल सिंचाई एवं विद्युत विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 21.2.97 को अधिकतक 20 लाख गैलन प्रतिदिन पानी उत्तर कोयल नदी से लेने हेतु बिहार कास्टिक एवं केमिकल्स लिमिटेड गढ़वा रोड पलामू के साथ एकरारनामा किया गया। यह एकरारनामा दिनांक 1.7.99 में पाँच वर्षों के लिए था एवं एकरारनामा के प्रावधान के आधार पर समय समय पर मुख्य अभ्यिंता द्वारा एकारनामा का नवीकरण किया गया । एकरारनामा के कंडिका-8 (1) में यह प्रावधान था कि जलापूर्ति का दर अगले 10 वर्ष अथवा उत्तर कोयल बांध के पूरा होने में लगे समय में जो भी कम हो, की अवधि से 51/- रूपया प्रति माह होगी। इस अवधि के बाद नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर निम्नांकित लागत को सम्मिलित करते हुए दर निर्धारित किया जायेगा:-

(क) बांध की पूंजी लागत पर सूद तथा सम्बद्ध कर।

(ख) मरम्मति तथा विशेष मरम्मति ।

(ग) रख-रखाव तथा संचालन।

(घ) ओभर हेंड चार्ज।

(ङ) ऑडिट चार्ज ।

जल संसाधन विभाग द्वारा पहली बार म्युनिसिपल एंव औद्योगिक जलापूर्ति के दर के संबंध में अपने पत्रांक 1684 दिनांक 9.12.1992 द्वारा 1 अप्रैल 1992 से 3/- रूपये प्रति हजार गैलन का दर संसूचित किया गया। इसके उपरांत यह दर विभागीय पत्रांक 583 दिनांक 31.3.97 द्वारा 1 अप्रील से 31 मार्च, 1998 तक के लिए 4/- रूपये प्रति हजार गैलन निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्ष 1989 से मार्च 1992 तक के लिए कोई दर नहीं था। अत: 51/- रूपया प्रति माह का दर ही चार्ज किया जा सकता है। 1 अप्रैल 1992 के उपरांत विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित कर के अनूसार मार्च 2001 तक कंपनी के यहां 2,51,97,304 रूपये की राशि के भूगतान हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 282 दिनांक 17.7. 2001 से अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में ज्ञातव्य हो कि कंपनी के अध्यक्ष सह अद्योग सचिव ने भी अपने पत्रांक 447/आई.डी. सी. दिनांक 4.10.2001 द्वारा बिहार राजपत्र में प्रकाशित जलापूर्ति दर के आधार पर भुगतान करने पर अपनी सहमती दे दी है । उल्लेखनीय है कि अंकेक्षण कंडिका में उल्लेखित वसूलनीय राशि 20.00 लाख गैलन प्रतिदिन के खपत पर आधारित है । उल्लेखनीय है कि अंकेक्षण कंडिका में उल्लेखित वसूलनीय राशि 20.00 लाख गैलन प्रतिदिन के खपत पर आधारित है जबकि यह अधिकतम सीमा थी न कि वसूली का आधार। अब उपरोक्त सहमति के बाद वास्तविक खपत आंक कर वसूली करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अत: दर के संशोधन नहीं होने के कारण अंकेक्षण कंडिका में अंकित मार्च 1997 तक का 1.82 करोड़ रूपये के क्षति के सम्बंध में मामले का निष्पाद हो जाता है।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

समिति विभाग को यह निर्देश देती है कि राशि वसूलने की कार्रवाई अविलम्ब की जाय, इस निर्देश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है।

अंकेक्षण प्रितिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका- 4.30

कंडिका-4.30 संवेदक को अदेय वित्तीय सहायता

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ईचा दाहिना मुख्य नहर के शय्या एवं ढलवा अस्तर के कार्य के कार्यान्वयन के 5.86 करोड़ रूपये के कुल अनुबंधित लागत के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर द्वारा 29.30 लाख रूपये का गतिशीलता अग्रिम एक अभिकरण को जनवरी एवं मार्च 1990 के बीच, उतनी ही राशि के बैंक गांरटी के विरूद्ध जो 1 जुलाई 1991 तक वैद्य था, भुगतान किया गया था जबकि, विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषणा अप्रैल 1989 में ही बंद हो गया था। कार्य के अनुबंधित लागत (5.86) के 10 प्रतिशत के क्रियान्वयन के उपरान्त चालू विपत्रों में गतिशीलता अग्रिम वसूलनीय था।

ठेकेदार द्वारा अगस्त 1990 तक मात्र 0.41 लाख रूपये का कार्य किया जा

सका और इसके बाद निधि के आभाव के कारण कार्य बंद कर दिया गया। चालू विपत्र से गतिशीलता अग्रिम की राशि की वसूली नहीं की गयी थी और जून 1998 तक ठेकेदार से गतिशीलता अग्रिम (29.30 लाख रूपय) एवं ब्याज (32.7 लाख रूपया) वसूली योग्य थी। 29.30 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जो जुलाई 1991 को समाप्त हो गई थी, की मांग करने में प्रमंडल विफल रहा ।

कार्य के क्रियान्वयन के लिए निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना 29.30 लाख रूपये का गतिशीलता अग्रिम प्रदान करना ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता था।

(ख) ईचा दायां मुख्य नहर के विभिन्न पहुँचे पर विश्व बैंक प्रदत्त परियोजनाओं के अन्तर्गत अक्टूबर 1988-89 के बीच पाँच अभिकरणों के साथ आठ अन्य अनुबंध किया।

11 बैंक गारंटी (मूल्य 25.89 लाख रूपये) को जमा करने पर जो अगस्त 1987 एवं नवम्बर 1995 के विभिन्न तरीखों तक मान्य था, सभी पाँच संवेदकों को सितम्बर 1987 से सितम्बर 1989 के बीच 26.73 लाख रुपये की गतिशीलता अग्रिम प्रदान की गयी थी। पुन: ऐसे अग्रिमों से खरीदी गयी मशीन राज्य सरकार को बन्धक रखने पर चार अभिकरणों का उसी अवधि के दौरान 37.86 लाख रूपये की मशीन अग्रिम प्रदान की गयी थी। अनुबन्ध के अनुसार कार्य के 10 प्रतिशत का कार्यान्वयन के बाद 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज के साथ गतिशीलता तथा मशीन अग्रिम चालू लेखा विपत्र से वसूल करना था तथा अनुबंधित कार्य के 80 प्रतिशत समाप्ति के साथ वसूली पूरा हो जाना था।

निधि की कमी के कारण अगस्त 1990 से सभी कार्य बन्द थे तथा तब तक चार अनुबंधों के विरूद्ध तीन अभिकरणों से 4.52 लाख रूपये की गतिशीलता अग्रिम तथा चार अनुबंधों के विरूद्ध तीन अभिकरणों से 16.53 लाख रूपये की मशीन अग्रिम की वसूली हुई थी। अत: 22.21 लाख रूपये की गतिशीलता अग्रिम जून 1998 तक वसूलित थे। 30 जून 1998 तक 51.75 लाख रूपये, ब्याज सहित 95. 29 लाख रूपये की राशि वसूली के लिए लम्बित थी। इन अग्रिमों के विरूद्ध 25. 89 लाख रूपये के सभी बैंक गारंटी सितम्बर 1987 से दिसम्बर 1995 के दौरान

अवसित हो गए । सम्बद्ध अभकरणों द्वारा संबंधित स्थलों से विभाग को बन्धक मशीन भी हटा ली गयी।

मामला सरकार का संदर्भित किया गया (अगस्त 1998), उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर के कार्यपालक अभियंता द्वारा इचा दरांयी मुख्य नहर के कि. मी. 6.39 से कि.मी. 20.07 में लाईनिंग तथा मिट्टी कटाई एवं अन्य कार्यों के कार्यान्वयन हेतु 6 संवेदकों के कुल ग्यारह एकरारनामा के बैंक गारंटी के विरूद्ध गतिशिलता अग्रिम के रूप में 56.923 लाख एवं मशीन अग्रिम के विरूद्ध 40.859 लाख कुल 97.887 लाख अग्रिम दिया गया था, जो एकरारनामा के शत के अनुरूप था।

2. अग्रिमों की कटौती कार्य के दस प्रतिशत से अधिक होने पर प्रारम्भ करते हुये 80 प्रतिशत होने पर पुरा कर लिया जाना था।

3. कार्य के दौरान संवेदकों से गतिशिलता अग्रिम के विरूद्ध 8.005 लाख एंव मशीन अग्रिम के विरूद्ध 16.444 लाख कुल 24.449 लाख की ही वसूली की जा सकी, क्योंकि कार्य 8/90 से निधि के अभाव में बन्द हो गया । इस प्रकार शेष 73.438 लाख की वसूली बाकी रह गया । इस हेतु मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह को निर्देश दिया है (संलग्न)।

4. इन एकरारनामों में से तीन एकरारनामों के विरूद्ध बैंक गारंटी जाली पाये जाने पर सी.बी.आई. की जाँच की गई है, संवेदक कालीकृत करा दिये गये हैं। सी.बी.आई. ने बैंक एवं संवेदक के विरूद्ध चार्जशीट समर्पित किया है।

पत्रांक-19/सी.ए.जी.-10/99

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
ईचा गालूडीह, जमशेदपुर

पटना, दिनांक-

विषय:- सी.ए.जी. पारा 4.30 वर्ष 97-98 के संबंध में।

महाशय,

खरकई नहर प्रमंडल, राजनगर में ईचा दांयी मुख्य नहर के कि.मी. 6.39 से कि.मी. 20.07 में लाईनिंग तथा मिट्टी कटाई कार्य से संवेदकों से 73.438 लाख रुपये की वसूली बाकी रह गयी है।

2. संवेदक से वसूली के लिए कार्रवाई करें।

3. पारा की प्रति संलग्न है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.31

कंडिका-4.31 55.96 लाख रुपये का गबन

कार्यपालक अभियंता, रूपांकरण प्रमंडल, कोशी परियोजना, वीरपुर द्वारा उप कोषागार से नवम्बर 1991 से नवम्बर 1997 के दौरान निकासी की गयी राशि से सम्बन्धित अभिलेखों के नमूना जांच (जनवरी एवं मार्च 1998) से प्रकट हुआ कि 67 बढ़ाये विपत्रों (23.30 लाख रुपये) एवं 76 फर्जी विपत्रों (32.66 लाख रुपये) की निकासी के माध्यम से 55.96 लाख रुपये का गबन हुआ था जैसा कि निम्नवत् है:

(क) बढ़ाये गये विपत्र

लेखा का शीष	अवधि	विपत्रों का सं०	विपत्र पंजी के अनुसार शुद्ध राशि	नकदीकरण की गयी विपत्रों में	गबन की गयी राशि
				बढ़ाई गयी राशि	
			(लाख रुपये में)		
4701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	1991-92 से 1997-98	62	32.27	54.65	22.38
8005-सा.भ.नि.	1997-98	3	0.37	0.97	0.60
2071-पेंशन	1992-93	1	0.01	0.02	0.01
8011-ग्रुप बीमा	1997-98	1	0.30	0.61	0.31
योग-		67	32.95	56.25	23.30

(ख) जाली विपत्र

लेख का शीष	वर्ष	विपत्रों की सं०	निकासी की गयी राशि (लाख रुपये में)
4701-वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	1991-92 से 1997-98	40	12.00
8005-सा.भ.नि.	1992-93 से 1997-98	19	6.58
2071-पेंशन	1996-97 से 1997-98	10	8.78
8011-ग्रुप बीमा	1995-96 से 1997-98	7	5.30
योग-		76	32.66

संविक्षा के क्रम में कोषागार तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर निम्नलिखित विफलतायें पायी गयी :

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विफलता

(क) बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 747 के अनुसार कोषागार से रकम आहरित करते समय प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रत्येक विपत्र के साथ "फार्म एफ.आर.-22" में एक पर्ची लगाना आवश्यक है जिसमें कोषागार पदाधिकारी द्वारा कोषागार अभिश्रव (टी.वी.) संख्या जिसके विरूद्ध विपत्र का नकदीकरण किया गया है दर्ज किया जाता है। पुन: पिछले सप्ताह में नकदीकरण किए गये सभी विपत्रों का टी.वी. पर्ची निकासी एवं पदाधिकारी द्वारा कोषागार से प्राप्त करना आवश्यक है। बिहार कोषगार संहिता भाग-1 के नियम 179 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रत्येक विपत्र कोषागार को निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोषागार संवाहक पंजी के साथ उसमें विपत्र संख्या, विपत्र को प्रस्तुत करने की तिथि, क्रम संख्या, विपत्र की राशि एवं प्रकृति दर्ज करते हुए भेजना है। इन निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

(ख) फर्जी विपत्रों पर निकासी की गयी राशि की प्रविष्टी न तो रोकड़ पंजी में, न विपत्र पंजी में की गयी थी और न ही इस राशि का दावेदार था और

प्रमंडल के रोकड़ में बढ़ाये गये विपत्र को कम राशि जो विपत्र पंजी के आंकड़ों से मिलती थी उसे ही मात्र प्रमंडल के रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया था, हालांकि बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-86 के अनुसार कोषागार से किए गये प्रत्येक लेन-देन को रोकड़ पंजी में सही एवं अविलम्ब दर्ज कर देना आवश्यक था।

(ग) गबन की अविध के दौरान 3 कार्यपालक अभियंता (बी.के. सिंह, बी.डी. सिंह, सुधीर प्रसाद) लेखे का प्रभार संभाले थे और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे जबकि पूरी अवधि के रोकड़ का प्रभार एक रोकड़पाल (मो. अलिमुद्दीन) के पास था।

कोषागार पदाधिकारी की विफलता

चूंकि प्रमंडल में कोई कोषागार संवाहक पंजी उपलब्ध नहीं था, कार्यपालक अभियंता, वीरपुर द्वारा प्रस्तुत किए गये विपत्रों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियों की जाँच किए बगैर उप-कोषागार पदाधिकारी द्वारा अनियमित रूप से भुगतान प्रदान कर दिया गया था उप कोषागार में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत दावे की सत्यता के बारे में अपने को संतुष्ट करने के लिए दावे से संबंधित आवश्यक जाँच करने से उप कोषागार पदाधिकारी, वीरपुर असफल रहे।

अत: कार्यपालक अभियंता, वीरपुर द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं करने एवं उप-कोषागार पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा विपत्रों के अधिकांश मामलों में विपत्रों की आवश्यक जाँच का अभाव 55.96 लाख रुपये की राशि का कपटपूर्ण एवं फर्जी निकासी के लिए अन्बंधन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अगस्त 1998)। बिहार सरकार के विशेष सचिव ने सूचित किया (अक्टूबर 1998) कि नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले बिन्दु का जाँच किया जा रहा था और नियमानुसार दोषी पदाधिकारियों को सम्भवत: दण्डित किया जायेगा। इस बीच एक कार्यपालक अभियंता एवं रोकड़पाल को निलम्बित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि जाँच के पूर्ण हो जाने पर जाँच के परिणाम एवं की गई कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा।

आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 1998)। मामले की जाँच एवं दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए वित्त आयुक्त को भी मामला संदर्भित (अगस्त 1998 एवं जनवरी 1999) किया गया था। उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग द्वारा एक कार्यपालक अभियंता एवं एक रोकड़पाल को निलम्बित कर डिपार्टमेन्टल प्रोसिडिंग चलायी गयी। विभागीय आदेश संख्या-1455 दिनांक 3.8.2001 एवं विभागीय आदेश संख्या-203 दिनांक 9.8.2001 द्वारा क्रमशः इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया।

2. वित्त विभाग के प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 3 अन्य कार्यपालक अभियंताओं पर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चल रही है।

3. इसमें वीरपुर थाना काण्ड संख्या-30/98 भी दायर है।

4. अतः जल संसाधन विभाग द्वारा इसमें समुचित कार्रवाई की गयी है। -

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति इस कंडिका को अब 3. ो बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.32

कंडिका-4.32 वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन

वृहत सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं इसके द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि का अधिग्रहण पूर्वाकांक्षित है। भू-अर्जन अधिनियम 1894 जिसे 1984 में संशोधित किया गया है, के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया जाता है। बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन की पूरी जिम्मेवारी सचिव, जल संसाधन विभाग की थी। उनकी सहायता के लिए एक निदेशक, एक अपर निदेशक एवं

35 विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी थे।

तीन वृहत सिंचाई परियोजनाअें (कोशी, बागमती एवं सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना) के अन्तर्गत 1992-93 से 1996-97 के दौरान की गई भू-अर्जन की प्रक्रिया का नमूना जाँच अप्रैल 1998 से जून 1998 नमूना के दौरान सचिवालय एवं क्षेत्रीय कार्यपालकों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया था।

जांच के अन्तर्गत उद्धत बिन्दु निम्नवत थे:

(i) अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के लिए अधिकाई भुगतान

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेश (दिसम्बर 1984) के अनुसार भू-अर्जन की प्रक्रिया (अधिसूचना निर्गत होने से अधिनियम की घोषणा तक) को साढ़े 18 महीनों के अन्तर्गत पूरा हो जाना चाहिए था और अधिनिर्णय के अन्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भू-अर्जन की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से अधिनिर्णय की घोषणा तक देय था। सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के छः भू-अर्जन मामलों में (1986-87 का 5 एवं 1992-93 का 1) साढ़े चार से साढ़े सत्तरह महीने के कारण देयता के विरूद्ध 64.11 लाख रुपये की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जो निम्नवत् था:

भू-अर्जन मामला सं० एवं ग्राम	क्षेत्र	अधिसूचना की तिथि/अधिनिर्णय की तिथि	साढ़े 18 माह से अधिक (माह-दिन)	भूमि और संरचना का मूल्य (12% की दर से)	भुगतित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति	साढ़े 18 माह का देय क्षतिपूर्ति	अधिकाई भुगतान
	(एकड़ में)			(लाख रुपये में)			
20/86-87 दीयाडीह	435.42	11.8.1998/ 11.8.1991	17-15	81.52	29.35	15.08	14.27
27/86-87 लाखा	-	2.7.1988/ 1.8.1990	6-15	266.08	66.52	49.22	17.30
32/86-87 गाराडीह	198.10	4.9.1998/ 3.12.1990	8-15	42.90	11.58	7.94	3.64
36/86-87 कुरूक टोपी	391.51	20.12.1998/ 23.12.1991	17-15	77.16	27.78	14.27	13.64

80/86-87 अदारडीह	455.08 23.7.1990	23.8.1998/	4-15	98.06	22.55	18.14	4.41
5/92-93 पटकुम	682.86	18.8.1992/ 19.7.1994	4-15	243.90	56.10	45.12	10.98
कुल				213.88	149.77		64.11

वि.भू.अ.प. द्वारा भू-अर्जन मामले के निपटान में विलंब एवं सरकार द्वारा भूमि संबंधी अधिनिर्णय के अनुमोदन में विलम्ब के कारण उपायुक्त चाईबासा के स्तर से भूमि संबंधी अधिनिर्णय में विलंब हुआ। चूँकि भूमि संबंधी अधिनिर्णय निर्धारित साढ़ 18 महीनों के अन्तर्गत घोषित नहीं किया गया था, अत: अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में 64.11 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय था।

(ii) ब्याज के दायित्व का परिहार्य संग्रहण

भू-अर्जन अधिनियम के तहत भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में दोष के कारण भू-अर्जन की तिथि से भुगतान की तिथि का न्यायालय में जमा करने की तिथि तक पहले के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक एवं बाद के वर्षों के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय था।

सुवर्णरेखा परियोजना में भू-अर्जन के 7 मामलों की संवीक्षा से ,प्रकट हुआ कि जून 1998 तक भू-स्वामी को कुल 42.33 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ था जबकि, अधिनियम फरवरी 1988 तथा जनवरी 1991 के बीच दिया गया था। वि.भू.अ. पदाधिकारी, मानगों, जमशेदपुर ने निधि की उपलब्धता के बिना ही अधिनिर्णय की घोषणा कर दी। 30 जून 1998 तक, इन मामलों में 48.83 लाख रुपये ब्याज का परिहार्य दायित्व था।

(iii) अर्जन प्रक्रिया की समाप्ति के कारण हानि

अधिनियम के अनुच्छेद-11 अ के अनुसार यदि भू-अर्जन की घोषणा के प्रकाशन की तिथि के दो वर्षों के अन्दर अधिनिर्णय नहीं की गयी तो भू-अर्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कालातीत हो जाएगी।

सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के अंकेक्षण संवीक्षा से ये प्रकटित हुआ कि वि.भू.अ.प. ईचागढ़ कैम्प मानगो, जमशेदपुर ने 811.35 एकड़ जमीन के अर्जन के लिए एक घोषणा प्रकाशित किया (फरवरी 1989) लेकिन इस भूमि के अर्जन के लिए प्राक्कलन (288.43 लाख रुपये) फरवरी 1992 तक स्वीकृत नहीं था। स्वीकृति में विलम्ब उस समय के उपायुक्त, चाईबासा की ओर से प्राककलन को सरकार के पास विलम्ब से स्वीकृति हेतु भेजने के कारण हुआ। मामला फरवरी 1991 में कालातीत हो गया। कार्यपालक अभियंता, शिविर एवं भण्डार प्रमंडल, चाण्डील ने 682.66 एकड़ की उसी भूमि के अर्जन की पुन: प्रक्रिया का आपातकालीन आधार पर निर्णय लिया (अप्रैल 1992) और तदनुसार 682.66 एकड़ भूमि की अर्जन लागत 3.47 करोड़ रुपये प्राक्कलित किया (पहले से प्राक्कलित 2.88 करोड़ रुपये), जिसके लिए सरकार द्वारा दिसम्बर 1993 में स्वीकृति दी गई। वि.भू.अ.प. ईचागढ़ कैम्प-मानगो द्वारा उसी भूमि के लिए 3.74 करोड़ रुपये के अधिनिर्णय की घोषणा जुलाई 1994 में की गई। भू-अर्जन में देर ने बांध निर्माण के आरम्भ को विलम्ब कर दिया। फरवरी 1991 में उसी भूमि की अर्जन-प्रक्रिया की समाप्ति के फलस्वरूप 811.35 एकड़ मूल प्रस्ताव के विरूद्ध मात्र 687.66 एकड़ भूमि के अर्जन में 86 लाख रुपये का (3.74 करोड़-2.88 करोड़) नुकसान हुआ।

(iv) सरकारी भूमि के लिए भी क्षतिपूर्ति का भुगतान

सरकारी परिपत्र (28 मार्च 1969) के अनुसार गैर मजरूआ मालिक/खास भूमि के अर्जन का क्षतिपूर्ति का भुगतान व्यक्ति विशेष को नहीं करना था। सरकार आदेश की उपेक्षा करते हुए वि.भू.अ.प. मानगो ने चाण्डील बांध के निर्माण के लिए चकसई गांव में 19.80 एकड़ गैर मजरूआ भूमि का एक तालाब अर्जन किया और इसके लिए दिसम्बर 1991 में दो व्यक्तियों को (प्रभात कुमार आदित्देव और प्रताप कुमार आदित्यदेव) 17.64 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का अनाधिकृत भुगतान किया। अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर ने भू-अर्जन अधिनियम 1994 के तहत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वापसी हेतु वि.भू.अ.प. को मई 1994 में मुकदमा दायर करने का निदेश दिया। जबकि जून 1998 तक वि.भु.अ.प. द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था।

उसी प्रकार से वि.भु.अ.प. सकरी ने शाखा नहर के निर्माण हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत 71.74 एकड़ गैर मजरूआ जमीन का अर्जन किया और इसके लिए 1979-80 से 1987-88 की अवधि में 345 व्यक्तियों को 18.30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। वि.भु.अ.प. सकरी द्वारा अधिनियम 1894 के अनुच्छेद 309 के तहत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वापसी के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी।

(v) संरचना के अवमूल्यित राशि को नजर अन्दाज करने से क्षतिपूर्ति का अधिकाई भुगतान

बिहार भू-अर्जन नियमावली प्रावधानित करता था कि सरंचना के अर्जन के अधिनिर्णय के लिए संरचना के अवमूल्यित मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। सुवर्णरेखा परियोजना को 13 भू-अर्जन मामलों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि चार वि.भु.अ.प. द्वारा अर्जित संरचना का अधिनिर्णय संरचना के अवमूल्यित मूल्य को बिना घटाये घोषित कर दिया गया परिणामस्वरूप 24.38 लाख रुपये का अधिकाई भुगतान हुआ, जो निम्नवत है:

भू.अ. मामला सं० एवं गांव	अवभूल्यन को बिना घटाये संरचना की कीमत	5 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन को घटाना	अवमूल्यन राशि पर 30 प्रतिशत	अवमूल्यन पर 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति		कुल अधिकारी भुगतान
	(लाख रुपये में)			माह	राशि	
					(लाख रुपये में)	
27/83-84 हरमा	18.11	0.91	0.27	18	0.17	1.35
28/83-84 बांदीडीह	15.10	0.76	0.23	18	0.14	1.12
90/86-87 कुरसी-11	26.15	1.41	0.42	10	0.14	1.97
63/85-86 बरसाईपुर	12.63	0.63	0.19	18	0.11	0.93
5/92-93 पातकुम	81.13	4.06	1.22	23	0.93	6.21
80/86-87 आदरडीह	31.15	1.56	0.47	24	0.37	2.40

20/86-87 दीयाडीह	24.43	1.22	0.37	36	0.44	2.03
32/86-87 गाराडीह	18.95	0.95	0.28	27	0.26	1.49
35/86-87 कारका	14.24	0.71	0.21	17	0.12	1.05
2/86-87 डुलीगारा	28.13	1.41	0.42	19	0.27	2.10
4/86-87 सिन्नी	12.21	0.61	0.18	23	0.14	0.90
1/86-87 कलबुरा	25.01	1.25	0.38	20	0.25	1.88
36/86-87 कारूपटोया	11.49	0.57	0.17	37	0.21	0.95
कुल						24.38

(vi) भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के माध्यम से कपटपूर्ण भुगतान

भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अनुच्छेद 13 (अ) के अनुसार अधिनिर्णय में कोई लेखन या अंक समबन्धी गललियों को अधिनिर्णय की घोषणा की तिथि से 6 माह के अन्दर सुधार किया जाना था। इसके पश्चात् अधिनिर्णय में कोई भी परिवर्तन केवल न्यायालय के द्वारा किया जाना था। इसके विपरित वि.भु.अ.प. 111 ईचागढ़ शिविर, मानगो द्वारा 1992-93 में खतियान के मूल्यांकन को कपट से भरकर सुवर्णरेखा परियोजना हेतु गोरा 111 श्रेणी की भूमि (1.42 एकड़) गोरा 11 श्रेणी की भूमि (0.73 एकड़) को अधिनिर्णय संख्या 413 एवं 414 में तालाब के रूप में घोषित किया गया और सितम्बर 1994 में 26.21 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

क्षेपक भरने के इस कपटपूर्ण कार्य के लिए चार तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को विभाग के द्वारा निलंबित (10 जुलाई 1994 एवं 22 दिसम्बर 1994) कर दिया गया। किन्तु भू-स्वामियों को कपटपूर्ण की गई क्षतिपूर्ति की अधिकाई भुगतान की वापसी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की

गई। वि.भु.अ.प. 111 ईचागढ़, शिविर-मानगो ने कहा (जून 1998) कि विभागीय जाँच प्रगति में था।

(vii) निधि का विचलन

वि.भु.अ.प. मानगो 11 ने फरवरी 1991 में 1475 भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए 3.14 करोड़ रुपये अग्रिम प्राप्त किया। इनमें से 1991-92 के दौरान उन्होंने 2.52 करोड़ रुपये का विचलन निम्नवत् दूसरे कार्यों एवं अभिकरणों के लिए किया।

क्र०	कार्य/अभिकरण	विचलित निधि (रु० लाख में)
(क)	अतिथि गृह की सजावट	2.86
(ख)	अन्य परियोजना के वि.भु.अ.प. को स्थानान्तरण	206.39
(ग)	उप निदेशक, क्रय को स्थानान्तरण	0.59
(घ)	जेवीयर्स संस्थान, राँची	0.96
(ङ)	विवेकानन्द केन्द्र, चांडिल	0.23
(च)	अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास को उन कार्यों के लिए जो भू-अर्जन से संबंधित नहीं थे	40.99
	कुल	252.02

निधि के विचलन के परिणामस्वरूप भू-अर्जन में विलम्ब हुआ एवं भविष्य में ब्याज और क्षतिपूर्ति के बढ़े हुए भुगतान के दायित्व का संग्रहण हुआ।

(viii) अवरोधित निधि के कारण ब्याज की हारि और ब्याज का परिहार्य संग्रहण

वि.भु.अ.प. सकरी, मधुबनी ने 240 एकड़ भू-अर्जन के लिए कार्यपालक अभियंता, पश्चिम कोशी नहर प्रनंडल, राजनगर से 1.75 करोड़ रुपये (4 दिसम्बर 1987) प्राप्त किया। उन्होंने इस राशि को बैंक के चालू खाता में जमा कर दिया।

जिलाधीश, मधुबनी के निर्देश दिनांक 11 दिसम्बर 1992 की पहल पर राशि को चालू खाता से निकालकर, 'असैनिक जमा' में रखा गया। राशि को दिसम्बर 1993 में वि. भु.अ.प. द्वारा 'असैनिक जमा' पुन: निकाल लिया गयां और निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, पटना के आदेश से बैंक के चालू खाता में जमा किया गया। निदेश के आदेश से इसमें से 1.21 करोड़ रुपये मार्च 1994 में सात अन्य वि.भु.अ.प. को विचलित कर दिया गया। इस प्रकार 1.75 करोड़ रुपये लगभग 6 वर्षों तक सरकारी खाता से बाहर अवरोधित रहा। सरकार को 1.75 करोड़ रुपये पर 1.89 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई (18 प्रतिशत की दर से 6 वर्षों के लिए गणनित)

(ix) असमायोजित अग्रिम

वि.भु.अ.प. चांडिल, जमशेदपुर के क्षतिपूर्ति से संबंधित रोकड़बाजी की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विभिन्न अधिकारियों को दिया गया 1.21 करोड़ रुपये की अग्रिम जून 1998 तक लगभग 9 वर्षों से अवसूलित/असमायोजित रही, जो निम्नवत है:

(लाख रुपये में)

अग्रिम की तिथि	को अग्रिम भुगतान	राशि	कारण
16.6.1989	वि.भु.अ.प., गालुडीह का कामप्लेक्स, जमशेदपुर	50.00	भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु
17.8.1989	क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार पहाड़ी क्षेत्र उठान सिंचाई निगम, जमशेदपुर	15.00	पुनर्वास स्थलों के विकास हेतु
6.8.1989	वि.भु.अ.प., चालीयामा-11 सिंहभूम	2.00	भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु
5.9.1991	एस. डी. ओ. सरायकेला	2.00	सहाय्य भुगतान के लिए कर्ज
1.10.1991	एस. डी. ओ. सरायकेला	2.00	सहाय्य भुगतान के लिए कर्ज
11.10.1991	श्री राम अवधेश सिंह, कनीय अभियंता, बांध प्र०सं.-11, चांडील	1.30	अप्राप्त
1.11.1991	निदेशक, जेवियर समाज सेवा संस्थान, राँची	0.51	सामाजित-आर्थिक सर्वे के संचालन हेतु
	कुल	120.81	

(x) पूरक अधिनिर्णय पर क्षतिपूर्ति का अधिकाई भुगतान

चांडील बांध के निर्माण हेतु वि.भू.अ.प. मानगो 11 जमशेदपुर के द्वारा चेमेद (चांडिल) गांव में 324.73 एकड़ भू-अर्जन (मार्च 1996) 71.57 लाख रुपये में (मकान, कुआं पेड़ इत्यादि के मूल्य सहित) किया गया और अधिनिर्णय धारकों को अप्रैल 1986 से जून 1990 के दौरान क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया।

तत्पश्चात प्रबन्धक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के निदेश पर वि.भू.अ.प. द्वारा (मार्च 1989) सम्बन्धित प्रमंडलों से प्राप्त सूची के आधार पर एक पूरक मूल्यांकित खतियान तैयार किया गया यद्यपि संबंधित अधिनिर्णय धारकों से कोई दावा प्राप्त नहीं था। बिहार भू-अर्जन नियमावली के नियम 51 के तहत जनवरी 1988 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू छूटे हुए मकानों (3.78 लाख रुपये) तथा मकानों के बढ़े हुए दर (6.79 लाख रुपये) के पूरक अधिनिर्णय (14.07 लाख रुपये) की घोषणा की गयी। तदनुसार अधिनिर्णय धारकों को सितम्बर 1990 से दिसम्बर 1992 के दौरान 14.07 लाख रुपये के पूरक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि पूरक अधिनिर्णय की स्वीकृति में वि.भू.अ.प. का कार्रवाई बिहार भू-अर्जन नियमावली के नियम 51 के अनुरूप नहीं था, क्योंकि इस नियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय या पूरक अधिनिर्णय की घोषणा में संशोधन केवल स्वीकृत प्राक्कलन के 20 प्रतिशत के अन्दर एवं 6 महीना के अन्तर्गत अनुज्ञेय था यदि कोई गलती था तो लेखन या अंक संबंधी अशुद्धी या न्यायालय के निर्णय के कारण था। तत्पश्चात् नियमावली के नियम 69 के अनुसार जब अधिनिर्णय पहले से ही घोषित हो गया था तो अधिनिर्णय की घोषणा करने वाले प्राधिकारी को लेखन या अंक संबंधी अशुद्धी को छोड़कर संशोधन या पूरक अधिनिर्णय का अधिकार नहीं था।

अत: पूरक अधिनिर्णय की अनाधिकृत स्वीकृति के परिणामस्वरूप 14.07 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(xi) बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि को निकासी

बिहार वित्तीय नियमावली और बिहार कोषागार संहिता में यह प्रावधान है कि धन की निकासी कोषागार से तब तक नहीं होनी चाहिए जबतक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। खर्च की प्रत्याशा में या आवंटित निधि के उपयोग के विचार से भी धन की निकासी कोषागार से नहीं होनी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, बेनीपट्टी ने 8.00 लाख रुपये की 23.094 एकड़ भू-अर्जन के विरूद्व 30 मार्च 1990 को वि.भू.अ.प., मधुबनी को 50 लाख का अग्रिम दिया। इसके अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमंडल, खुटौना ने वि.भू.अ.प. मधुबनी को 25 मार्च 1991 को 10.07 लाख रुपये मूल्य के 23.285 एकड़ भू-अर्जन हेतु पुन: 24.70 लाख रुपये अग्रिम दिया। उसी प्रकार वि.भू.अ.प. सकरी ने 1992-93 से 1997-98 के दौरान 6 प्रमंडलों एवं एक पुनर्वास कार्यालय से 2.47 करोड़ रुपये प्राप्त किया यद्यपि कोई भू-अर्जन अपेक्षित नहीं था। दिसम्बर 1998 तक 3.22 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण राशि बैंक के चालू खाता में अनुपयुक्त पड़ा हुआ था।

(xii) क्षतिपूर्ति राशि का अनाधिकृत रूप से 'असैनिक जमा' में रखने के कारण के दायित्व का संग्रहण

वि.भू.अ.प. मुजफ्फरपुर ने 87.38 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि (10.9.91 को 20 लाख रुपये एवं 18.1.1993 को 67.38 लाख रुपये) को अनाधिकृत रूप से 'असैनिक जमा' में रखा और राशि को 'असैनिक जमा' से मुक्त नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं हुआ और मार्च 1997 तक 59.45 लाख रुपये ब्याज के भुगतान का दायित्व हुआ।

(xiii) अधिनिर्णय की घोषणा के बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान

क्षतिपूर्ति का भुगतान अधिनिर्णय की घोषणा के बाद किया जाता था। किन्तु वि. भू.अ.प. सकरी ने मरोलीया (4-20/79-80), हरीशबाड़ा (2/83-84); सुखी (3/83-84), कन्हौली (4/83-84) एवं दीप (7/83-84) के भू-स्वामियों को अधिनिर्णय की घोषणा के बिना ही 30.33 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 30.33 लाख रुपये का अनाधिकृत भुगतान हुआ। यह ज्ञात हुआ कि कोशी नहर के लिए भूमि का अर्जन सामान्य क्रम में किया

जाना था एवं कोई अत्यावश्यक नहीं था।

(xiv) जाली नियुक्तियों को अनाधिकृत भुगतान : 4.32 करोड़ रुपये

(क) सरकार ने दिसम्बर 1980 में क्षेत्र अधिकारियों श्रेणी III एवं IV पदों पर अस्थाई रूप से तीन महीनों तक नियुक्ति की शक्ति का वापस कर लिया। यह जल संसाधन विभाग द्वारा दिसम्बर 1983 में पुनः दोहराया गया।

इन निदेशों का उल्लंघन करते हुए 22 वि.भू.अ.प. एवं 8 पुनर्वास पदाधिकारियों द्वारा जनवरी 1985 से दिसम्बर 1995 के दौरान 133 मामलों (श्रेणी-III -53, श्रेणी IV-80) में तीन महीनों की अस्थाई नियुक्ति की गयी। विभाग ने (अप्रैल 1996) में इन मामलों की जांच के लिए निगरानी विभाग को अग्रसारित कर दिया। 14 व्यक्तियों (श्रेणी-III -5, श्रेणी IV-9) का नियुक्ति पत्र जाली पाया गया और उनकी सेवाएँ समाप्त (फरवरी 1997 एवं सितम्बर 1997) कर दी गयी। अक्टूबर 1986 से सितम्बर 1997 के दौरान 14 जाली नियुक्तियों के वेतन एवं भत्तं पर 34. 19 लाख रुपये का अनाधिकृत व्यय हुआ। शेष कर्मचारियों (श्रेणी-III -48, श्रेणी IV-71) की सेवाएँ दो वर्षों से अधिक अवधि से जांच (जून 1998) के क्रम में था। मार्च 1998 तक उनके वेतन एवं भत्ते पर 3.33 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ख) जनवरी से दिसम्बर 1995 के दौरान निदेशक (श्रेणी-III -158, श्रेणी IV-269), अपर निदेशक (श्रेणी-III -94, श्रेणी IV-264) तथा अन्य (श्रेणी-III -1, श्रेणी IV-9) द्वारा कुल 795 मामलो (श्रेणी-III -253, श्रेणी IV-542) में तीन महीनों से अधिक अवधि के लिए की गई अस्थाई नियुक्तियों निगरानी विभाग को जांच के लिए पुनः अग्रसारित (अप्रैल 1996) कर दिया गया। इनमें से 182 व्यक्तियों (श्रेणी-III -53, श्रेणी IV-129) की नियुक्ति को जाली पाया गया और उनकी सेवा समाप्त कर दी गई (फरवरी 1997 दिसम्बर 1997, अप्रैल 1998 और जून 1998)। सितम्बर 1986 से जून 1998 के दौरान जाली नियुक्तियों के वेतन भत्ता पर 3.98 करोड़ रुपये का अनाधिकृत व्यय हुआ। शेष कर्मचारियों (श्रेणी-III

-200, श्रेणी IV-413) की सेवा दो वर्षो से अधिक अवधि से जांच (जून 1998) के अधीन था।

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास और वि.भू.अ.प. द्वारा नियुक्तियाँ दिसम्बर 1989 में जारी किए गए सरकारी निर्देशों को उल्लंघन से सम्भव हुई। उनके द्वारा की गई अनाधिकृत नियुक्तियों के लिए सरकार ने उन्हें जवाबदेह में ठहराय। इसके अलावे उन अधिकारियों ने, जिनके अन्तर्गत जाली नियुक्तियों ने सरकारी सेवा में योगदान दिया, नियुक्ति पत्रों की सत्यता को नहीं जाँचा।

बिन्दुओं को सरकार को संदर्भित किया गया था (अगस्त 1998): उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

(1)	मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जाँचोपरांत विभाग को उपलब्ध कराई गई अनियमित नियुक्ति वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	928
(2)	उक्त सूची में पुनावृति नाम की संख्या	04
(3)	कुल कर्मियों की संख्या	01
(4)	सुवर्णरेखा से विस्थापित कर्मियों की संख्या जिनकी अनियमित नियुक्ति के घेरे से बाहर रखी गई	352
(5)	इस प्रकार शेष अनियमित नियुक्ति वाले कर्मियों की संख्या	571
(6)	उक्त कार्मियों में से सेवा से हटाए गये कार्मियों की अद्यतन संख्या	301
(7)	शेष कार्मिकों की संख्या जिसकी नियुक्ति की जाँच विचाराधीन है	210

(8)	सेवा से हटाये गये कार्मिको के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर विचाराधीन मामला	135
(9)	नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध निगरानी थाना में एफ.आई.आर. 4/97 दर्ज किया गया है तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस संदर्भ में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भेजने हेतु प्रेषित के क्रम में है।	

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिका-4.33

कंडिका -4.33 वृहत राज्य सिंचाई परियोजनाओं से प्रभरी व्यक्तियों का पुनर्वास

4.33.1 प्रस्तावना

तीन वृहत सिंचाई परियोजनाओं (कोशी, बागमती एवं सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना) के अन्तर्गत 57.8 हजार हजार परिवारों के पुनर्वास हेतू पुनर्वास प्रयासों का कार्यान्वयन जिसमें 1992-93 से 1996-97 के दौरान सचिवालय और निदेशालय के साथ-साथ क्षेत्र के 7 पुनर्वास कार्यालया के अभिलेखों के नमूना जाँच के आधार पर लिया गया । दृष्टव्य तथ्यों को अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित किया गया है ।

4.33.2 मुखयाकर्षण

कोशी, बागमती एवं सुवर्णरेखा परियोजनाओं में 1992-97 के

दौरान 57.8 हजार लोगों के पुनर्वास पर व्यय का नूना जांच किया गया और निम्नलिखित मामलें पाये गये :

सुवर्णरेखा परियोजना के पुनर्वास पदाधिकारियों ने पुनर्वास स्थल के विकास के 31.04 लाख रुपयें को अन्य कार्यो विपथित किया ।

(कंडिका- 4.33.4)

1992-97 के दौरान स्थापना व्यय तीन नमूना जाँचित परियोजनाओं में अत्यधिक था । 1992-97 के दौरान कोशी परियोजना में एवं 1992-97 के दौरान बागमती एवं सुवर्णरेखा परियोजनाओं में क्रमश: 1.03 करोड़ एवं 0.90 करोड़ रुपये का व्यय निष्क्रिय स्थापना पर किया गया था ।

(कंडिका- 4.33.5)

जबकि सुवर्णरेखा परियोजना के अन्तर्गत चांडिल एवं ईचा जलाशयों में पुनर्वास स्थल के विकास पर 6.83 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, प्रभावित परिवारों के अधिकांश, जो जनजातियां थी, पुर्नवास स्थल के नजदीक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अन्य स्थलों पर चले गये थे । इसी प्रकार बागमती एवं कोशी परियोजनाओं के विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास स्थल पर सामाजिक एवं आर्थिक अन्त:संरचना तथा रोजगार अवसर की कमी के कारण पूराने स्थल पर लौट गये, जबकि उनके पुनर्वास के लिए 2.94 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे ।

(कंडिका- 4.33.6)(क) एवं (ख)

सुवर्णरेखा परियोजना के ईचा जलाशय के पुनर्वास स्थल के विकास पर 1.63 करोड रुपये के व्यय के वाबजूद सामाजिक एवं आर्थिक अन्त:संरचना प्रदान नहीं किये जाने के कारण किसी भी परिवार को पुनर्वासित नहीं किया गया था

(कंडिका- 4.33.4) (ग)

चांडिल सेक्टर में 1.31 करोड़ रुपये की लागत पर अधिग्रसित भूमि के 2908 भू-खण्ड अनावंटित एवं अनुपयोगी रह गये ।

(कंडिका- 4.33.4 (क))

चांडिल सेक्टर में कुल 65.70 लाख रुयपे की लागत पर निर्मित इन्दिरा आवास एवं अल्प लागत वाले 395 मकान लाभान्वितों को आंवटित नहीं किया गया था । इनमें सं 393 मकान जिस पर 65.39 लाख रुपये का व्यय किया गया था, अवमानक स्तर के सामग्रियों के उपयोग के कारण गिर गये और समय व्यतीत होने से क्षतिग्रस्त भी हुए । इसके अलावा, सूवर्णरेखा परियोजना में 6.39 लाख रुपये के काल्पनिक व्यय पर आवासों का निर्माण पाया गया था ।

(कंडिका- 4.33.4 (ग))

सुवर्णरेखा परियोजना में 74.31 लाख रुपये का व्यय अपूर्ण विद्यालय भवनों एवं अक्रियाशील विद्यालयों पर किया गया था ।

(कंडिका- 4.33.8)

22.35 लाख रुपये का व्यय 48 वैसे खुले कुओं के निर्माण पर किया गया था जहाँ किसी भी विस्थापित व्यक्ति का पुनर्वास नहीं किया गया था ।

(कंडिका- 4.33.10)

1.03 करांड़ रुपये की लागत पर 205 नलकुपे सुवर्णरेखा परियोजना के वैसे पुनर्वास स्थलों पर धंसाये गये थे जहाँ कोई व्यक्ति नहीं बसे थे । इसके अलावा, 15 नलकुपों को धंसाने में 7.50 लाख रुपये का काल्पनिक व्यय था ।

(कंडिका- 4.33.11)

सुवर्णरेखा परियांजना के विभिन्न स्थलों पर दो तलाबों एवं एक सहकारिता भवन के काल्पनिक निर्माण एवं काल्पनिक वृक्षारोपण पर 6.65 लाख रुपये का व्यय था ।

(कंडिका- 4.33.12 से 4.33.14)

दो परियोजनाओं (बागमती एवं कोशी) में कर्मियों के फर्जी एवं अनियमित नियुक्ति पर 1008 करोड़ रुपये का व्यय था ।

(कंडिका- 4.33.16 (क))

तीन परियोजनाओं में से किसी भी नियोजीत विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु औद्योगिक केन्द्र नहीं खोले गये थे । इसके अलावा, सुवर्णरेखा परियोजना के अन्तर्गत 5 प्रखण्डों में उपलब्ध 5457.76 एकड़ भूमि में से मात्र 251 एकड़ (4.6 प्रतिशत) 231 विस्थापितों में वितरित किये गये थे एवं शेष भूमि सरकार के पास पड़ी थी ।

(कंडिका- 4.33.16 (ख)एवं (घ))

सुवर्णरेखा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान पुनर्वास कार्यो के लिए 6 कार्यालयों को दिया गया 74.14 लाख रुपये का अस्थायी अग्रिम को मार्च 1998 तक न तो वापस किया गया था और न समायोजीत किया गया था ।

(कंडिका- 4.33.18)

4.33.3 सर्वेक्षण एवं जाँच

3 वृहत सिचांई परियोजनाओं के तहत् प्रभावित 57.8 हजार परिवारों का पुनर्वास कार्य के सर्वेक्षण एवं इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रभावित लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जाँच से संबंधित अभिलेख विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गय । यद्यपि प्रशासन, सुवर्णरेखा परियोजना के अनुरोध पर अप्रैल 1991 में जेवीयन सामाजिक सेवाएँ एवं संस्थान, राँची द्वरा सुवर्णरेखा परियोजना से प्रभावित 36 गावों (203 गांवों में से) का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करया गया। सर्वेक्षण के अनुसार इस परियोजना से 4213 परिवार प्रभावित हुए जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार प्रभावित गांवों की संख्या 7671 थी । इसके विरूद्व विस्थापित परिवारों की वास्तविक की जाँच हेतू प्रशासन ने 5 वर्षो से अधिक के विलंब के बाद एक समिति का गठन किया । समिति द्वारा जून 1998 तक प्रतिवेदन जमा नहीं करने के कारण एवं विभाग द्वारा पुनर्वासित लोगों की बढ़ी हुई संख्या को सुनिश्चित नहीं करने से अधिक/धोखधड़ीपूर्ण/पुनर्वासों के बढ़ी हुई संख्या के विरूद्व गलत भूगतान हूए । लेखा-परीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 3458 परिवारों के अतिरिक्त पुनर्वास पर स्थान परिवर्तन प्रभार (प्रति 750 रु0 की दर से 25.94 लाख रुपये) एवं भूमि मूल्य

(4501.75 रु0 प्रति की दर से 155.67 लाख रुपए) के रूप में 1.82 करोड़ रूपये व्यय हुए ।

4.33.4 निधियों का विचलन

चिंहित पुनर्वास स्थल के विकास के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 12 पुनर्वास पदाधिकारियों (एक अस्थाई पुनर्वास पदाधिकारी के साथ) को प्रशासक, सूवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपूर,जमशेदपूर द्वारा 1.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । इनमें से सभी पुनर्वास पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा अचयनित 12 कार्यस्थलों के विकास से संबंधित दूसरे कार्यो के लिए 28.74 लाख रुपए का विचलन कर दिया एवं 2.30 लाख रुपए गाड़ियों की मरम्मत, प्रशासक आवास का रख-रखाव, जेनरेटर सेट की खरीद, मुख्य अभियंता के कार्यालय की मरम्मत एवं तेल की खरीद पर व्यय कर दिया । शेष राशि 1.12 करोड़ कार्य के अपूर्ण विकास पर खर्च कर दिए गए ।

4.33.5 तीन परियोजनाओं में निष्क्रिय स्थापना

निर्धारित मानकों के अनुसार पर व्यय कार्य व्यय के 10 प्रतिशत होना था । हालाकि, कोशी परियोजना ने 1992-97 के दौरान कार्य पर कोई व्यय नही किया किन्तु स्थापना पर 1.03 करोड़ का व्यय किया । उसी प्रकार बागमती एवं सुवर्णरेखा परियोजना में वर्ष 1992-96 के दौरान क्रमश: कोई कार्य व्यय नहीं किया गया किन्तु इन परियोजनाओं द्वारा स्थापना पर 0.90 करोड़ का व्यय किया गया । इस प्रकार कार्य व्यय की तुलना में 2 प्ररियोजनाओं (बागमती एवं सुवर्णरेखा) में स्थापना पर व्यय 82 सें 2647 प्रतिशत एवं कोशी परियोजना में 1936 प्रतिशत के बीच रहा ।

4.33.6 नए पुनर्वास स्थलों की स्थापना

परियोजनाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार, 31 मार्च 1997 तक विकसित किए जाने वाले पुनर्वास स्थलों की संख्या विकसित एवं निर्माण किए गए स्थलों की संख्या अधिग्रहित स्थलों की संख्या एवं उनपर व्यय निम्न प्रकार से थे :

परियोजना का नाम	कार्य स्थल			पुनर्वासित परिवार (प्रतिशत में)	व्यय (करोड़ रू0 में)
	विकसित किए जाने वाले	वास्तविक रूप से विकसित एवं निमित (स0 में)	अधिग्रहित		
सुवर्णरिखा	33	11 (33)	11	38	6.83
कोशी	130	60 (46)	60	100	1.82
बागमती	95	45 (47)	45	87	1.12

यद्यपि 31 मार्च 1997 तक सुवर्णरिखा, कोशी एवं बागमती परियोजनाओं में लक्षित कार्यस्थलों का केवल 33,46,47 प्रतिशत ही विकसित किए गए एवं लक्षित परिवारों के क्रमशः 38,100 एवं 87 प्रतिशत परिवारों को पुनर्वासित करने की सुचना परियोजनाओं द्वारा दी गई थी । इससे यह स्पष्ट था कि या तो परियोजनाओं द्वारा पुनर्वासित परिवारों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया था पुनर्वास का कार्य अविकसित कार्य स्थलों पर किया गया । इस प्रकार पुनर्वासित प्ररिवारों के आँकड़ों जो विकसित कार्य स्थलों से मेल खाते थे मान्य नहीं थे एवे प्रशासनात्क थे ।

फिर नए गांवों की स्थापना का चयन समय निम्नलिखित विभिन्न कारको 2 को ध्यान में रखता था :

फिर सरकार के आदेश (दिसम्बर 19991 के अनुसार नए पुनर्वास स्थल के चयन के समय वैसे पुनर्वास स्थलों को प्राथमिकता देनी थी जहाँ कृषि हेतू सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं कुटीर उद्योगों के विकास जैसी रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो ।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित भी प्रकाश में आए :

(क) बागमती (13204) एवं कोशी (28472) परियोजनाओं के विस्थापित लोगों को 2.94 करोड़ रुपये के खर्च पर क्रमश: 45 एवं 60 स्थलों पर पुनर्वासित (1956-94 के दौरान) कराया गया। चूंकि विभाग उनके पुनर्वास स्थल पर कृषि भूमि, स्कुल, पेयजल जैसे सामाजिक एवं आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं करा सका । इसलिए दोनों परियोजनाओं के विस्थापित लोग प्रति वर्ष ऋतु के बाद अपने कृषि प्रक्षेत्र के नजदीक पूरानी जगह पर लौट जाते थे जिससे खेती एवं अन्य आर्थिक गतिविधयों में सुविधा होती थी ।

(ख) सुवर्णरेखा परियोजना के तहत् विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए औसत आधार पर 70 में 90 एकड़ वाली 33 पुनर्वास कॉलोनियों के लिए दो सेक्टर के दो जलाशयों (चांडिल एवं ईचा) के 20 से 40 कि.मी. के अन्दर सुविधाजनक स्थलों की पहचान की गयी थी, उनमें से वर्ष 1997-92 के दौरान चांडिल सेक्टर के 11 कॉलोनियों एवं ईचा सेक्टर के 4 कॉलोनियों को विकसति की गयी थी । चांडिल एवं ईचा जलाशयों में पुनर्वास स्थल के विकास के लिए किया गया व्यय क्रमश: 5.20 करोड़ एवं 1.63 करोड़ रुपये था ।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि चांडिल जलाशय क्षेत्र के 38 गांवों की सामाजिक आर्थिक अध्ययन हेतू प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना के द्वारा जेवीयर समाजसेवा संस्थान, राँची को नियुक्त किया गया (दिसम्बर 1990) । संस्थान ने अपनी प्रतिवेदन (अप्रैल 1991) में पाया कि चांडिल जलाशय स्थल के अधिकतर परिवार, जिन्हें परियोजना क्षेत्र से विस्थापित किया गया था, अनुसूचित जनताति के थें, जिन्हे बहुत ही कम मुआवजा दिया गया एवं उनके आजिविका का मुख्य स्त्रोत मुख्यत: कृषि श्रमिक/आकस्मिक श्रमिक थे । किन्तु रोजगार अवसरों की कमी के कारण वे बेहतर रोजगार अवसरों की आशा में दूसरी जगह चले गऐ ।

संस्थान ने यह भी पाया कि पुनर्वास स्थलों पर हरित भूमिका सृजन एवं पेड़ लगाने हेतू भूमि खंड के साथ-साथ पुनर्वास के कारण उत्पन्न हुई कठिनाईयो को कम करने के लिए प्रभावित परिवारों को लकड़ी आपूर्ति इत्यादि को

विकसित किया जाना बाकी था । कार्यपालक अभियंता योजना एवं अनुश्रवण चांडिल ने बताया कि संस्थान के प्रतिवेदन पर ली गयी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी सूचना जाँच के बाद भेजी जाएगी ।

(ग) ईचा जलाशय को 13756 लोगों के पूनर्वास की आवश्यकता था। यद्यपि 1.63 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद मात्र 1995 तक ईचा जलाशय के निर्माण में पूनर्वास स्थलों के विकास पर किसी परिवार को पुनर्वास नहीं किया गया एवं विभिन्न कारणों के कारण किसी भी इंदिरा आवास का निर्माण नहीं किया गया । इसके बाद कोई व्यय नहीं किया गया ।

4.33.7 भुखंडो का वितरण एवं गृहों का निर्माण

(क) सूवर्णरिखा परियोजना के चांडिल प्रभाग लोगों के पुनर्वास के लिए 4013 पुनर्वास भूखंड़ों का अधिग्रहण किया गया । इसके विरूद्व मार्च 1992 तक 2092 भूखंड़ो का आवंटन लाभार्थियों को किया गया । इनमें से 1105 भूखंड लाभार्थियों द्वारा दखल कर ली गई । इस प्रकार 1.31 करोड़ रुपए मूल्य पर अधिग्रहित 2903 भूखंड अव्यवहृत पड़े रहे । भूखंड़ो के आवंटन नहीं किए जाने का कोई कारण अभिलेख में नहीं था ।

(ख) प्रत्येक विस्थापित परिवार को गृह निर्माण अनूदान (20,000 रुपए प्रति परिवार) भूमि खरीद एवं विकास अनूदान (25,000 रुपए प्रति परिवार) भुगतये थे । तदनुरूप 1990-97 के दौरान सूवर्णरिखा परियोजना के प्रशाक के द्वारा 4 पुनर्वास पदाधिकारियों एवं 6 भू-अर्जन पदाधिकारियों के माध्यम से गृहनिर्माण अनूदान के रूप में 6.71 करोड़ एवं भूमि की खरीद के लिए 26.25 लाख रुपए का भूगतान 5217 विस्थापितों को किया गया । संवीक्षा से पता चला कि विभाग को निर्माण किए गए मकानों की संख्या एवं सुवर्णरिखा परियोजना में अनुदान के उपयोग के संदर्भ में कोई सूचना नहीं थी । इसलिए कार्य के भौतिक प्रगति के अनुश्रवण का तरीका एवं निधि का उपयोग सुनिश्चित करने योग्य नहीं था ।

(ग) सुवर्णरिखा परियोजना के चांडिल जलाशय के तहत प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतू वर्ष 1990-91 के दौरान विभागीय स्तर पर क्रमश: 15,300 रुपए वं 20,000 रुपये प्रति मकान के आकलिज लागत पर 439 इन्दिरा आवास एवं

निम्न लागत के मकान योजना के तहत 136 मकानों का निर्माण शुरू कराया गया । मार्च 1992 तक मकान कुल 94.37 लाख रुपए की लागत पर बना दिए गए । इनमें से इन्दिरा आवास के 156 मकान एवं 24 निम्नलागत मकान लाभान्वितों को आवंटित कर दिए गए । शेष बचे 43.30 लाख की लागतपर बने इन्दिरा आवास के 283 मकान एवं निम्नलागत के 22.40 लाख पर बने 112 मकान लाभान्वितों को आवंटित नहीं किए गए थे ।

आवंटित नहीं किए गए मकानों में से कुल 65.39 लाख रुपए (42.99 लाख रुपए+22.40 लाख रुपए) की लागत पर 281 इन्दिरा आवास एवं 112 कम लागमत के मकान निम्न कोटि के सामग्रियों के उपयोग एवं समय बीतने के साथ हुई क्षति के कारण ध्वस्त हो गए (1193-94) । विस्थापितों को आवंटित इन्दिरा आवासी में से 36 इकाई (चिलगु स्थल पर) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिए गए । इस प्रकार इन्दिरा आवास एवं 114 निम्न लागत के आवास निर्माण पर हुए क्रमश: 48.04 लाख रुपए का व्यय हो गया ।

लेखा परीक्षा के संवीक्षा से ज्ञात हूआ कि चांडिल जलाशय के चिलगु पुनर्वास स्थल पर निर्मिम 113 इन्दिरा आवास (1991-92) के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता कैंप एवं भंडार प्रमंडल चांडिल के द्वारा दिए गए भौतिक सत्यापन के अनुसार 15 नवम्बर 1994 को सिर्फ 76 मकान ही अस्तित्व में थे इस प्रकार 5. 66 लाख की लागत पर निर्मित 37 इन्दिरा आवासों का निर्माण फर्जी था। सुवर्णरेखा परियोजना के प्रशासन ने प्रतिवेदन किया (29 जनवरी 1995) कि 0. 73 लाख की लागत पर कपाली पुनर्वास स्थल पर फिलन्य लेवल तक निर्मित 48 निम्न लागत मकान का कोई अता-पता नही था।

इस प्रकार 6.39 लाख रुपये के मकानों का जाली निर्माण किया गया । प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना के द्वारा जाली निर्माण कार्य के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई ।

(घ) बागमती परियोजना के अखता स्थल के पुनर्वास भूखंडो पर बाहर के लोगों के द्वारा 60 दूकानों का निर्माण किया गया । प्रशासक के द्वारा इन अतिक्रमित स्थलों/भूखंडो को खाली नहीं कराया गया था (जुलाई 1998) ।

4.33.8 भवन निर्माण अनुदान का अमान्य भुगतान

परियोजना के कारण प्रभावित प्रत्येक परिवार, जिन्हे सरकार के किसी अन्य स्कीम के तहत मकान का प्रावधान नहीं किया जा सका, को 2 कमरे के मकान या एक फ्लैट के निर्माण के लिए 20,000 की वित्तीय सहायता देनी थी। इसके विपरीत सुकसराय पुनर्वास स्थत पर परियोजना से प्रभावित 9 लोगों को इन्दिरा आवास/निम्न लागत आवास योजना के तहत् वर्ष 1993-94 के दौरान आवास मुहैया कराई गई एवं साथ ही साथ 1990-97 के दौरान प्रत्येक को 20,000 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से भवन निर्माण अनुदान भी दिया गया जिसके फलस्वरूप 9 परिवारों को 1.80 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

4.33.9 विद्यालय भवन का निर्माण

वर्ष 1985-91 के दौरान सुवर्णरेखा परियोजना में विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर 14 विद्यालय भवनों के निर्माण एवं विभिन्न स्थलों (कंदखेरा,कपाली,लाकरी,झीमुरी,कुकरू) पर 5 विद्यालय भवनो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया जो मई 1998 तक निर्माणधीन ही था। फरवरी 1994 तक 40 लाख रूपए के अनुमानित लागत के विरूद्ध 26.31 लाख रुपए का व्यय किया गया था। उसके बाद कोई व्यय नहीं किया गया। फिर सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के तहत 5 अन्य पुनर्वास स्थलों (झालक,भलूपानी,तिलाई,बकसेरी एवं अयता) पर 48 लाख रुपए की लागत पर विद्यालय भवन का निर्माण (1985-91) किया गया। यद्यपि मई 1998 तक पूनर्वास स्थलों के निकट परियोजना से प्रभावित एक भी व्यक्ति नहीं बसा था एवं विद्यालय अक्रियाशील पड़े रहे। इस प्रकार विद्यालयों के निर्माण पर किया गया 74.31 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा क्योकि या तो ये अपने अपूर्ण थे या छात्रों की कमी के कारण विद्यालय क्रियाशील नहीं थें।

4.33.10 खुले कुएं का निर्माण

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हूआ कि सूवर्णरेखा परियोजना के तहत 12 पुनर्वास स्थलों वर्ष 1985-91 के दौरान 22.35 लाख रुपए की लागत पर 48 कुँओ का निर्माण किया गया। विस्थापित लोगों को भूखंड आवंटित नहीं

होने के कारण इन स्थलों पर कोई भी विस्थापित व्यक्ति नहीं बस सका । इस प्रकार 22.355 लाख की लागत पर निर्मित 48 कुँओं से कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका । इसके अतिरिक्त प्रयोग में नहीं रहने के कारण ये खुले कुएँ अवक्रमित हो गए ।

परियोजना के वनकट्टी पुनर्वास पर कुँओं का निर्माण शुरू किया गया (मई 1992) एवं जून 1992 तक उसपर 0.66 लाख लाख व्ययकर दिए गए थे । यद्यपि वर्षा ऋतु के पूर्व निर्माण पूरा नहीं किए जाने के कारण सभी कुँए वर्षा ऋतु के दौरान ध्वस्त (जुन 1992) हो गए जिसके फलस्वरूप 0.66 लाख रुपए का व्यय निरर्थक हो गया । वर्षा ऋतु के पूर्व निर्माण पूरा नहीं किए जाने एवं कुओं के ध्वस्त हो जाने की जिम्मेदारी प्रशासक के द्वारा मई 1998 तक निर्धारित नहीं की गई ।

परियोजना के कपाली पुनर्वास स्थल पर 1.16 लाख रुपए की लागत पर 4 कुओं का निर्माण निम्नस्तरीय सामग्रियो के द्वारा कराया गया एंव कुएँ ध्वस्त (1985-91) हो गए जिसके फलस्वरूप 1.16 लाख का निरर्थक व्यय हुआ । निम्नस्तरीय सामग्रियों से कुओं का निर्माण जिसके कारण कुँए ध्वस्त हो गए, कि जिम्मेदारी मई 1998 तक निर्धारित नहीं की गई ।

4.33.11 नलकुप

सुवर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना के तहत विभिन्न पुनर्वास स्थलों (बरसीसीराम कूकरू, कटैया, झालक, सीटु इत्यादि) पर निर्धारित 363 के विरूद्ध वर्ष 1985-91 के दौरान 205 नलकुपों का गाड़ा गया जहाँ कोई विस्थापित नहीं बसे थे । इस प्रकार नलकुप गाड़ने में 1.03 करोड़ का व्यय निष्फल रहा । फिर 3 दूसरे पुनर्वास स्थल (सीटु, लकड़ी, चानलीबासा) जहाँ अभिलेख के अनुसार 50 नलकुप गाड़े गए थे, किन्तु भातिक सत्यापन (मई 1998) के अनुसार सिर्फ 35 नलकुप ही 1985-91 के दौरान अस्तित्व में थे । इस प्रकार संबंधित पदाधिकारियों द्वारा 15 नलकुप के नहीं गाड़े जाने के बावजूद जाली कार्य के लिए 7.50 लाख रुपए का भूगतान कर दिया गया । संवीक्षा से यह भी पता चला कि वर्ष 1989-92 के दौरान 5 पुनर्वास स्थलों पर (चरलीवासा, कुन्दरी,लौना,धांगड़ी

लकारी एवं बनकट्टी) निर्माण हेतू लिए गये 31 नलकुपों में से 2.50 लाख की लागत पर 5 नलकुपो (16 प्रतिशत) का काम पूरा किया गया एवं शेष 26 नलकुप अपूर्ण रहे, यद्यपि इन अपूर्व नलकुपों पर 8.59 लाख रुपए का व्यय किया गया था । जैसा कि इन स्थलों पर बसाया नहीं गया था अतः 11.09 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ।

4.33.12 तालाबो का निर्माण

सुवर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1985-91 के दौरान 5 पुनर्वास (चिलासुः 1, कपालीरु 2, सूखसरीः 1, कदखेराः 1, गंगंडीह :1) पर 6 तालाबों का निर्माण हुआ जहाँ कोई भी विस्थापित नहीं बसा था, जिसके कारण 8.40 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा । वर्ष 1990 तक 7 स्थलों (लाकरी, मकुला,कुडीह,ताराकुआ, मनाकुँआ, छोटा लखा एवं कुकरू) पर तालाबों के अपूर्ण निर्माण पर 3.97 लाख का व्यय किया गया ।

बेरासीसीरम स्थल में वर्ष 1985-91 में 2.80 लाख रुपए के खर्च पर पुनर्वास अधिकारियों द्वारा 2 तालाबों का निर्माण किया गया । प्रशासक ने बताया (जनवरी 1995) कि नाला पर एवं जंगल के नजदीक निर्मित एक-एक तालाब प्रश्नसूचक थे । यद्यपि, प्रश्नसूचक तालाब के निर्माण के लिए उनके द्वारा संबंधित पुनर्वास पदाधिकारियों के विरूद्व कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई ।

4.33.13 सहकारिता भवन का जाली निर्माण

सु.बहु.परि. के चिलगु पुनर्वास स्थल पर वर्ष 1990-91 के दौरान 3.20 लाख रुपए कि लागत पर सहकारिता भवन के एक इकाई का निर्माण किया गया । पुनर्वास पदाधिकारी, सु.बहु.परि. जमशेदपुर के द्वारा अक्टूबर 1992 में किए गए निरीक्षण के दौरान कार्य स्थल पर कोई सहकारिता भवन अस्तित्व में नहीं थी । इस प्रकार सहकारिता भवन के जाली निर्माण के विरूद्व 3.20 लाख रुपए का भूगतान कर दिया गया एवं मई 1998 तक परियोजना द्वारा किसी को उत्तरदायी नहीं बताया गया था ।

वर्ष 1985-91 के दौरान 2.82 लाख की लागत से 3 पुनर्वास स्थलों (टीएमसी, सुकरारी एवं कटैया) पर 3 सामूदाहिक भवनों का निर्माण कराया गया । यद्यपि इन स्थलों पर कोई विस्पापित व्यक्ति नहीं बसे थे। इस प्रकार 2.82 लाख रुपए का व्यय निष्फल रहा।

4.33.14 पेड़ों का जाली वृक्षारोषण

सु.बहु.परि. के तहत कुकरू पुनर्वास स्थल पर वर्ष 1990-91 के दौरान 0.65 लाख रुपए का निवेश वाणिकी कार्य के लिए किया गया था । अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं अपर निदेशक, शोध के द्वारा की गई संयुक्त निरीक्षण (1994) के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि स्थल पर कोई पौधा नही था । यद्यपि, इस जाली खर्च के लिए किसी को उत्तरदायी नही ठहराया गया ।

4.33.15 पहुँच पथ का दोषपूर्ण निर्माण

कंडरवेरा पुनर्वास स्थल पर वर्ष 1991-92 के दौरान 2.82 लाख रुपए की लागत पर 0.66 कि.मी. पहूँच पथ का निर्माण किया गया । मुख्य अभियंता, ईचा-गालूडीह परिसर द्वारा जुलाई 1992 में की गई निरीक्षण के दौरान उन्होनें पहुँच पथ के निर्माण पर अप्रसन्नता व्यक्त की एवं पाया कि पहुँच पथ का निर्माण रूपांकण एवं विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं की गई । यद्यपि, जुलाई 1998 तक दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी ।

4.33.16 अनियमित एवं जाली नियुक्तियाँ

सुवर्णरेखा परियोजना में वर्ग - IV के सभी पद पर वर्ग - III के 50 प्रतिशत पदों का विस्थापित एवं स्थानीय लोगों द्वारा ही भरा जाना था, बशर्त कि पद उपलब्ध हो एवं उसके लिए आवश्यक योग्यता हो । अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि दिसम्बर 1985 से दिसम्बर 1987 के बीच परियोजना के प्रशासन द्वारा 39 ऐसे लोगों की नियुक्ति वर्ग -IV के पद पर कर दी गई जो विस्थापित नहीं थे ।

यद्यपि वर्ग - III एवं IV के पदों पर 3 महीनों के लिए अस्थाई नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र पदाधिकारियों को प्राप्त था जिसे सरकार द्वारा दिसम्बर

1980 में खत्म कर दिया एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिसम्बर 1983 में फिर से दे दिया गया । सितम्बर 1981 से दिसम्बर 1984 के बीच बागमती परियोजना में पुनर्वास पदाधिकारी, सीमामढ़ी द्वारा 10 लोगों (5 को वर्ग -III एवं 5 को वर्ग-IV) की नियुक्ति अस्थाई तौर पर 3 से 6 महीने के लिए की गई । इनमें एक कर्मचारी (वर्ग -III) की नियुक्ति जाली पाई गई एवं सितम्बर 1997 में उसे सेवामुक्त कर दिया गया । इनके वेतन एवं भत्ते पर अगस्त 1991 से अगस्त 1997 के बीच 2.03 लाख का अनाधिकृत व्यचन हुआ । बाकी बचे कर्मचारियों (वर्ग-III-4 एवं वर्ग -IV-5) की सेवाओं को मई 1998 में सक्षम पदाधिकारियों द्वारा नियमित कर दी गई । मार्च 1998 तक उनके वेतन एवं भत्ते पर 34.45 लाख रुपए का व्यय हुआ ।

इसी तरह कोशी परियोजना में पुनर्वास पदाधिकारी, सुपौल द्वारा 1983 से जुलाई 1989 के दौरान 11 लोगों (2-वर्ग -III एवं 9 वर्ग IV) की अस्थाई तौर वपर नियुक्ति की गई। इनमें से 3 (वर्ग-III -1 एवं वर्ग-IV -2) कर्मचारियों की नियुक्ति जाली पायी गयी एवं सितम्बर 1997 एवं जून 1998 में उन्हें वर्खास्म कर दिया गया । जिसके फलस्वरूप मई 1983 से जून 1998 के दौरान लाख रुपए का अनाधिकृत व्यय हुआ । शेष बचे कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -7) की सेवा जून 1998 में सक्षम पदाधिकारियों द्वारा नियमित कर दी गई । मार्च 1998 तक उनके वेतन एवं भत्ते पर 27.47 लाख रुपए का व्यय हुआ ।

निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास ने जुलाई 1974 से मई 1974 से मई 1989 के दौरान 13 विस्थापित लोगो (सभी वर्ग -IV) की नियुक्ति की एवं उन्हे पुनर्वास कार्यालय, सुपौल में पदस्थापित किया । इनमें से 8 लोगों (सभी वर्ग -IV) की नियुक्ति जाली पाई गई एवं उन्हें सितम्बर 1997 एवं मार्च 1998 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जिसके फलस्वरूप अप्रैल 1983 से मार्च 1998 के दौरान 16.50 लाख रुपए का अनाधिकृत व्यय हुआ । शेष बचे 5 वर्ग -IV कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति जारी रही । जुलाई 1974 से मार्च 1998 के दौरान 18.21 लाख रुपए का व्यय उनके वेतन एवं भत्ते पर किया गया ।

(ख) नए पुनर्वास योजना के तहत विस्थापित लोगों को रोजगार हेतू प्रशिक्षण के उद्देश्य से औद्योगिक केन्द्र आरम्भ करना था किन्तु किसी भी

परियोजना के तहत कोई औद्योगिक केन्द्र स्थापित नहीं किए गए। चांडिल में एकआई.टी.आई. की स्थापना का प्रस्ताव श्रम एवं नियोजन विभाग को भेजा गया (फरवरी 1985) किन्तु स्वीकृति प्रतीक्षित थे (अप्रैल 1998)।

(ग) स्व0 नियोजन को बढ़ाया देने के उद्देश्य से नए पुनर्वास योजना के तहत ऐसे विस्थापित लोगो जो कृषि पर आधारित नहीं थें, को विभिन्न ट्रेडों के कुशल एवं अकुशल कार्यो में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया जाना था । इसके लिए बैंक द्वारा रियायती दर पर 25000 रू0 के ऋण के साथ-साथ 1000 रुपए तक की वृति का प्रावधान भी करना था

संवीक्षा से पता चला कि सुवर्णरेखा परियोजना के 14.164 विस्थापितों में से सिर्फ 345 (2.43 प्रतिशत) को वर्ष 1990-91 के दौरान 13.85 लाख रूपए के व्यय व्यवसायिक प्रतिक्षण (रेडियो/टी.वी. मरम्मत, गाड़ी चालन, आई.टी.आई. प्रशिक्षण, मछली पालन एवं फोबे ग्राफी) दी गई यद्यपि सरकार द्वारा निर्धारित की गई मानको (दिसम्बर 1990) के अनुसार इन पर सिर्फ 10.35 लाख रूपए (3000 रूपए 345) का ही व्यय होना चाहिए था । इस प्रकार 3.50 रूपए का अधिकारी व्यय हुआ । रियायजी ब्याज दर पर 1.35 लाख रुपए का बैंक ऋण सिर्फ 28 विस्थापितों (0.2 प्रतिशत) को ही दिया गया ।

(घ) कृषि पर आधारित परिवारें को उनके आर्थिक पुनरूद्धार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी जमीन के आवंटन में प्राथमिकता देनी थी । संवीक्षा से पता चला कि सुवर्णरेखा के तहत 5 प्रखंडो में विस्थापितों के बीच वितरण हेतू उपलब्ध 5,457,76 एकड़ भूमि में से सिर्फ 251 एकड़ (4.6 प्रतिशत)का वितरण 231 विस्थापितों के बीच किया गया एवं शेष बची भूमि सरकार के पास ही बनी थी ।

(ड.) कार्यस्थल पर निर्मित छोटी, दुकानों, बिक्री केन्द्रों आदि को विस्थापित के लिए आरक्षित रखना था । संवीक्षा से पता चला कि ये सुविधा विस्थापितों को उपलब्ध नहीं कराई गई ।

4.33.17 विकास पुस्तिका का अमान्य निर्गम

प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को एक विकास पुस्तिका उपलब्ध कराना था जिससे प्रभावित परिवार पुनर्वास उपायों का लाभ प्राप्त कर सर्क एवं परिवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी लाभों को उसे पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए ।

नमुना जाँच में यह पाया गया कि सुवर्णरेखा परियोजना से प्रभावित परिवार को एक से अधिक पुस्तिका निर्गत की गई । कुछ मामले निम्नलिखित थे :

(1) एक विकास पुस्तिका (सं.-3446) मैसाना गांव में झंगलिया भूमिजन को दी गई जबकि दूसरी विकास पुस्तिका उसके पति (झुलु मुंडा) को निर्गत की गई जिसने गृह निर्माण के लिए 20,000 रुपए का भूगतान प्राप्त किया ।

(11) एक विकास पुस्तिका (सं.-15170) बसावातू गांव के सुनिका वेहरा को निर्गत किया गया (1990) जबकि उसकी शादी 20-25 वर्ष पहले ही हो गई एवं वह पश्चिम बंगाल के खड़गपूर जिला में रह रही थी । उसके पिता (गोविन्द करवट) के पास पहले से ही एक विकास पुस्तिका(सं.-3790)थीं इसके विरूद्व उसने 12.5डिसमल भूखंड एवं 12.5 डीसमल भूमि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त की ।

(111) एक विकास पुस्तिका (सं.- 1422) निताई गोप को निर्गत किया गया जबकि दूसरी विकास पुस्तिका (सं.-17270) उसके पुत्र (जनातन) को निर्गत किया गया जो माता-पिता के साथ रहता था । इन विकास पुस्तिका के माध्यम से गृह निर्माण के लिए 20,000 रुपए का अनुदान भी प्राप्त किया।

इस प्रकार लाभान्वितकों सही पहचान नहीं की गई एवं दूसरे प्रभावित लोगों के मुल्य पर खास लोगों को अमान्य लाभ प्रदान की गई ।

4.33.18 लंबित असमायोजित/अबसूलित अग्रिम

बिहार लोग कार्य लेखा (बि.लो.का.ले.) संहिता के नियम 100 के अनुसार अधीनस्थ

अधिकारियों को दिन प्रति दिन के कार्यो के लिए छोटे भूगतान हेतू दिएगए अस्थाई अग्रिम को वित्तीय वर्ष के अंत में शून्य कर देना है .

इसके विपरीत मुख्य अभियंता, ईचा,-गालूडीह, जमशेदपूर द्वारा 1991-92 के दौरान पुनर्वास कार्यो के लिए सुवर्णरेखा परियोजना के 6 अधिकारियों को दिए गए 74.14 लाख रुपए का अस्थाई अग्रिम मार्च 1998 तक असमायोजित/अवसूलित बने रहे । सभी पदाधिकारी परियोजना से स्थानांतरित हो गए एवं परियोजना के प्रशासक उन्हे वितरित करने के पूर्व किसी भी पदाधिकारी से अग्रिम का समायोजन/वसूली नहीं कर सके । ये राशि अधिकारकयों से वसूला जाना था जिन्होनें ये अग्रिम प्राप्त किए थे ।

4.33.19 अनुश्रवण एवं मुल्यांकन

जुलाई 1998 तक प्रशासक/एस.एम.पी/मुख्यालय स्थित अनुश्रवण कोषांग द्वारा किसी परियोजना के पुनर्वास कार्य को कोई अनुश्रवाण नहीं किया गया । किसी स्वतंत्र अभिकरण के द्वारा राज्य में पुनर्वास कार्यो का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया ।

तथ्यों को सरकार का संदर्भित किया गया (जुलाई 1998): उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी 1998)

विभागीय स्पष्टीकरण

कंडिका 4.33 का उप कंडिकाओं (वृहत राज्य सिचाई परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास) में की गयी आपत्तियों के संबंध में कंडिकावार उत्तर

उप कंडिका 4.33.3 एवं 4.334

सुवर्णरेखा परियोजना (उप-कंडिका 4.33.5) कोशी बागमती एवं सुवर्णरेखा परियोजनाओं पर निषिक्रिया स्थापना बागमती ।

कार्यमद में आवंटन के अभाव में कार्य बंद रहें, किन्तु आलोक अवधि के बीच भूमि का वितरण, पर्चा वितरण आदि अन्यान्य कार्य किये गये । अवशेष कार्य को करने एवं कार्यालय अभिलेख संधारित रखने के लिए उकत कार्यालय को कायम रखना आवश्यक है। चुंकि कार्यालय कार्यरत है, अत: इनके कोशी वर्ष 1992-97

के दौरान आवंटन के अभाव में कार्य पर कोई व्यय नही किया गया परन्तु विस्थापितों को कल्याण हेतू कार्रवाई की गयी है। अधिकांश विस्थापित कोशी नदी के बाढ़ से परेशान होने के बाद अधिकृत पुनर्वास स्थलों पर पुनः शारण लेने आते थे । जिसके देय रकबे की पहचान करायी गयी। इसके अतिरिक्त पुनर्वासियों के बीच बांसडीह संबंधित 46 विवादों का निपटारा, 182 अदद अतिक्रिमण भूमि का निपटारा का कार्य किया गया । विस्थापितों को इंदिरा आवास के 1.116 अदद वासडीह विवरणी की सुचना आवश्यकतानुसार संबंधित पदाधिकारी को दी जाती रही है। अतः कार्यालय स्थायी होने के कारण स्थापना मद में खर्च होना स्वाभाविक है। ऊपर वर्णित किये गये कार्यो की विवरणी संलग्न है ।

सुवर्णरेखा

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है।

4.33.6 कोशी बागमती एवं सुवर्णरेखा में नेथ पुनर्वास स्थलों की स्थापना

कोशी

कोशी योजना के अन्तर्गत पुनर्वास स्थल्नों की संख्या 130 है जिसमें कुल विस्थापितों की संख्या 33,307 है। प्रायः सभी की भूमि आवंटित कर दी है। विस्थापितों को मूल ग्राम के बासडीह में बने मकानों के मूल्य के समतूल्य गृह निर्माण अनुदान का प्रथम किस्त लगभग सभी को एवं द्वितीय एवं तुतीय किस्त आंशिक रूप से की जा चूकी है। विकसित पूनर्वास स्थलों की संख्या 120 है । इनमें विभिन्न पुनर्वास स्थलों में कच्चे मार्गो का निर्माण किया गया हे। सार्वजनिक सुविधा हेतु 33 अदद है कलमर्ट, 49 अदद तालाब,16 अदद सामूदायिक भवन, 124 अदद कुआं, 575 अदद चापाकल एवं 12 अदद विद्यालयों की सुविधा प्रदान की गयी है। 33 पूनर्वास स्थलों का विकास विस्थापितों की उदासीनता एवं निधि के अभावमें नहीं किया गया है । दोनों बांधो के बीच के विस्थापितों का जमीन अर्जीत नहीं किया गया है । इन विस्थापितों के अपने मूल ग्राम लौटने का कारण यह है कि उनके जिविकोपार्जन का साधन कृषि योग्य भूमि ही है, जो दोनों तटबंधों के बीच में अवस्थित है।

बागमती योजना इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 के पूर्व पुनर्वास पर चापाकल, आंतरिक पथ, स्थल समतलीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है। राशि के अभाव में विद्यालयों भवन,पेयजल आदि सामाजिक एवं आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं करया जा सकता है। इसके बावजूद भी इस परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वासित किये गये परिवार अपने पूराने स्थल पर न लौटकर पुनर्वास स्थल पर ही घर बनाकर रह रहे है।

सुवर्णरेखा

यह योजना अब झारखंड राज्य से संबंधित है ।

4.33.7सुवर्णरेखा एव0 बागमती योजना में भूखंडों का विवरतरण एवं गृह का निर्माण

बागमती

बागमती योजना के अख्ता स्थल के पुनर्वास भूखंडों पर अनाधिकृत निर्माण स्थानीय प्रशासन की सहयोग से हटाने की कार्रवाई गई, परन्तु उक्त मामला जिला न्यायालय में लंबित रहने के कारण न्यायालय के निर्णय तक अग्रेतर कार्रवाई को स्थगित रखा गया है।

4.33.8 सुवर्णरेखा परियोजना में भवन निर्माण अनुदान का अमान्य भुगतान

झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.9सुवर्णरेखा परियोजना में विद्यालय भवन का निर्माण

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.10 सुवर्णरेखा परियोजना में खुले कुएं का निर्माण

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.11 नल कूप

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.12 सुवर्णरेखा परियोजना में तालाब का निर्माण

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.13 सुवर्णरेखा परियोजना में सहकारिता भवन का जाली निर्माण

यह झारखंण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.14 सुवर्णरेखा परियोजना में पेड़ों का जाली वृक्षरोपरण

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.15 सुवर्णरेखा परियोजना में पहूँच पथ का दोषपूर्ण निर्माण

यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.16 सुवर्णरेखा बागमती एवं कोशी योजना में अनियमित एवं जाली नियुक्तियाँ

पूनर्वास एवं भू-अर्जन कार्यालयों मेंब की गयी अवैध नियुक्तियों के संबंध में स्थिति निम्नवत है:-

(1)	मंत्रीमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा जाँचोंपरांत विभाग को उपलब्ध कराई गई अनियमित नियुक्ति वाले कुल कर्मचारियों की संख्या	928
(2)	उक्त सूची में पुनावृति नाम की संख्या	04
(3)	कुल कर्मियों की संख्या	01
(4)	सुवर्णरेखा से विस्थापित कर्मियों की संख्या जिनकी सेवा अनियमित के घेरे से बाहर रखी गयी ।	352
(5)	इस प्रकार शेष अनियमित नियुक्ति वाले कर्मियों की संख्या	571
(6)	उक्त कार्मिको में से सेवा से हटाए गये कार्मियों की अद्यतन संख्या	301

(7)	शेष कार्मिको की संख्या जिसकी नियुक्ति की जाँच विचाराधीन है	270
(8)	सेवा से हटाये गये कार्मिको के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर विचाराधीन मामला	135
(9)	नियुक्ति करने वाले पदाधिकारियों विरूद्ध निगरानी थाना में एफ.आई.आर. 4/97 दर्ज किया गया है तथा दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कर्रवाई करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस संदर्भ में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग भेजने हेतु प्रेषित के क्रम में है ।	

4.33.17 सुवर्णरेखा परियोजना में विकास पुस्तिका में असान्य निर्गम यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.18 सुवर्णरेखा परियोजना में लंबित असमायोजित/अपसूचित क्र..म यह झारखण्ड राज्य से संबंधित है ।

4.33.19 सुवर्णरेखा परियोजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकण यह झारखण्ड राज्य से संबंधित हैं ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका में बिहार राज्य से संबंधित पोर्शन वाले मामले को समिति निष्पादित करती है । झारखंड राज्य से संबंधित पोर्शन को लंबित रखा जाता है, विभाग झारखंड सरकार को इसके बाकी जवाव के लिये लिखें ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल)कंडिका -5.7

कंडिका -5.7 अनावश्यक सिमेंट की अधिप्राप्ति एवं जमने के परिणामस्वरूप 23.65 लाख रूपये की हानि मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , देवघर के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 16 सिंचाई प्रमंडलों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में निर्माण कार्यों के लिए 9 सिमेंट कम्पनियों (38337 वैग) एवं 5 पड़ोसी सिंचाई प्रमंडलों से स्थानान्तरण के माध्यम से (7896बैग) अप्रैल 1979 एवं दिसम्बर 1991 के बीच प्राप्त 23.65 लाख रूपये मूल्य के 46233 बैग सिमेंट , अप्रैल 1979 से अगस्त 1993 के दौरान जम गये थे ।

ब्योरे निम्नानुसार थे :

क0	प्रमंडल का नाम	जमा हुई सिमेंट की मात्रा (बैग मे)	जमे हुए सिमेंट का मूल्य (लाख रू0में)	जमने के कारण
1.	सिंचाई प्र. सोनो	21562	11.43	(1) कम क्षमता वाले गोदाम में अधिक मात्रा में सिमेंट का भंडारण (2) वर्षा ऋतु में सिमेंट की ढुलाई (3) सरकार द्वारा बार्नर जलाशय योजना बंद किये जाने के कारण
2.	सिंचाई प्र.कथ्थाटाड़ कैम्प- बेतिया	4718	2.60	कार्य का समय पर पूरा नहीं होने के कारण
3.	सिंचाई प्र जसीडीह (देवघर)	3589	1.90	भू-अर्जन में विलम्ब के कारण कार्य में धीमी प्रगति और पर्यापत राशि का आवंटन नहीं होना सिमेंट जमने का मुख्य कारण था ।
4.	सिंचाई प्र. नाला (दुमका)	3230	1.78	निधि के अभाव के कारण कार्य नहीं किया सका । अत: सिमेंट का उपयोग नहीं किया जा सका ।
5.	सिंचाई प्र. (दुमका)	1932	1.06	सिमेंट का उपयोग अन्यत्र किये जाने के लिए उत्चाधिकारी को कनीय अभियंता द्वारा विलम्ब से सूचित किया जा सका ।
6.	सिंचाई प्र.सं0-1 झाझा	1835	1.01	कारण अभिलेखों में नहीं थे ।

7.	सिंचाई प्र. पाकुड़	3741	0.88	कार्य पालक अभियंता के अनुसार उच्चाधिकारियों की उपेक्षा के कारण
8.	सिचाई प्र. मुंडहीत (दुमका)	1599	0.85	जमने का कारण लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया ।
9.	सिंचाई प्र. जामताड़ा	1957	0.50	चक्रवात एवं भरी वर्षा के कारण गोदाम का जी.सी.आई. सीट उड़ गये, अतः सिमेंट जम गया ।
10.	सिंचाई यांत्रिक प्र.,	559	0.70	बरनार जलाशय योजना का अचानक बन्द हो जाने के कारण सिमेंट का उपयोग नहीं किया सका । निधि के आभाव में सिमेंट को उलटा -पलटा नहीं जा सका ।
11.	सिंचाई प्र.मधुपुर	529	0.29	निधि के अभाव में सिमेंट का उपयोग कार्यों पर नहीं किया जा सका ।
12.	लघु वितरणी प्र.,	287	0.20	निधि के आवंटन एवं प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रत्याशा में सिमेंट का उपयोग नहीं किया जा सका ।
13.	सिंचाई प्र. देवघर	183	0.18	प्रभारी कनीय अभियंता की लापरवाही के कारण सिमेंट जम गया ।
14.	पुनासी स्पीलवे प्र., देवघर	234	0.12	क.अ./ स.अ. के दोष के कारण ।
15.	सिंचाई प्र., बरहरवा	241	0.13	रेलवे से जमा हुआ सिमेंट प्राप्त किया गया था
16.	सिंचाई प्र. ,बरहेट	37	0.02	-वही-
	योग	46233	23.67	

यह पाया गया कि सिंचाई परियोना के निधि के अभाव में बीच में ही बन्द हो जाने , भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था और तत्काल उपयोगिता को संनिश्चित किये बिना सिमेंट की अधिप्राप्ति के कारण सिमेंट मुख्यतः जम गये थे ।

हालांकि विभाग द्वारा न सामग्रियों को अन्य प्रमंडलों को स्थानान्तरित करने के लिये और न ही सिमेंट की निलामी/ बिक्री द्वरास निपटारा करने के लिये ही कोई कदम उठाया गया था । प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा उपस्थापित किये गये प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य अभियंता ने उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए

सिमेंट के कीमत की बसूली के लिये दोषी व्यक्तियों का नाम निदेशक, क्रय एवं परिवहन (डीपीटी) , जल संसाधन विभाग को अग्रसारित किया था (अप्रेल 1996) परन्तु विभाग द्वारा फरवरी 1998 तक कोई कार्रवाई नही की गई थी ।

अतः तत्कालिक उपयोगिता को सुनिश्चित किये बिना विभागीय स्तर पर सिमेंट प्राप्त करने में असफलतः पूर्ण हुये बिना सिंचाई कार्यो का बंद हो जाना, कर्मियों की लापरवाही और सिमेंट के भंडारण की समुचित व्यवस्था प्रदान करने में प्रमंडल की विफलता और समय पर स्थानान्तरण या बिक्री द्वारा निपटारा नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकार को 23.65 लाख रूपये की हानि हुई ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जून 1998) , उनका उत्तर अप्राप्त था (जनवरी1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

सिंचाई प्रमंडल, सोनो में सेट सिमेंट के लिए 4 पदाधिकारियों को निम्न विभागीय आदेश द्वारा दंडित किया गया है (प्रतसंलग्न) ।

आदेश संख्या	दिनांक
24	25.01.2001
25	25.01.2001
26	25.01.2001
27	25.01.2001

सिंचाई प्रमंडल, मधुपुर , सिकटिया में मेसर्स सोन भेली सीमेन्ट लि0 द्वारा सिमेंट की आपूर्ति की गयी थी जिसमें गुणवत्ता की कमी थी और जिसे रिप्लेश करने के लिए अनुरोध किया गया था किन्तु नहीं करने पर उनपर मनीसूट 247/93 सिविल कोर्ट, पटना में दायर किया गया जिसमें विभाग की डिग्री हुई । बसूली हेतु न्यायालय में एक्सीक्यूशन केश 14/97 दायर किया गया है जो माननीय न्यायालय में लंबित है और सुनवाई की अंतिम चरण में है ।

संवेदक के विरूद्ध क्रिमनल केश भी दायर किया गया जिसके विरूद्ध संवेदक उच्च न्यायालय में गये जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने डिशमिश कर दिया ।

अन्य प्रमंडलों में सिमेंट का उपयोगे नहीं हो पाया क्योंकि जिन योजनाओं के लिए सिमेंट की आपूर्ति ली गई थी उनमें बाद में निधि नहीं मिल सकी । बाद में कुछ एक जगह भू-अर्जन की समस्या उत्पन्न हुई ।

सिंचाई प्रमंडल, जामाताड़ा में चक्रवात के चलते सिमेंट सेट कर गया ।

विभागीय आदेश 745 दिनांक 26.04.2001 के दायर इन सेट सिमेंट को बोल्डर के स्थान पर व्यवहार करने के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया ।

बिहार सरकार ,

जल संसाधन विभाग

आ.सं. -22 / नि.सिं. (सं) 1-1010/90-24 पटना, दिनांक - 25.01. 2001

आदेश

श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू के पदस्थापन अवधि वर्ष 87-88 में लगभग (आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट हो जाने को जांच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी । उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील रूल्स-55''ए,, के तहत विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 17.03.92 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी । जॉच प्रतिवेदन एवं श्रीप्रसाद से प्राप्त स्पटीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । मामले की समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । मामले की समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाण्ति पाये गये :

'' अधीक्षण अभियंता के आदेश के वाबजूद सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा को 8000 (आठ हजार) बोरा सिमेंट को हस्तानान्तरित नहीं करना और सिर्फ मौखिक आदेश का रेफरेन्स देकर डाक में लिख देन कि अधीक्षण अभियंता से मौखिक

आदेश मिला है । "

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निम्न दंड देने का निर्णय लिया :

(क) चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि संगत वर्ष को उनकी चारित्री में की जायेगी)

(ख) 19,944/- (उन्नीस हजार नौ सौ चौवालीस रूपये) की वसूली ।

3. अत: उक्त दंड श्री शिव शंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल , सोनू को संसूचित किया गया

ह0/-

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

आ.सं.-22/नि.सिं (सं) 1-1010/90-25 पटना, दिनांक - 25.01.2001

आदेश

श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता (यात्रिक), सिंचाई प्रमंडल, सोनू के पदस्थापन अवधि वर्ष 87-88 में लगभग (आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट हो जाने को जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी ' उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील रूल्स -55''ए,, के तहत विभागीय पत्रांक 2278 दिनांक 21.09.92 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग्र की गयी थी। जांच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद से प्रापत स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । मामले की समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमानित पाये गये :

''बरसात में सिमेंट ढुलाई करवाना एवं गोदान में सिमेंट की सही रख-रखाव

नहीं कर पाना तथा द्वारा से सोन सिमेंट ढुलवाने में उदासीतना) "

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निम्न दंड देने का निर्णय लिया :

(क) चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि संगत वर्ष को उनकी चारित्री में की जायेगी) ।

(ख) 14075 /- (चौदह हजार पचहत्तर रूपये) की वसूली ।

3. अत: उक्त दंड श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई प्रमंडल , सोनू को संसूचित किया जाता है ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

आ.सं.-22/नि.सिं. (सं) 1-1010/90-26 पटना, दिनांक - 25.01.2001

आदेश

श्री नागेश्वर शरण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू के उक्त प्रमंडल पदस्थापन अवधि वर्ष 87-88 में लगभग (आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट हो जाने को जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील रूल्स -55''ए,, के तहत विभागीय पत्रांक 2275 दिनांक 21.09.92 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । मामले की समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :

''बरसात में सिमेंट ढुलाई करवाना एवं गोदान में सिमेंट की सही रख-रखाव

नहीं कर पाना तथा द्वारा से सोन सिमेंट ढुलवाने में उदासीतना ,,

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दंड देने का निर्णय लिया :

(क) चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि संगत वर्ष को उनकी चारित्री में की जायेगी) ।

(ख) 14075 /- (चौदह हजार पचहत्तर रूपये) की वसूली ।

3. अत: उक्त दंड श्री नागेश्वर शरण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता सिंचाई प्रमंडल , सोनू को संसूचित किया जाता है ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग

आ.सं.-22/नि.सिं. (सं) 1-1010/90-25 पटना, दिनांक - 25.01.2001

आदेश

श्री सीता राम प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता , सिंचाई प्रमंडल , सोनू के उक्त प्रमंडल पदसीापन अवधि वर्ष 87-90 में लगभग (आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट हो जाने को जॉच विभागीय उड़नदस्ता से करायी । अड़दस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सिर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील रूल्स-55''ए,, के तहत विभागीय पत्रांक 502 दिनांक 17.03.92 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी । जॉच प्रतिवेदन एवं श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। इस बीच श्री गुप्ता दिनांक 31.05.2000 को सेवा निवृत हो गये । अत: बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी के तहत कार्रवाई जारी रखा गया । मामले की समीक्षोपरान्त श्री

प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये ।

1. सोनू के गोदाम मे 317 बोरा सेट सिमेंट होने के लिए जिम्मेवार। क्योंकि समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में सिमेंट सेट हुआ ।

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री गुप्ता को निम्न दंड देने का निणर्य लिया :

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 मे अन्तर्गत 09,510/- (नौ हजार पाँच सौ दस रूपये) की वसूली ।

3. अत: उक्त दंड श्री सीता राम प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू सम्प्रति सेवा निवृत्त को संसूचित किंया जाता है ।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

भविष्य में विभाग आवश्यकतानुसार ही सीमेंट का क्रय करे, इस निर्देश के साथ समिति इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) कंडिको -5.8

कंडिका -5.8 सिमेंट के अविवेकपूर्ण क्रय के कारण हानि

निदेशक, क्रय एवं परिवहन (डीपीटी) , जल संसाधन विभाग , पटना ने 2124 रूपये प्रति टन की दर पर 1800 टन सिमेंट की आपूर्ति का क्रय आदेश फरवरी1992 में भारतीय सिमेंट निगम को दिया। इसके विरूद्ध जल निस्सरण प्रमंडल, फतहपुर(गया) को मई 1992 एवं मई 1993 में 40.25 लाख रूपये की कीमत पर, जिसमें घाटा- शुक्ल एवं क्षति का 0.32 लाख रूपया भी सम्मिलित था, कुल 1895.45 टन सिमेंट की आपूर्ति की गयी। तिलैया धाधर परियोजना के बराज के नींव के गहवरों में कंकरीट कार्य के कार्यान्वयन हेतु सिमेंट प्राप्त किया

गया था ।

प्रमंडल के अभिलेखों की संबीक्षा से प्रकटित हुआ कि निधि के अभाव नें बराज का कार्य अगस्त 1992 में रोक दिया गया था और तब तक सिमेंट का उपयोग नही किया गया था ।

हालांकि कि कार्यपालक अभियंता द्वारा 944.40 टन सिमेंट विभाग के अन्य 5 प्रमंडलों को स्थानांतरित (जून से नवम्बर 1992) कर दिया गया था । शेष 950. 55 टन सिमेंट का निपटारे के लिए निलामी विज्ञप्ति सितम्बर 1994 में जारी की गयी थी । उक्त निलामी विज्ञप्ति के विरूद्ध 960 रूपये प्रति टन के उच्चतम बोली (श्री बिन्देश्वर प्रसाद) के अनुमोदन (मई 1995) एवं 11.06 लाख रूपये प्राप्ति दर 2124 रूपया प्रति टन और उच्चतम बोली 960 रूपया प्रति टन का अंतर की हानि को माफ करने की स्वीकृति विभाग से मिलने पर शेष पूरी मात्रा का निपटारा कर दिया गया (जून-जुलाई1995)था । 11.06 लाख रूपये की हानि की माफी की स्वीकृति देते समय जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त विभागे की सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी ।

अत: कार्य के कार्यान्वयन के लिए निधि की उपलब्धता को सुनिश्चत किये बिना ही इतने बड़े पैमाने पर सिमेंट की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण सरकार को 11.06 लाख रूपये की हानि हुई ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अप्रैल 1998) : उनका उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 1999)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जलपथ प्रमंडल, फतेहपुर, गया के अन्तर्गत तिलैया ढाढर परियोजना में बराज निमार्ण हेतु 15.6.91 को एक एकारारनारमा किया गया जिसमें लगभग 18,185 मे0 टन सिमेंट की खपत होने का ऑकलन है । आवंटन के अनुसार प्रारम्भ में 1895.45 मे.टन सिमेंट प्राप्त हुआ जो एकरारनामा के विरूद्ध कुल आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत है । बराज के नीव खुदाई कर कंकीट में 25. 75 मे. टन सिमेंट व्यहृत हुआ ।

1992-93 में आवंटन अनुपलब्ध होने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका

2. 944.44 मे. टन सिमेंट अन्य प्रमंडल को स्थानान्तरित किया गया । गोदाम में अबशेष 950.55 मे. टन सिमेंट हस्तानान्तरित नहीं हो सकने की स्थिति में निलामी की गयी । निलामी दर की स्वीकृति विभागा से दी गई। वित्त विभाग से बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 63 में अवलेखन पर सहमति ली जाती है जब लौस पदाधधिकारियों के नेगलिजेन्स के चलते होता है । यहाँ पर नेगलिजेन्स की बात नहीं है क्योकि पदाधिकारियों ने सिमेंट को बर्बाद होने से बचाने के लिए ही इसकी निलामी किया है नही तो सिमेंट की पूर्ण क्षति हो जाती ।

3. अत: निम्न तथ्यों के आलोक में इस सी.ए.जी. पारा को विलोपित करने की कृपा की जाय।

(क) सिमेंट पूरे पैमाने का कय नहीं किया गया बल्कि मात्र 10 प्रतिशत ही खरीदी गयी ।

(ख) कार्य निधि के अभाव में वर्ष 1992-93 में रूक गया ।

(ग) पदाधिकारियों का नेगलिजेन्स नहीं है, अत: अपलेखन के प्रस्ताव का वित्त विभाग की सहमति नहीं प्राप्त की गयी । जल संसाधन विभाग ने निलामी की दर की स्वीकृति दी है । निलामी का दर औरिजनल दर से इसलिए कम था कि सिमेंट के गुणवत्ता में ह्रास हो चुका थाा

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे निष्पादित करती है ।

पटना

दिनांक 6 मार्च 2002

राम देव वर्मा

6.3.2002

सभापति

लोक लेखा समिति

परिशिष्ट

4.23 / 97 का अनु.

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ.सं.22/नि.सं.(डि.)-14-111/97-912 पटना, दिनांक-9.12.01

'आदेश'

श्री राम सुवेन्द्र सिंह, तत्कालीन रोकड़पाल, सोन नहर प्रमंडल, आरा सम्प्रति निलंबित (17.7.97) के उक्त प्रमंडल में पदस्थापन की अवधि में किये गये राशि के गबन हेतु सोन नहर प्रमंडल, आरा द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर निलंबित कर सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एवं अपील) रूल्स के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया तदनुसार श्री सिंह को विभागीय आदेश संख्या 678 दिनांक 17.7.97 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 2198 दिनांक 25.7.97 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। जिसमें आरोप प्रमाणित पाये गये। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध कतिपय गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये। फलस्वरूप सरकार ने उन्हें सेवा से बरखास्त करने का निर्णय लिया।

2. उक्त निर्णय को संसूचित करते हुए श्री सिंह से विभागीय पत्र संख्या 1728 दिनांक 9.8.99 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण का उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। समीक्षापरांत श्री सिंह के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) इनके द्वारा 6.57 लाख (छः लाख संतावन हजार रुपये) (यदि छुट्टी अवधि का कैश-बुक लिख दिया जाय, अन्यथा 15.33-0.75 = 14.58 लाख का गबन किया जाना।

(ख) स्थापना कैश-बुक 4/97 से 6/97 तक नहीं लिखा जाना। वर्क कैश-बुक -21., 6.97 से 23.6.97 तक नहीं लिखा जाना जो कि एक भयंकर गैर

जिम्मेदाराना कार्य।

(ग) 2.66 लाख राजस्व का 8.5.97 का टेजरी में जमा नहीं कर 29.5.97 को जमा करना।

(घ) 5.6.97 से 16.6.97 के बीच तीन चकों के माध्यम से 30,000/- (तीस हजार) रुपये की निकासी करना किन्तु बाद में उसमें से दो की निकासी नहीं हुई। दस हजार रुपया का गबन जो कि 6.57 लाख (छ: लाख संतावन हजार) रुपये में शामिल है।

(च) द्वितीय कारण पृच्छा में कार्यपालक अभियंता के उपर दोष मढ़ना जो कि अमान्य है। क्योंकि कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये निदेशों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया और अंतत: इनके द्वारा खुद उत्तर में स्वीकार किया जाना कि यदि राशि की छानबीन की जाय और जो भी राशी कमती है उसकी वसूली इनसे की जा सकती है, अर्थात यह उनके द्वारा खुद स्वीकार किया जाना कि इनके द्वारा गबन हुआ है।

3. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा श्री राम सुवेन्द्र सिंह, तत्कालीन रोकड़पाल, सोन नहर प्रमंडल, आरा को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया:-

(1) आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा में बरखास्त।

(2) निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं।

4. तदनुसार श्री राम सुवेन्द्र सिंह तत्तकालीन, रोकड़पाल, सोन नहर प्रमंडल आरा को एतद द्वारा उक्त दण्ड संसूचित किया जाता है।

(परमानन्द पासवान)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-2194

पटना, दिनांक:-19-12-2001

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अवर सचिव (श्री उपेन्द्र नारायण सिंह), जल संसाधन विभाग/कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-3 एवं 22 एवं श्री राम सुवेन्द्र सिंह, तत्कालीन रोकड़पाल, सोन नहर प्रमंडल, आरा सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य अभियंता, डिहरी से अनुरोध है कि श्री राम सुवेन्द्र सिंह, तत्कालीन रोकड़पाल सोन नहर प्रमंडल, आरा सम्प्रति निलंबित को इस आदेश को तामिल कृपया करायें।

(परमानन्द पासवान)

सरकार के उप सचिव।

SPEAKING ORDER ON REPRESENTATION OF N/N BIHAR SPONGE IRON LTD.

In C.W.J.C. Case No. 1032/97 Hon'ble High Court Patna, Bench - Ranchi passed judgement on 30.8.98 dior Engineer, subornarokhn project, chendil complex, Jamshedpur (respondent No. 3). Bihar sponge under certificate of posting which was not received in the office of the undersigned. After correspondence they were informed vide chief engineer, chandil complex, letter No. (32 dated 27.3.2000. (annexure - I). They were called for explaining their case on 19.3.200. They wanted the date of hearing to be fixed after 19th. April, 2000 as their representative was on leave (Annexure - II). Bihar Sponge Iron appeared in hearing on 28.8.2000 vide chief engineer's letter no. 994 dated 16.5.2000 (annexure - III). Site was inspected on 10.5.2000.

After hearing the views of the represnentative of Bihar Sponge Iron Ltd. and going through the represnentation sent by them, following order is being passed :-

Bihar State Industrial Development Corporation Ltd. made a request to the chief engineer, subornrekha Multipurpose project, Chandil complex, Jamshedpur for utilising water of subornarkha river vide their letter No. 1232/DD dt. 9th Nov. 1983 the chief divisional officer, Bihar State development corporation Ltd., the approval for withdrawal of one million gallon per day from river subornakha 12 to 13 K.M. from chandil Dam site, subject to the following condition vide his letter No. 2126 dated 12.10.83 (Annexture - IV). This will not confor any reparing / participative right on Bihar State Industrial Development Corporation.

b) The Bihar State industial Development, Corporation will have to pay water charges as fixed by the State govt. for supply of water purpose Project under construction in a position to store and supply water for such use.

Ultimate requirment of water and intimate this to the department so that desired quantity may be kept renouned by them.

(2) Bihar Sponge Iron Ltd. constructed Intake well in river subernarekhe in Jan. '89. The factory started running since 20th april '89. There are 2 pumps of capacity of 45 KM installed in the intake well to drew water from the river subornarakhe. The Capacity of each pump is to pump 79 litre of water per second.

(3) The department is right in charging the bill from 20.4.89 as the factory started for production from that day water through two pumps noted above. Bihar sponge Iron Ltd. is of view that they should be charged for utilisation of water after complation of dam in June 1993.

(4) As per Letter No. 961 sponged Project, chendil complex, The dam was constructed partially in the year 1989 upto R.L. 169, OOM. in many blocks. It is to be noted that average bad level of construction dam was in position to store and supply water. As the factory is running since 20.4.89, the date of charging the bill for drawal of water since 20.4.89 is justified.

(5) Bihar Sponge Iron has said that there was no proper supply of water after 1993. They did not submit any proof meeting demand in the intake well are sufficient for meeting demand of the factory. Their contention to the country that they are meeting the demand of water for industrial use of the factory from their industrial boro holes and not from the two pumps noted above is also not fit to be accepted on the ground that

their senior engineer had admitted drawal of water from the river suboranc through two pumps noted above are mentionedin many of that the two pumps installed in the river are utill functional and sporational evan after industrial boro holes it also satisfied the contention of the bihar sponge Iron.

(6) There is a dispute regarding quantum of water drawn for the river subornarkhe. Bihar sponge Iron ltd. had submitted photo copies fo log-book meintained by them. There is no arrangement for joint observation and monitaring of running hour of pumps and withdrawal of water. it is also not practical to have such arrangement permanently. Hence billing for withdrawal of water can only be done either as per agreement or on installed capacity of pumps.

(7) These are two pumps of 45 KM whose capacity is to pump 79 litre of water per second. The volume of water pumped per day by these two pump is $\frac{79 \times 60 \times 60 \times 24 \times 2}{4.55}$ gallon per day i.e. 3.0 million gallon per day. Hence the demand of water charge for 3.0 million gallon per day from 20.4.89 is justified.

(S.K.Prasad)

Chief Engineer

Amrendra/ Chandil Complex, Jamshedpur.

C.A.G. Para 4.30 / 97 - 98 का अनु.

पत्रांक - 19/ सी0 ए0 जी0 - 10/ 99 ....

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, इचागालूडोह, राँची

पटना, दिनांक-

विषय:- सी०ए०जी० पारा-4.30 वर्ष 97-98 के सम्बन्ध में।

महाशय,

खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर में ईचा दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 6.39 से कि०मी० 20.07 में लाईनिंग तथा मिट्टी कटाई कार्य में सम्वेदकों से 73.438 लाख रुपये की वसूली बाकी रह गयी है।

2- सम्बेदन से वसूली के लिए कार्रवाई करें।

3- पारा की प्रति संलग्न है।

विश्ववासभाजन,

अनु०-यथोक्त।

(अमरेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

C.A.G. Para 4.31 / 97 - 98 का अनु.

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं.:- 22/ नि. सं. (डि.)-7-107-96 203/ पटना, दिनांक-9.8.2001

आदेश

श्री शेख अलीमुददीन, तत्कालीन रोकड़पाल, हयॉकण प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति निलंबित को उक्त पदस्थापन काल में वीरपुर उप कोषागार से छलपूर्ण राशि निकाले जाने संबंधी प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-590 दिनांक 11.4.98 द्वारा निलंबित किया गया तथा असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 55 के तहत विभागीय संकल्प कार्य सं० 2059 दिनांक 14.7.98 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलाई गई। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन, केन्द्रीय रूपांकण, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया। विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन जाँच पदाधिकारी से प्राप्त हुआ जिसमें श्री अलमुददीन के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। इसको सम्यक् समीक्षा सरकार के स्तर पर हुई तथा सरकार द्वारा श्री अलीमुददीन, रोकड़पाला (नि०) को निम्नलिखित दंड देने का निर्णय लिया गया:-

1. डिसमिस।

2. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री अलीमुददीन, रोकड़पाल (नि०) से विभागीय पत्र सं० 2072 दिनांक 29.09.99 द्वारा द्वितीय करण पृच्छा किया गया, परन्तु द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र उन्हें तामिला नहीं हो सका। क्योंकि ये .....है। फलत: दैनिक समाचार पत्र हिन्दी "आज" में दिनांक 7.12.99 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फलत: जाँच पदाधिकारी से प्राप्त

जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर हुई तभी सरकार द्वारा शेख अलीमुदद्दीन, रोकड़पाल (निलंबित) (11.4.98) के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) नवम्बर, 91 से नवम्बर 97 के बीच 55.96 लाख रुपये की छलपूर्ण निकासी करना, जिसका ब्रेक अप निम्न है:-

वेतन/लीभ सेलरी	= 34.38 लाख रुपये
जी०पी०एफ०	= 7.18 लाख रुपये
पेंशन/उमादान	= 8.79 लाख रुपये
ग्रुप बीमा	= 5.61 लाख रुपये

(ख) वे एवं सैकड़ों मद में 11.99 लाख रुपया न तो बील बुक में नहीं कैशबुक में।

(ग) 22.37 लाख रुपये की निकासी विपत्र को इन्फैट कर अधिक निकासी करना।

(घ) जी०पी०एफ० में 6.58 लाख रुपये छलपूर्ण निकासी करना जो न बील बुक में है और न ही कैशबुक में निकासी हेतु में 37,000/- रुपये की जगह 97,000/- रुपये का बील रिप्लेस कर बनाया जाना।

(च) 8.79 लाख रुपये पेंशन मद में छलपूर्ण निकासी करना जो न बील बुक में और न ही कैशबुक में और 1,000/- रुपये इन्फैनेंट करके अधिक निकासी करना।

(छ) ग्रुप बीमा में 5.61 लाख रुपये की फर्जी निकासी करना जिसमें 3.84 लाख रुपये की निकासी करना उन कर्मचारियों के विरूद्ध जो कि मृत्त जब कि कोई मृत्त नहीं, जो न बील बुक में और कैशबुक में तथा वास्तविक बील को रिप्लेस कर छलपूर्ण निकासी किया जाना । इसके आलावे पुनः 30,681/- रुपये का छलपूर्ण निकासी किया जाना। 1,15,00/- रुपये ग्रुप

बीमा मद में निकासी करना जो न बील बुक में है और न कैश बुक में।

(ज) प्रेस नोटिस के बावजूद डिपार्टमेंटल प्रोसिंडिंग में शामिल नहीं होना एवं द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं देना।

(झ) मैसेन्जर बुक या कोई अभिलेख महालेखाकार के आडिट पार्टी को न देकर 16.3.98 से 21.3.98 के बीच अनुपस्थित भी रहना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के कारण सरकार द्वारा श्री अलीमुददीन (निलंबित) रोकड़पाल को निम्नलिखित दंड देने का निर्णय किया है:-

1. डिसमिस।

2. निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

अतएव सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री अलीमुद्दीन, रोकड़पाल (निलंबित) को उपर्युक्त दंड संसूचित किया जाता है।

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक: 1920 / पटना दिनांक : 9.8.2001

प्रतिलिपि श्री शेख अलीमुदद्दीन, रोकड़पाल (नि०) द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन, केन्द्रीय रूपांकण प्रमंडल, पटना/सभी मुख्य अभियंता, सभी अध ीक्षक अभियंता, जल संसाधन विभाग के अधीन/ उप सचिव प्रभारी प्रशाखा-3/अवर सचिव, प्रशाखा-3 एवं 4 जल संसाधन विभाग, / प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3,4, एवं 22 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक-3/8/2001

ज्ञाप सं.:- 22/ नि. सं. (वीर.)-7-107 1455/ श्री सुधीर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, रूपांकन प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, वीरपुर (सम्प्रति निलंबित) द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में प्रमंडलीय कार्यपालक से स्थापना पद से लाखों रुपये के छलपूर्ण निकासी करने संबंधी प्रथम द्रष्टव्य प्रमाणित आरोपों के लिये उन्हें विभागीय आदेश सं०-696, दिनांक-14.5.98 द्वारा निलंबित किया गया। तत्पश्चात (सैनिक सेवा) वर्गीकरण; नियंत्रण एवं अपील (नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या-8060, दिनांक-14.7.98 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई गई।

विभागीय कार्यवाही ही जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1442, दिनांक-05-10-99 द्वारा प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (नि०) के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर से की गई। एवं उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिये सरकार ने उन्हें निम्नांकित दंड देने का निर्णय लिया गया:-

(क) डिसिमिसल।

(ख) निलंबन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

श्री सुधीर प्रसाद, का० अ० (नि०) को दण्ड दिये जाने के उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय, पत्रांक-2073 दिनांक-29.9.99 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई तथा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, जल संसाधन विभाग के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र तामिला के लिये भेजा गया। उक्त पत्र मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण द्वारा वापस करते हुए यह सूचित किया गया कि

श्री प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (नि०) दिनांक-20.5.98 को निर्धारित मुख्यालय में योगदान किये हैं लेकिन बहुत दिनों से कार्यालय नहीं आ रहे हैं। तदोपरांत हिन्दी दैनिक "आज" में दिनांक-7.12.99 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर उन्हें द्वितीय करण पृच्छा का उत्तर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहा।

वर्णित परिस्थिति में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री सुधीर प्रसाद कार्यपालक अभियंता (नि०) के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रमाणित पाये गये:-

(क) 55.96 लाख रु० के छलपूर्ण निकासी में इनके कार्यकाल में 35.76 लाख रु० को छलपूर्ण निकासी होना, जिसका ब्रेक अप निम्न प्रकार है:-

वेतन/लाभ सेलरी	= 21.98 लाख रुपये
सा०भ०नि०	= 3.26 लाख रुपये
पेंशन/उमादान	= 8.78 लाख रुपये
ग्रुप बीमा	= 1.75 लाख रुपये

(ख) (1) 10.52 लाख रु० न तो बील बुक में है न ही कैश बुक में।

(2) 3.26 लाख रु० भविष्य निधि मद में फर्जी निकासी की गयी जो न तो बील बुक में है न ही कैश बुक में।

(3) 37000/- रु० की जगह 97,000/- रु० बीस बताया गया अर्थात् 60,000/- रु० की फर्जी निकासी हुई है।

(4) 8.78 लाख रु० पेंशन मद में निकासी को गई, जो न बील बुक में है न ही कैश बुक में।

(5) 30,681/- रु० ग्रुप बीमा मद में वास्तविक बील को रिप्लेस कर निकासी की गई है।

(6) 1.75 लाख रु० ग्रुप बीमा मद में निकासी की गई है जो न बील बुक में है न ही कैश बुक में।

(ग) कोषागार एवं रोकड़पाल से किसी भगत कर 35.76 लाख रु० की फर्जी निकासी हुई है।

(घ) प्रेस नोटिस के बावजूद विभागीय कार्रवाई में उपस्थित नहीं होना एवं प्रेस नोटिस के बावजूद भी द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं देना।

(च) महालेखाकार को ऑडिट टीम के दिनांक-16.3.98 से 21.3.98 की जाँच के दरम्यान अनुपस्थित रहना।

(छ) बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 474 (1) एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम-179 की अवहेलना करना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिये सरकार ने श्री सुधीर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दंड देने का निर्णय लिया:-

(क) सेवा से बर्खास्त (DISMISSAL)

(ख) निलंबन अवधि में निलंबन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

नियमानुकूल प्रक्रिया के तहत श्री सुधीर प्रसाद, का० अ० (नि०) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पर सहमति के लिये, विभागीय पत्रांक-1019 दिनांक-9.6.2000 एवं 1235, दिनांक:-28.8.2001 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्र सं०-232, दिनांक-19.5.2001 एवं 506, दिनांक- 29.6.2001 द्वारा श्री प्रसाद, का० अ० (नि०) को, सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड के प्रस्ताव में सहमति प्रदान की गई।

तदोपरांत श्री सुधीर प्रसाद, कार्यपालक अ संख्या (नि०) के सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड के प्रस्ताव को संलेख के माध्यम से मंत्रिपरिषद् को सवीकृत हेतु भेजा गया। दिनांक-24.7.2001 श्री मंत्रिपरिषद् की बैठक में मंत्रिपरिषद् द्वारा श्री प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड के प्रस्ताव में स्वीकृत प्रदान की गई।

तदनुसार श्री सुधीर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (नि०) वरीयता क्रमांक-3502/2001 जल संसाधन विभाग को सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (DISMISSAL) किया

जाता है। इन्हें निलम्बन अवधि में निलम्बन भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

तदनुसार उक्त दण्ड श्री सुधीर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (नि०)को संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वी. एन. झा.)

सरकार के उप सचिव-सह-पु०नि०पदा०।

ज्ञापांक 1455 / पटना, दिनांक 3 अगस्त, 2001

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस पटना-7, को राजपत्र के अगले अंको में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(वी. एन. झा.)

सरकार के उप सविच-सह-पु०निग०पदा०।

ज्ञापांक 1455/ पटना, दिनांक 3 अगस्त, 2001

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना / महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/श्री सुधीर प्रसाद, का०अ०(नि०) मुख्यालय-मुख्य अभि० का कार्यालय केन्द्रीय रूपांकण जल संसाधन विभाग पटना/सभी मुख्य अभि०, जल संसाधन विभाग मु०अभि० यांत्रिक सहित / संयुक्त सचिव, प्रबंधन की मांग, जल संसाधन विभाग/सरकार के अवर सचिव श्री इन्दुपूनम कुमारी, प्रबंधन की मांग जल संसाध न विभाग दो प्रतियों में / मुख्य अभि०, केन्द्रीय रूपांकण, जल संसाधन विभाग, पटना में दो प्रतियों में प्रभारी पदाधिकारी कम्प्युटर की मांग, जल संसाधन

विभाग/उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, पटना/प्रशाखा पदा० प्रशाखा-5,6 एवं 22 का जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- अवर सचिव, इंन्दुभूषण कुमार एवं मुख्य अभियंता केन्द्रीय रूपांकण जल संसाधन विभाग, पटना के अनुरोध है कि पृच्छा एवें अधिसूचना की एक प्रति का तामिला श्री सुधीर प्रसाद का०अ० (नि०) को अपने स्तर से कराया जाए।

प्रतिलिपि :- विशेष कार्य पदा० एवं उप सचिव, बिहार लोक सेवाल आयोग, पटना को उनके पत्रांक-232 दिनांक 19.5.2001 एवं 546 दिनांक:-29.6.2001 तथा अपर सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक:-24.7.2001 के मद सं०-14 के स्विकृति। प्रस्ताव के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(वी. एन. झा.)

सरकार के उप सचिव-सह मु० नि० पदा०

C.A.G. Para 5.7 / 97 - 98 का अनु.

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

का० आ० सं० 22/निसि (सं)1-1010/90-24/ पटना, दिनांक-25.01.2001

'आदेश'

श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू के पदस्थापन अवधि वर्ष-87-88 में लगभग (आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट ले जाने के जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज (वर्गीकरणु नियंत्रण एवं अपील (मत्स्य-55''ए'' के तहत विभागीय पत्रांक-503, दिनांक-17-3-92 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सराकर के स्तर पर की गयी। मामले की समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

''अधीक्षण अभियन्ता के आदेश के बाबजूद सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा के 8000(आठ हजार) बोरा सिमेंट को हस्तानान्तरित नहीं करना और सिर्फ मौखिक आदेश का रेफरेन्स देकर डाक में लिख देना कि अधीक्षण अभियंता से मौलिक निदेश मिला है।''

2- उक्त प्रमार्णित आरोप के लिए सरकार ने भी प्रसाद से निम्न दंड देने का निर्णय लिया:-

(क) चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि संगत वर्ष को उनको चरित्रों में की जायेगी)।

(ख) 19,944 (उन्नीस हजार नौ सौ चौवालीस रुपये) की वसूली।

(3) अत: उक्त दंड श्री शिव शंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू को संसूचित किया जाता है।

(बी. एन. झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या 113 पटना, दिनांक:-25.1.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार बिहार, पटना/राँची/ मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डेहरी/संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रबंधन को मांग, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर की मांग, जल संसाधन विभाग, बिहार,पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5,6,12,13, एवं 22 तथा श्री शिव शंकर प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, दुर्गावती निर्माण अंचल, भीरती बाँध, शिविर-चेनारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी.एन.झा)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं.22/नि.सं.14-1010/90-25 पटना, दिनांक-25.01.2001

'आदेश'

श्री सच्चिदानन्द प्रसाद तत्कालीन कनीय अभियंता(मौखिक, सिंचाई प्रमंडल, सोनू के उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि एवं 87-88 में लगभग 80000(आठ हजार बोरा सिमेंट सेट हो जाने की जाँच विभागीय अनुदस्ता है करायी गयी। अनुमंडल से प्राप्त जाँचा तदनुसार वित्तीय सेवा वर्गीकरण सिंचाई एवं अधीक्षण एस 55.2 के तहत विभागीय पत्रांक 2278 दिनांक 21.9.92 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा शुरू करने पर की गयी। मामले का समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के निम्न प्रकार प्रमाणि पाये गये:-

''बरसात में रिप्रोर्ट दुखहायी करवाना एवं गोमाम में सिमेंट का रख-रखाव क्यो नहीं करवाना तथा प्राप्त स सोनू सिमंट खुलवाने में उदासीनता''

2. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री प्रसाद को निम्न दंड देने का निर्णय दिया है:-

(क) चेतावनी (जिसका प्रतिवेदन संगत वर्ष में श्री उनकी धारिणी में जायेगी।

(ख) 14075/- (चौदह हजार पच्हतर रुपये की वसूली।)

3. कुल उक्त दंड की सचिदानन्द प्रसाद (मंत्रिका) तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सोनू को संसूति किया जाता है।

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक /   पटना,   दिनांक/

प्रतिनिधि सभी मुख्य अभीयंता संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आपसे आग्रह है कि अगर श्री सचिदानन्द प्रसाद, कनीय अभियंता (पा० अपर कनीय अभियंता के कार्यरत हों तो उन्हें अपने स्तर से इसे आदेश की तामिला करा दें क्या आवश्यक कार्रवाई करे।

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव।

प्रात्रांक 112/पटना, दिनांक 25.1.2001 / सरकार के उप सचिव।

प्रतिलिपि संयुक्त संख्या / उप कनीय, प्रबन्ध की मागं जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा .. प्रभारी-9,10,12,13 एविं 22 तथा श्री सचिदानन्द प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रा० उतरानयक, पो०-एकगर डीहै जिला नालन्दा को सूचंनार्थ एवं अशिक्षा कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०एन०झा)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ.सं.22/नि.सं.-12-1010-90 26 / पटना, दिनांक-25.01.2001

'आदेश'

श्री नागेश्वर शरण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू के उक्त प्रमंडल पदस्थापन अवधि वर्ष-87-99 में लगभग 8000(आठ हजार) बोरा सिमेंट सेट हो जाने की जाँच प्रतिवेदन अनदस्ता से करायी गयी। उनदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील सं "ए" तहत् विभागीय पत्रांक-2278, दिनांक 21.9.92 द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को माँग हो गयी। जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। माने की समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विषय निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

"बरसात में सिमेंट दोसाई करवाना एवं गोदाम में सिमेंट का सही रख-रखाव नहीं कर पाना तथा मात्रा से सोनू सिमेंट ढलवाने में उदासीनता।"

2- उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री सिन्हा को निम्न दंड देने का निर्णय लिया:-

(क) चेतावनी की प्रविशिष्ट संगत वर्ष का उनका धारिता में की जायेगा।

(ख) 14,075/- (चौदह हजार पच्चहतर) कच्चे की वसूली।

3- अनत: उक्त दंड श्री नागेश्वर शरण सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल से संसूचित किया जाता है।

(बी.एन.झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या 114 पटना, दिनांक 15.01.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रबंधन की मांग, जल संसाधन विभाग. बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर की मांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ जल पदाधिकारी, प्रशाखा-7,8,12, एवं 13 22 के रफ श्री नागेश्वर शरण सिन्हा, सहायक निदेशक, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, अनीसाबाद, पटना-800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी.एन.झा)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आ.सं.22/नि.सं.(डि.)-11-1010/90-27 / पटना, दिनांक-25.01.2001

'आदेश'

श्री सीता राम प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सोत्न में उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि वर्ष 87-90 में लगभग, 8,000/-(आठ हजार) बोरा सीमेंट सेट हो जाने की जाँच विभागीय उनदस्ता से करायी गयी। उक्त दस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्विसेज वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संख्या 55 ए तथा विभागीय पत्रांक 502 दिनांक 17.3.92 द्वारा श्री गुप्ता है स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन एवं श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। इस बीच श्री गुप्ता दिनांक 31.5.2000 को सेवा विमुक्त हो गये। अत: बिहार पेंशन नियमावली है। नियम-43 दी ले तहत कार्रवाई जारी रखा गया। मानने की समीक्षोपरान्त श्री गुप्ता के बिन्द निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये:-

1. सोनू के गोदाम में 317 आंशिक सेट सिमेंट होने के लिए जिम्मेवार। क्योंकि समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में सिमेंट सेट हुआ।

2. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री गुप्ता को निम्न दंड देने का निर्णय लिया है:-

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के अन्तर्गत 09.510/ नौ हजार पाँच सौ रुपये की वसुली।

3. अत: उक्त दंड श्री सीता राम प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, सोनू सम्प्रति सेवा विमुक्त को संसूचित किया जाता है।

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 111/ पटना, दिनांक 25.1.2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/ राँची संयुक्त सचिव, / उप सचिव, प्रमण्डल कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी सं०-5,6,22 एवं श्री सीता राम प्रसाद गुप्ता से निवृत्त अधीक्षण अभियंता, डी०-1, अभियंता नगर आशियाना नगर, पटना-800005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी०एन०झा)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संयुक्त सचिव (अभियंता)
जल संसाधन विभाग, पटना।

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग
पूर्णियां / सिवान / समस्तीपुर / मोतिहारी / मुजफ्फरपुर /
वीरपुर / डेहरी /भागलपुर / दरभंगा /पटना / यांत्रिक पटना।

पटना, दिनांक-26 अप्रील 2001

विषय :- सेट सिमेंट की बोरियों का उपयोग बोल्डर के रूप में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है, कि आपके परिक्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों के अन्तर्गत लेखा में जो अन्तर्गत लेखा में जो अनुपयोग सेट सिमेंट के बोरे उपलब्ध हैं, उनका बोल्डर के रूप में उपयोग वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से स्वीकृत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में कराकर लेखा शून्य करा लिया जाय ताकि विभाग में अगले वर्ष सेट सिमेंट लेखा में नहीं रहें। सेट सिमंट का शोल्डर के रूप में उपयोग करने में मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि स्टोर से स्थल की दूरी न्यूनतम हो।

लेखा के सभी सेट सिमेंट का बोल्डर के रूप में उपयोग करने के पश्चात् प्रमंडल से यह प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जाय कि लेखा में अब कोई सेट सिमेंट नहीं है। यदि अगले वर्ष किन्हीं मुख्य अभियंता के परिक्षेत्राधीन सेट सिमेंट की बोरी किसी लेखा में पायी जायेगी तो इसके लिये वे उत्तरदायी होंगे।

विश्वास भाजन

सयुंक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।

Water Res

शिवम् कर्न्सोटियम, 246 नेहरू नगर, पटना - 13 द्वारा मुद्रित